सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग ✦ INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

सत्यमेव जयते
हरियाणा सरकार
GOVT. OF HARYANA

हरियाणा सरकार

वर्ष 2021 की प्रतिवेदन संख्या 3

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का
सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष

हरियाणा सरकार

वर्ष 2021 की प्रतिवेदन संख्या 3

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का
सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ/ टिप्पणियां
प्राक्कथन		iii
कार्यकारी सार		v-x
प्रस्तावना		
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की कार्यप्रणाली		1-6
अध्याय 1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र) का वित्तीय निष्पादन		
प्रस्तावना	1.1	7-8
विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. में निवेश	1.2	8-11
सरकारी कंपनियों में निवेश पर रिटर्न	1.3	12-14
विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. की परिचालन क्षमता	1.4	14-20
अध्याय 2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) का वित्तीय निष्पादन		
प्रस्तावना	2.1	21-22
एस.पी.एस.ई. में निवेश	2.2	22-26
एस.पी.एस.ई. में निवेश पर रिटर्न	2.3	26-28
हानि उठाने वाले एस.पी.एस.ई.	2.4	28-29
एस.पी.एस.ई. की परिचालन क्षमता	2.5	29-32
अध्याय 3 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की पर्यवेक्षण भूमिका		
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (एस.पी.एस.ई.) की लेखापरीक्षा	3.1	33
नि.म.ले.प. द्वारा एस.पी.एस.ई. के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	3.2	33
एस.पी.एस.ई. द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	3.3	33-35
नि.म.ले.प. का पर्यवेक्षण - लेखापरीक्षा और पूरक लेखापरीक्षा	3.4	36
नि.म.ले.प. की पर्यवेक्षण भूमिका का परिणाम	3.5	37-39
लेखांकन मानकों/भारतीय लेखांकन मानकों के प्रावधानों का अनुपालन न करना	3.6	39-41
प्रबंधन-पत्र	3.7	41
अध्याय 4 कॉरपोरेट गवर्नेंस		
कॉरपोरेट गवर्नेंस	4.1	43-44
निदेशक मंडल का गठन एवं बैठकें	4.2	44-45
स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति एवं कार्यप्रणाली	4.3	45-50
निदेशक मंडल की बैठक की सूचना	4.4	50-51

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ/ टिप्पणियां
कार्यशील, गैर-कार्यशील और स्वतंत्र निदेशक के पदों को भरा जाना	4.5	51-53
लेखापरीक्षा समिति	4.6	53-55
अन्य समितियां	4.7	55
व्हीसल ब्लोअर मैकेनिज्म	4.8	56
वार्षिक आम बैठक की सूचना	4.9	57
संबंधित पार्टियों से संबंधित नीति	4.10	57
वेबसाइट पर सूचना का प्रकटीकरण	4.11	57
निष्कर्ष एवं सिफारिश		58
अध्याय 5 कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व		
प्रस्तावना, लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कवरेज और लेखापरीक्षा मानदंड	5.1 से 5.4	59-60
लेखापरीक्षा परिणाम	5.5	60-63
वित्तीय घटक	5.6	63-66
परियोजना कार्यान्वयन	5.7	66-67
निगरानी तंत्र	5.8	67
सूचना एवं प्रकटन	5.9	67-68
निष्कर्ष एवं सिफारिश		68
अध्याय 6 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन का प्रभाव		
प्रस्तावना	6.1	69
भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन	6.2	69-70
लेखापरीक्षा का क्षेत्र और पद्धति	6.3	70-71
भारतीय लेखांकन मानकों को पहली बार अपनाने की समीक्षा	6.4	71-73
2016-17 और 2017-18 में निगमित कंपनियों द्वारा भारतीय लेखांकन मानक को अपनाना	6.5	73
चयनित प्रमुख क्षेत्रों पर भारतीय लेखांकन मानक के कार्यान्वयन का प्रभाव	6.6	73-76
निष्कर्ष		77
परिशिष्ट		
परिशिष्ट I से VI		79-93

प्राक्कथन

सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 तथा उसके अधीन बनाए गए विनियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) से 143 (7) के प्रावधानों के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षक (चार्टर्ड लेखाकार) ऐसी कंपनियों के लेखे प्रमाणित करते हैं जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के अधीन हैं। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर अपनी टिप्पणियां देते हैं या उन्हें संपूरित करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को कंपनी के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के तरीके के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है।

2. सांविधिक निगमों, अर्थात् हरियाणा राज्य भंडारण निगम और हरियाणा वित्तीय निगम के संबंध में, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को एक पूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है और विधियों के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा किए जाने के बाद उनके लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एस.ए.आर.) जारी करते हैं।

3 इस प्रतिवेदन में समीक्षा किए गए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एस.पी.एस.ई.) के लेखाओं में वर्ष 2019-20 (प्राप्त सीमा तक) तक के लेखे शामिल हैं। एस.पी.एस.ई. के संबंध में, जहां किसी विशेष वर्ष के लेखे 31 दिसंबर 2020 से पहले प्राप्त नहीं हुए थे, अंतिम लेखापरीक्षित लेखाओं के आंकड़ों को अपनाया गया है।

4. इस प्रतिवेदन में 'सरकारी कंपनियों/निगमों या एस.पी.एस.ई.' के सभी संदर्भों को 'राज्य सरकार की कंपनियों/निगमों' के संदर्भ में माना जाए जब तक कि संदर्भ अन्यथा का सुझाव न दे।

कार्यकारी सार

I. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वित्तीय निष्पादन

31 मार्च 2020 को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 36 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (एस.पी.एस.ई.) थे। इनमें 28 सरकारी कंपनियां, छः सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां और दो सांविधिक निगम शामिल हैं। यह प्रतिवेदन 26 सरकारी कंपनियों तथा निगमों (दो सांविधिक निगमों सहित), सरकार नियंत्रित तीन अन्य कंपनियों से संबंधित है; इस प्रतिवेदन में सात एस.पी.एस.ई. (सरकार नियंत्रित तीन अन्य कंपनियों सहित) शामिल नहीं हैं, जो निष्क्रिय/परिसमापनाधीन थे या जिनके प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए थे।

(अनुच्छेद 1.1 तथा 2.1)

हरियाणा सरकार द्वारा निवेश

इस प्रतिवेदन में शामिल 29 एस.पी.एस.ई. में से 24 एस.पी.एस.ई. के लेखे इंगित करते हैं कि हरियाणा सरकार ने शेयर पूंजी में ₹ 35,718.68 करोड़ का निवेश किया। हरियाणा सरकार द्वारा दिया गया ₹ 341.48 करोड़ का ऋण 31 मार्च 2020 तक बकाया था। गत वर्ष की तुलना में 2019-20 के दौरान एस.पी.एस.ई. की इक्विटी में राज्य सरकार द्वारा निवेश में ₹ 5,830.10 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज की गई जबकि बकाया ऋण में ₹ 2.71 करोड़ की कमी आई।

(अनुच्छेद 1.2 तथा 2.2)

इक्विटी पर रिटर्न

2019-20 के दौरान विद्युत क्षेत्र के सभी चार एस.पी.एस.ई. का निवल मूल्य सकारात्मक था और उनका इक्विटी पर रिटर्न 7.82 प्रतिशत था। लाभ अर्जित करने वाले एस.पी.एस.ई. (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) की संख्या 17 थी; इन 17 एस.पी.एस.ई. की इक्विटी पर रिटर्न 14.56 प्रतिशत था। 2019-20 में हानि उठाने वाले छः एस.पी.एस.ई. सहित सभी 25 एस.पी.एस.ई. (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में इक्विटी पर रिटर्न 12.16 प्रतिशत था।

(अनुच्छेद 1.3.1 तथा 2.3.1)

विद्युत क्षेत्र के किसी भी एस.पी.एस.ई. ने लाभांश घोषित/प्रदत्त नहीं किया। विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त, तीन एस.पी.एस.ई. ने वर्ष 2018-19 के लिए ₹ 47.33 करोड़ के निवल लाभ के विरूद्ध ₹ 6.52 करोड़ का लाभांश घोषित किया।

(अनुच्छेद 1.3.2 तथा 2.3.2)

वर्ष 2019-20 के दौरान हानि उठाने वाले छः एस.पी.एस.ई. थे। इन कंपनियों द्वारा उठाई गई हानि 2018-19 में ₹ 37.43 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 38.10 करोड़ हो गई।

(अनुच्छेद 2.4)

निवल मूल्य/संचित हानि

₹ 249 करोड़ की संचित हानि वाले सात एस.पी.एस.ई. (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) थे। सात एस.पी.एस.ई. में से तीन एस.पी.एस.ई. ने वर्ष 2019-20 में ₹ 16.92 करोड़ की हानि उठाई और चार एस.पी.एस.ई. ने वर्ष 2019-20 में कोई हानि नहीं उठाई, यद्यपि उनकी संचित हानि ₹ 231 करोड़ थी।

(अनुच्छेद 2.4.1)

निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर रिटर्न

31 मार्च 2020 तक राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य 1999-2000 में ₹ 612.33 करोड़ की तुलना में ₹ 65,319.59 करोड़ परिगणित किया गया। 1999-2000 से 2016-17 (2002-03 और 2003-04 को छोड़कर) के दौरान विद्युत क्षेत्र के एस.पी.एस.ई. की कुल कमाई नकारात्मक थी और 2017-18 से 2019-20 के दौरान न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न से कम थी, जो दर्शाता है कि सरकार अपनी निधियों की लागत की वसूली नहीं कर सकी। वर्ष 2008-09 और 2014-15 को छोड़कर विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य एस.पी.एस.ई. की कुल आय भी न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न से कम रही।

(अनुच्छेद 1.4.3 तथा 2.5.3)

राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति तैयार (अक्तूबर 2003) की थी जिसके अंतर्गत सभी राज्य एस.पी.एस.ई. को राज्य सरकार की प्रदत्त शेयर पूंजी पर न्यूनतम चार प्रतिशत रिटर्न का भुगतान करना अपेक्षित था। कुछ एस.पी.एस.ई. के वितरण योग्य लाभ होने के बावजूद, उन्होंने कोई लाभांश घोषित नहीं किया है। यह सिफारिश की जाती है कि राज्य सरकार निदेशक मंडल में अपने नामितों के माध्यम से मामले को उठाए।

II. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की पर्यवेक्षण भूमिका

31 मार्च 2020 तक, नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राज्य सरकार की 28 कंपनियां और राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन छः अन्य कंपनियां थीं। इनमें से, राज्य सरकार की 27 कंपनियों और राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन पांच अन्य कंपनियों से 2019-20 के लेखे देय थे। नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षा हेतु वर्ष 2019-20 के लिए कुल नौ सरकारी कंपनियों और राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन एक अन्य कंपनी ने अपने लेखे 31 दिसंबर 2020 को या उससे पहले प्रस्तुत किए। इनमें से राज्य सरकार की सात कंपनियों तथा राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित एक अन्य कंपनी के लेखों की समीक्षा नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षा में की गई थी। राज्य सरकार की 18 कंपनियों तथा राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित चार अन्य कंपनियों के लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे।

(अनुच्छेद 3.3.2 तथा 3.5.1)

राज्य सरकार की कंपनियों की वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां जारी की गईं, जिनका वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता पर ₹ 108.21 करोड़ था और परिसंपत्तियों/देयताओं पर ₹ 478.86 करोड़ था।

(अनुच्छेद 3.5.2)

पूरक लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय रिपोर्टों में या रिपोर्टिंग प्रक्रिया में देखी गई अनियमितताओं और कमियों को सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए 'प्रबंधन पत्र' के माध्यम से चार एस.पी.एस.ई. के प्रबंधन को सूचित किया गया था।

(अनुच्छेद 3.7)

लेखाओं को अन्तिम रूप देने तथा उनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षाओं के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि किए गए निवेश और व्यय का उचित लेखा-जोखा रखा गया था और जिस उद्देश्य के लिए राशि का निवेश किया गया था, वह प्राप्त हो गया था। लेखाओं को अंतिम रूप देने में देरी से संबंधित कानूनों के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त धोखाधड़ी और सार्वजनिक धन का रिसाव भी हो सकता है। अत: यह सिफारिश की जाती है कि वार्षिक लेखाओं को निर्धारित समय के भीतर तैयार करके अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

III. कॉरपोरेट गवर्नेंस

कॉरपोरेट गवर्नेंस की समीक्षा में विभिन्न विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत 22 एस.पी.एस.ई. शामिल हैं। कॉरपोरेट गवर्नेंस के बारे में कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी नियम, 2014 के प्रावधान, यद्यपि अनिवार्य हैं, कुछ एस.पी.एस.ई. द्वारा इनका अनुपालन नहीं किया जा रहा था। वर्ष के दौरान निर्धारित दिशानिर्देशों से निम्नलिखित महत्वपूर्ण विचलन देखे गए थे:

- नौ एस.पी.एस.ई. में, स्वतंत्र निदेशकों ने न तो बोर्ड की बैठकों में और न ही सामान्य बैठकों में भाग लिया।

(अनुच्छेद 4.3.4 तथा 4.3.5)

- तीन एस.पी.एस.ई. में स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठकें आयोजित नहीं की गई थीं।

(अनुच्छेद 4.3.6.1)

- चार एस.पी.एस.ई. में स्वतंत्र निदेशकों की रिक्तियों को समय पर नहीं भरा गया था। सात एस.पी.एस.ई. में प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की रिक्तियों को समय पर नहीं भरा गया था।

(अनुच्छेद 4.5)

- जबकि समीक्षाधीन 11 एस.पी.एस.ई. ने लेखापरीक्षा समिति का गठन किया, लेखापरीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या तीन एस.पी.एस.ई. में निर्धारित संख्या से कम थी।

(अनुच्छेद 4.6.1)

- हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जिसके बॉण्ड्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 का अनुपालन नहीं किया है।

(अनुच्छेद 4.6.3)

- पांच एस.पी.एस.ई. में कोई व्हीसल ब्लोअर मैकेनिज्म नहीं था।

(अनुच्छेद 4.8.1)

हरियाणा लोक उद्यम ब्यूरो को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए एक नीति तैयार करनी चाहिए जिसमें उनकी नियुक्ति के लिए प्रस्ताव शुरू करने की समय सीमा, बैठक फीस आदि सहित मानक नियम एवं शर्तें शामिल हों। हरियाणा सरकार कंपनी नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों पर दबाव डाले ताकि एस.पी.एस.ई. में कॉरपोरेट प्रशासन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

IV. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

2018-19 में 25 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (एस.पी.एस.ई.) में से 10 एस.पी.एस.ई. को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) गतिविधियों को करने की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा ने वर्ष 2019-20 के दौरान इन 10 एस.पी.एस.ई. द्वारा की गई सी.एस.आर. गतिविधियों की समीक्षा की। समीक्षा में निम्नलिखित महत्वपूर्ण अभ्युक्तियां की गईं थीं:

- दस एस.पी.एस.ई. में से छः ने अपनी सी.एस.आर. नीति तैयार की है और अन्य तीन में सी.एस.आर. नीति नहीं थी। एक एस.पी.एस.ई. ने अपनी सी.एस.आर. नीति तैयार की है लेकिन इसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। 10 में से आठ एस.पी.एस.ई. ने अपनी सी.एस.आर. समितियों का गठन किया था।

(अनुच्छेद 5.5.1 तथा 5.5.3)

- सी.एस.आर. गतिविधियों के लिए 10 एस.पी.एस.ई. में से 7 द्वारा परिकलित औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत ₹ 17.50 करोड़ था। इन एस.पी.एस.ई. ने पिछले वर्षों के लिए ₹ 11.16 करोड़ के कैरीओवर सहित सी.एस.आर. के लिए ₹ 28.66 करोड़ आवंटित किए। उसके विरूद्ध वास्तविक व्यय ₹ 21.37 करोड़ था।

(अनुच्छेद 5.6.1 तथा 5.6.2)

- हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा सोनीपत में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना पर ₹ 12.20 करोड़ के व्यय सहित रोजगार एवं कौशल विकास पर सबसे अधिक ध्यान (73 प्रतिशत) दिया गया, लेकिन शिक्षा, खेल, स्लम विकास और पर्यावरण स्थिरता उपेक्षित क्षेत्र बने रहे।

(अनुच्छेद 5.7.3)

- सभी सात एस.पी.एस.ई., जिन्होंने सी.एस.आर. नीति तैयार की थी, ने नीति में निगरानी तंत्र को निर्दिष्ट किया था।

(अनुच्छेद 5.8)

यह सिफारिश की जाती है कि मानदंडों को पूरा करने वाले सभी एस.पी.एस.ई. को अपनी सी.एस.आर. नीति तैयार करनी चाहिए और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और सी.एस.आर. नियमों के अनुपालन में सी.एस.आर. समिति का गठन करना चाहिए।

V. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन का प्रभाव

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय आर्थिक और कानूनी परिवेश को ध्यान में रखते हुए भारतीय लेखांकन मानकों को अधिसूचित किया। ये भारतीय लेखांकन मानक अनिवार्य रूप से कंपनियों के निर्धारित वर्ग द्वारा 1 अप्रैल 2016 से अपनाए जाने थे। लेखापरीक्षा का उद्देश्य भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन के चरण I और II का अध्ययन करना था ताकि यह निर्धारण किया जा सके कि क्या राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एस.पी.एस.ई.) द्वारा भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाते समय भारतीय लेखांकन मानकों के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन किया गया था और एस.पी.एस.ई. की वित्तीय विवरणियों पर इनका क्या प्रभाव पड़ा।

अध्ययन में उन सात एस.पी.एस.ई. को शामिल किया गया, जिन्हें 2016-17 के दौरान चरण I और II में भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाना अपेक्षित था, जिसके निम्नलिखित प्रभाव थे:

- भारतीय लेखांकन मानक पहली बार अपनाने वाले को अपनी संपत्ति, संयंत्रों एवं उपकरणों (पी.पी.ई.) और अमूर्त परिसंपत्तियों की इनके वहन मूल्य के साथ जारी रखने के लिए चुनाव करने की अनुमति देता है। छः एस.पी.एस.ई. ने भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन की तिथि के अनुसार अपने पी.पी.ई. और अमूर्त संपत्ति के वहन मूल्य को जारी रखने का विकल्प चुना।

(अनुच्छेद 6.4)

- हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड और हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने कर-पश्चात लाभ (पी.ए.टी.) में क्रमशः ₹ 6.82 करोड़ और ₹ 177.42 करोड़ की कमी दर्ज की, जबकि हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ने भारतीय लेखांकन मानक को अपनाने के कारण पी.ए.टी. में ₹ 94.42 करोड़ की वृद्धि दर्ज की। भारतीय लेखांकन मानक को अपनाने के परिणामस्वरूप राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों और देयताओं की विभिन्न मदों के मूल्यांकन में परिवर्तन उद्यम के पी.ए.टी. को भौतिक रूप से प्रभावित करते हैं।

(अनुच्छेद 6.6.1)

- जबकि हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के राजस्व में क्रमशः ₹ 18.72 करोड़ और ₹ 0.09 करोड़ की वृद्धि देखी गई, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के संबंध में राजस्व में ₹ 16.89 करोड़ की कमी देखी गई।

(अनुच्छेद 6.6.2)

- जबकि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड और हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में कुल संपत्ति के मूल्य में क्रमशः ₹ 2,054.02 करोड़ और ₹ 203.32 करोड़ की वृद्धि देखी गई, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में परिसंपत्तियों के कुल मूल्य में ₹ 5.73 करोड़ की कमी देखी गई।

(अनुच्छेद 6.6.3)

- भारतीय लेखांकन मानक को अपनाने के परिणामस्वरूप तीन एस.पी.एस.ई. के निवल मूल्य में ₹ 439.90 करोड़ की कमी आई। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में निवल मूल्य में अधिकतम ₹ 339.81 करोड़ की कमी देखी गई थी।

(अनुच्छेद 6.6.4)

प्रस्तावना

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की कार्यप्रणाली

प्रस्तावना

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की कार्यप्रणाली

सामान्य

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एस.पी.एस.ई.) में सरकारी कंपनियां एवं सांविधिक निगम सम्मिलित होते हैं। एस.पी.एस.ई. लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए स्थापित किए जाते हैं और ये राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 31 मार्च 2020 तक, हरियाणा में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 34 सरकारी कंपनियों (पांच[1] निष्क्रिय[2] सरकारी कंपनियां) और दो सांविधिक निगमों[3] सहित कुल 36 एस.पी.एस.ई. थे। दो एस.पी.एस.ई.[4] स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थे। इस प्रतिवेदन में उन सात एस.पी.एस.ई. के परिणाम शामिल नहीं हैं जो निष्क्रिय/परिसमापन के अधीन थीं या जिनके प्रथम लेखे[5] प्राप्त नहीं हुए थे। शेष 29 एस.पी.एस.ई. से संबंधित आंकड़े 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त उनके नवीनतम लेखाओं पर आधारित हैं।

2. 31 दिसंबर 2020 को अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के आधार पर एस.पी.एस.ई. का वित्तीय निष्पादन इस रिपोर्ट में शामिल है। एस.पी.एस.ई. की प्रकृति और लेखाओं की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 1: रिपोर्ट में शामिल एस.पी.एस.ई. की प्रकृति

एस.पी.एस.ई. की प्रकृति	एस.पी.एस.ई. की कुल संख्या	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्राप्त लेखाओं की संख्या						एस.पी.एस.ई. की संख्या जिनके लेखे 31 दिसंबर 2020 तक बकाया (बकाया कुल लेखे) हैं
		2019-20 के लेखे	2018-19 के लेखे	2017-18 के लेखे	2016-17 के लेखे	2015-16 के लेखे	कुल	
सरकारी कंपनियां	28	9	8	3	4	2	26	18(30)
सांविधिक निगम	2	0	2	0	0	0	2	2(2)
सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां	6	1	1	0	0	0	2	4(7)
कुल कार्यरत एस.पी.एस.ई.	**36**	**10**	**11**	**3**	**4**	**2**	**30**	**24(39)**

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा में प्राप्त वार्षिक वित्तीय विवरणों से संकलित।

---

1 हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड, हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड, हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम, हरियाणा खनिज लिमिटेड तथा सौर ऊर्जा निगम हरियाणा लिमिटेड।

2 निष्क्रिय एस.पी.एस.ई. वे हैं जिन्होंने अपने परिचालन बंद कर दिए हैं।

3 हरियाणा राज्य भण्डारण निगम तथा हरियाणा वित्तीय निगम।

4 हरियाणा वित्तीय निगम और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड।

5 फरीदाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड और करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड।

21 कार्यरत एस.पी.एस.ई. ने अपने नवीनतम अंतिमकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 975.78 करोड़ का लाभ अर्जित किया और आठ एस.पी.एस.ई. ने ₹ 38.10 करोड़ का घाटा उठाया।

उत्तरदायित्व की रूपरेखा

3. सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रियाएँ कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013) की धारा 139 और 143 में निर्धारित की गई हैं। अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) के अनुसार, एक सरकारी कंपनी का तात्पर्य ऐसी कंपनी से है, जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत प्रदत्त शेयर पूंजी, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है तथा इसमें सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी भी शामिल होती है। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.), कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और (7) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी और सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) में यह प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष के आरंभ से 180 दिन की अवधि के भीतर सरकारी कंपनी या सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षकों को नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त किया जाना है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (7) में यह प्रावधान है कि सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में, पहले लेखापरीक्षक को नि.म.ले.प. द्वारा कंपनी के पंजीकरण की तारीख से साठ दिनों के भीतर नियुक्त किया जाना है और यदि नि.म.ले.प. उक्त अवधि के भीतर इस तरह के लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं करते हैं, तो कंपनी के निदेशक मंडल या कंपनी के सदस्यों को इस तरह के लेखापरीक्षक की नियुक्ति करनी होती है।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा 7 के अनुसार, नि.म.ले.प., धारा 139 की उप-धारा (5) या उप-धारा (7) के अंतर्गत आवृत्त किसी भी कंपनी के मामले में, यदि आवश्यक समझें, तो एक आदेश द्वारा, ऐसी कंपनी के लेखाओं की परीक्षण लेखापरीक्षा करवा सकते हैं और ऐसी परीक्षण लेखापरीक्षा की रिपोर्ट पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 ए के प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकार, केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से तथा केंद्रीय सरकार द्वारा आंशिक रूप से और एक अथवा एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त या नियंत्रित सरकारी कंपनी या कोई अन्य कंपनी नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन है।

सांविधिक लेखापरीक्षा

4. सरकारी कंपनियों (अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित) की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) अथवा (7) के प्रावधानों के अनुसार नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत कंपनी के वित्तीय

विवरणों सहित अन्य बातों के साथ नि.म.ले.प. को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति प्रस्तुत करते हैं। ये वित्तीय विवरण अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नि.म.ले.प. द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के अधीन हैं। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। हरियाणा राज्य भण्डारण निगम तथा हरियाणा वित्तीय निगम के संबंध में लेखापरीक्षा चार्टर्ड लेखाकारों द्वारा की जाती है तथा पूरक लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. द्वारा की जाती है।

एस.पी.एस.ई. द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

लेखाओं को समय पर अंतिम रूप देने और प्रस्तुत करने की आवश्यकता

5. अधिनियम 2013 की धारा 394 और 395 के अनुसार, एक सरकारी कंपनी के कामकाज और मामलों की वार्षिक रिपोर्ट, इसकी वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) के तीन महीने के भीतर तैयार की जानी होती है और तैयार होने के बाद नि.म.ले.प. द्वारा बनाए गए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा उन पर किन्हीं टिप्पणियों या पूरक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति के साथ सदन या विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने होते हैं। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान मौजूद हैं। यह यंत्रावली राज्य की समेकित निधि से कंपनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करती है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों के साथ वार्षिक आम बैठक करनी अपेक्षित है और वह वार्षिक आम बैठक पिछली/अंतिम वार्षिक आम बैठक के 15 महीने के भीतर आयोजित की जाती है।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम, 2013 की धारा 129 में प्रावधान है कि संबंधित वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी को उक्त ए.जी.एम. में उनके विचार के लिए रखा जाना चाहिए। अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) में अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए जिम्मेदार कंपनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर जुर्माना और कारावास की सजा का प्रावधान है।

सरकार और विधानमंडल की भूमिका

6. राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से इन एस.पी.एस.ई. के मामलों पर नियंत्रण रखती है। बोर्ड के मुख्य कार्यकारी और निदेशक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

राज्य विधानमंडल एस.पी.एस.ई. में सरकारी निवेश के लेखांकन और उपयोग पर भी नज़र रखता है। इसके लिए, अधिनियम 2013 की धारा 394 के अंतर्गत अथवा संबंधित अधिनियमों में निर्धारितानुसार राज्य सरकार की कंपनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों

के प्रतिवेदनों और नि.म.ले.प. की टिप्पणियों के साथ वार्षिक प्रतिवेदन और सांविधिक निगमों के मामले में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए। नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन नि.म.ले.प. के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 ए के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के समक्ष रखने के लिए सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं।

हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के एस.पी.एस.ई. में निवेश

7. हरियाणा सरकार का एस.पी.एस.ई. में महत्वपूर्ण वित्तीय हिस्सा है। ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं:

- **शेयर पूंजी और ऋण** - शेयर पूंजी योगदान के अलावा, हरियाणा सरकार समय-समय पर एस.पी.एस.ई. को ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

- **विशेष वित्तीय सहायता** - हरियाणा सरकार जरूरत पड़ने पर एस.पी.एस.ई. को अनुदान और परिदान के माध्यम से बजटीय सहायता प्रदान करती है।

- **गारंटी** - हरियाणा सरकार वित्तीय संस्थानों से एस.पी.एस.ई. द्वारा प्राप्त ऋण के ब्याज सहित पुनर्भुगतान की गारंटी भी देती है।

8. 31 मार्च 2020 को एस.पी.एस.ई. में हरियाणा सरकार के निवेश का क्षेत्रवार सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका 2: एस.पी.एस.ई. में हरियाणा सरकार का क्षेत्रवार निवेश

सैक्टर का नाम	कार्यरत सरकारी कंपनियां	कार्यरत सांविधिक निगम	कुल	निवेश (₹ करोड़ में)		
				इक्विटी	दीर्घावधि ऋण	कुल
विद्युत	4	0	4	35,128.48	8.65	35,137.13
वित्त	4	1	5	302.22	0	302.22
सेवा	10	0	10	67.02	0	67.02
मूलभूत संरचना	5	0	5	211.18	324.68	535.86
अन्य	4	1	5	9.78	8.15	17.93
कुल	**27**	**2**	**29**	**35,718.68**	**341.48**	**36,060.16**

स्रोत: एस.पी.एस.ई. से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा एस.पी.एस.ई. निवेश का जोर मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र पर था। विद्युत क्षेत्र को कुल ₹ 36,060.16 करोड़ के निवेश में से ₹ 35,137.13 करोड़ (97.44 प्रतिशत) का सरकारी निवेश प्राप्त हुआ।

तथापि, 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में संसाधित हरियाणा सरकार के निवेश से अन्येतर निवेश सहित कुल निवेश नीचे दिए गए चार्ट में दिखाया गया है:

चार्ट 1: एस.पी.एस.ई. में क्षेत्रवार निवेश

(आंकड़े ₹ करोड़ में)

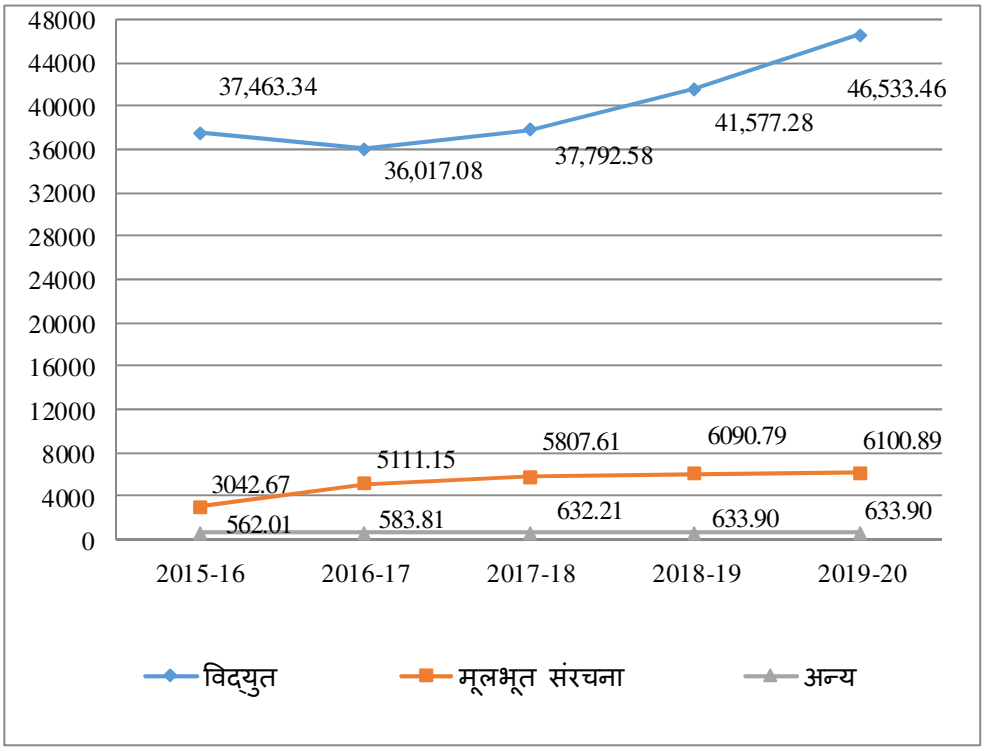

विद्युत क्षेत्र में निवेश के उच्च स्तर को ध्यान में रखते हुए, हम अध्याय-1 में विद्युत क्षेत्र के चार एस.पी.एस.ई. की कार्य पद्धति की पेन पिक्चर प्रस्तुत कर रहे हैं।

इस प्रतिवेदन में निम्नानुसार छः अध्याय हैं:

अध्याय-1: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र) का वित्तीय निष्पादन

अध्याय-2: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) का वित्तीय निष्पादन

अध्याय-3: नि.म.ले.प. की पर्यवेक्षण भूमिका

अध्याय-4: कॉरपोरेट गवर्नेंस

अध्याय-5: कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

अध्याय-6: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन का प्रभाव

इस प्रतिवेदन पर 20 जुलाई 2021 को एग्जिट कांफ्रेंस में अपर मुख्य सचिव (वित्त)-सह-प्रशासनिक सचिव, लोक उद्यम ब्यूरो, हरियाणा और संबंधित एस.पी.एस.ई. के प्रबंध निदेशकों/प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई थी। सरकार और एस.पी.एस.ई. के प्रबंधन के दृष्टिकोण पर विधिवत विचार किया गया है और उचित रूप से प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

अध्याय-1

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र) का वित्तीय निष्पादन

अध्याय 1

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र) का वित्तीय निष्पादन

1.1 प्रस्तावना

31 मार्च 2020 को राज्य में विद्युत क्षेत्र के पांच एस.पी.एस.ई. (चार[1] कार्यरत एस.पी.एस.ई. और एक[2] निष्क्रिय एस.पी.एस.ई.) थे। नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत चार कार्यरत एस.पी.एस.ई. में हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (उत्पादन), हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (प्रसारण), उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (वितरण) शामिल हैं। विद्युत क्षेत्र के सभी चार कार्यरत एस.पी.एस.ई. के वित्तीय निष्पादन को इस अध्याय में शामिल किया गया है। वर्ष 2019-20 के लिए विद्युत क्षेत्र के सभी चार कार्यरत एस.पी.एस.ई. के वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

विद्युत क्षेत्र के एस.पी.एस.ई. के वित्तीय निष्पादन का सार

एस.पी.एस.ई. की संख्या	4
कवर किए गए एस.पी.एस.ई.	4
प्रदत्त पूंजी	₹ 36,257.75 करोड़
हरियाणा सरकार का इक्विटी निवेश	₹ 35,128.48 करोड़
दीर्घावधि ऋण	₹ 10,275.71 करोड़
निवल लाभ	₹ 640.52 करोड़
लाभांश घोषित	शून्य
कुल संपत्ति	₹ 39,522.35 करोड़
टर्नओवर	₹ 33,262.31 करोड़
निवल मूल्य#	₹ 8,187.36 करोड़

स्रोत: विद्युत क्षेत्र के एस.पी.एस.ई. के वार्षिक वित्तीय विवरणों पर आधारित संकलन।

निवल मूल्य का अर्थ है प्रदत्त पूंजी और आरक्षित एवं अधिशेष घटा संचित हानि और आस्थगित राजस्व व्यय।

विद्युत क्षेत्र के एस.पी.एस.ई. के टर्नओवर का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) से अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में इन एस.पी.एस.ई. की गतिविधियों के योगदान को दर्शाता है। नीचे दी गई तालिका मार्च 2020 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों की अवधि के लिए हरियाणा के विद्युत क्षेत्र के एस.पी.एस.ई. और स.रा.घ.उ. के टर्नओवर का विवरण प्रदान करती है।

तालिका 1.1: हरियाणा के स.रा.घ.उ. की तुलना में विद्युत क्षेत्र के एस.पी.एस.ई. के टर्नओवर का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
टर्नओवर	29,475.63	32,169.09	34,370.70	36,818.34	33,262.31
हरियाणा का स.रा.घ.उ.	4,92,656.90	4,34,607.93	6,08,470.73	7,07,126.33	8,31,610.21

[1] हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड।

[2] सौर ऊर्जा निगम हरियाणा लिमिटेड।

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
हरियाणा के स.रा.घ.उ. से टर्नओवर की प्रतिशतता	5.98	7.40	5.65	5.21	4.00

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष-दर-वर्ष तुलना के लिए संबंधित वर्षों (उन्नत अनुमान) की वर्तमान कीमतों पर आपूरित सूचना के अनुसार विद्युत क्षेत्र के एस.पी.एस.ई. के टर्नओवर के आंकड़ों और स.रा.घ.उ. के आंकड़ों पर आधारित संकलन।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ने बताया (जुलाई 2021) कि हरियाणा के स.रा.घ.उ. में एस.पी.एस.ई. के अंशदान में गिरावट चिंता का विषय था और उन्होंने इच्छा प्रकट की कि एस.पी.एस.ई. इसके कारणों का विश्लेषण करें।

राज्य में बिजली की मांग, उपलब्धता और आपूर्ति की स्थिति

1.1.1 2015-16 से 2019-20 के दौरान बिजली की अधिकतम मांग, इसकी उपलब्धता और राज्य की अपनी बिजली उत्पादन उपयोगिता, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एच.पी.जी.सी.एल.) की हिस्सेदारी नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 1.2: एच.पी.जी.सी.एल. द्वारा विद्युत उत्पादन का विवरण

वर्ष	एच.पी.जी.सी.एल. की स्थापित क्षमता (मेगावाट में)	अधिकतम मांग (मेगावाट में)	बिजली की उपलब्धता (मेगावाट में)	अधिकतम मांग से ऊपर जुड़ी अतिरिक्त बिजली की प्रतिशतता	कुल बिजली आपूर्ति (एम.यू. में)	एच.पी.जी.सी.एल. द्वारा आपूरित बिजली (एम.यू. में)	कुल आपूर्ति में एच.पी.जी.सी.एल. की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)
2015-16	2,782.40	9,113	11,294.47	23.94	50,900	9,796	19.25
2016-17	2,792.40	9,262	11,332.42	22.35	51,264	8,885	17.33
2017-18	2,792.40	9,671	11,442.42	18.32	54,735	10,084	18.42
2018-19	2,792.40	10,270	12,181.42	18.61	56,994	9,983	17.52
2019-20	2,582.40[3]	11,030	11,950.70	8.35	55,160	6,766	12.27

स्रोत: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की लोड जेनरेशन बैलेंस रिपोर्ट, एच.पी.जी.सी.एल. के वार्षिक लेखे और हरियाणा बिजली खरीद केंद्र द्वारा आपूर्ति डाटा।

राज्य ने अपनी अधिकतम मांग से भी अधिक बिजली के लिए बिजली खरीद समझौते किए है, जिससे हरियाणा एक बिजली अधिशेष राज्य बन गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य में कुल बिजली आपूर्ति में एच.पी.जी.सी.एल. का हिस्सा लगातार कम हो रहा है क्योंकि अन्य बिजली उत्पादकों जैसे कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और निजी बिजली उत्पादकों, जिनके साथ राज्य ने बिजली खरीद के लिए करार किया है, की तुलना में इसकी उच्च परिवर्तनीय लागत है।

1.2 विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. में निवेश

31 मार्च 2020 के अंत तक चार विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. में इक्विटी और ऋण में निवेश की राशि तालिका 1.3 में दर्शाई गई है:

[3] थर्मल पावर स्टेशन, पानीपत में यूनिट नंबर V (210 मेगावाट) के बंद होने के कारण स्थापित क्षमता में कमी आई थी।

तालिका 1.3: विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई.में इक्विटी निवेश और ऋण

(₹ करोड़ में)

निवेश के स्रोत	31 मार्च 2019 तक			31 मार्च 2020 तक		
	इक्विटी	दीर्घावधि ऋण	कुल	इक्विटी	दीर्घावधि ऋण	कुल
राज्य सरकार	29,303.48	11.36	29,314.84	35,128.48	8.65	35,137.13
राज्य सरकार की कंपनियां/निगम	1,129.27	1,580.97	2,710.24	1,129.27[4]	1,040.07	2,169.34
वित्तीय संस्थान और अन्य	शून्य	9,552.20	9,552.20	शून्य	9,226.99	9,226.99
कुल	**30,432.75**	**11,144.53**	**41,577.28**	**36,257.75**	**10,275.71**	**46,533.46**
कुल निवेश से राज्य सरकार के निवेश की प्रतिशतता	96.29	0.10	70.51	96.89	0.08	75.51

स्रोत: एस.पी.एस.ई. द्वारा अंतिमकृत लेखाओं पर आधारित संकलन।

हरियाणा सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से विद्युत क्षेत्र के उद्यमों को विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2020 को समाप्त गत तीन वर्षों के लिए विद्युत क्षेत्र के एस.पी.एस.ई. के संबंध में इक्विटी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, बट्टे खाते में डाले गए ऋण और इक्विटी में परिवर्तित ऋण के लिए बजटीय निर्गम का सारांश निम्नानुसार है:

तालिका 1.4: गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र के एस.पी.एस.ई. को बजटीय सहायता के विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18		2018-19		2019-20	
	एस.पी.एस.ई. की संख्या	राशि	एस.पी.एस.ई. की संख्या	राशि	एस.पी.एस.ई. की संख्या	राशि
इक्विटी पूंजी (i)	4	10,644.44[5]	4	13,302.48[6]	4	5,825.00
दिए गए ऋण (ii)	3	550.70	2	52.84	1	108.74
प्रदान किए गए अनुदान/सब्सिडी[7] (iii)	0	0.00	2	18.56	0	0.00
कुल व्यय (i+ii+iii)		**11,195.14**		**13,373.88**		**5,933.74**
ऋण चुकौती	-	-	4	5,494.92	4	487.41
इक्विटी में परिवर्तित ऋण	-	-	3	5,531.99	3	5,190.00
जारी गारंटी	3	263.18	3	1,120.59	2	1,406.16
गारंटी प्रतिबद्धता	4	4,204.17	3	1,758.09	2	3,803.34

स्रोत: एस.पी.एस.ई. द्वारा अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के आधार पर संकलन।

1.2.1 इक्विटी में निवेश

विद्युत क्षेत्र के चार एस.पी.एस.ई. में इक्विटी के अंकित मूल्य पर कुल निवेश में 2019-20 के दौरान ₹ 5,825 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज की गई। पूरी राशि का योगदान राज्य सरकार द्वारा किया गया था। एस.पी.एस.ई. में इक्विटी के अतिरिक्त निवेश के प्रयोजन की लेखापरीक्षा समीक्षा से पता चला कि ₹ 5,825 करोड़ में से ₹ 5,190 करोड़ उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बिजली वितरण कंपनियों को दिए गए ऋण के परिवर्तन के कारण था। ऋण का इक्विटी में परिवर्तन इस संबंध में निष्पादित

[4] हरियाणा वित्तीय निगम: ₹ 145 करोड़ और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड: ₹ 984.27 करोड़।

[5] इसमें वर्ष 2017-18 के लिए उदय योजना के अंतर्गत प्राप्त इक्विटी अर्थात ₹ 5,190 करोड़ शामिल हैं।

[6] इसमें ₹ 7,785 करोड़ का अनुदान भी शामिल है जिसे वर्ष 2018-19 के दौरान इक्विटी में परिवर्तित किया गया था।

[7] इसमें 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान राज्य सरकार से प्राप्त क्रमशः ₹ 4,864 करोड़, ₹ 7,351.72 करोड़ और ₹ 6,991.25 करोड़ की आर.ई. सब्सिडी शामिल नहीं है।

त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन की भावना के विरुद्ध था, क्योंकि वर्ष के दौरान देय 75 प्रतिशत राशि को अनुदान में और 25 प्रतिशत राशि को इक्विटी[8] में परिवर्तित करने के बजाय संपूर्ण राशि को इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया था। राज्य के वित्त पर इसका प्रभाव यह होता है कि पूंजीगत व्यय का अधिक विवरण होता है और परिणामस्वरूप राजस्व व्यय का कम विवरण होता है। इसके परिणामस्वरूप राज्य के राजस्व घाटे को भी कम बताया गया।

इन विद्युत क्षेत्र के उद्यमों में 31 मार्च 2020 तक गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार और अन्य द्वारा इक्विटी में निवेश को नीचे चार्ट 1.1 में दर्शाया गया है;

चार्ट 1.1: विद्युत क्षेत्र के एस.पी.एस.ई. में इक्विटी में निवेश

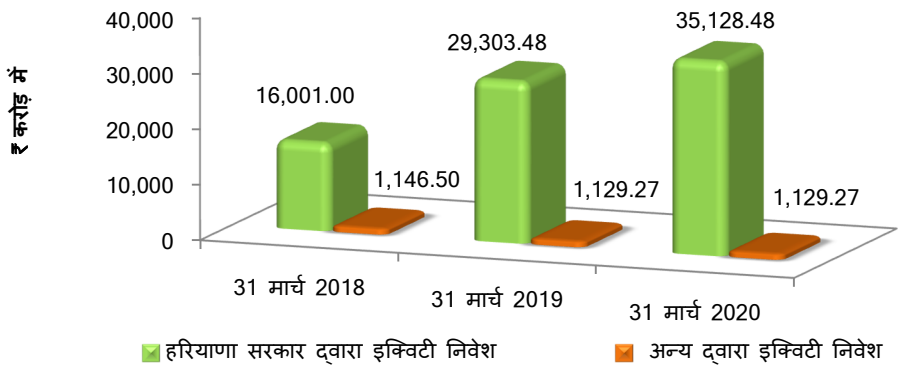

1.2.2 विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. को दिए गए ऋण

1.2.2.1 31 मार्च 2020 तक बकाया दीर्घावधि ऋणों का परिकलन

31 मार्च 2020 तक सभी स्रोतों से चार विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. में बकाया कुल दीर्घावधि ऋण ₹ 10,275.71 करोड़ था। 31 मार्च 2020 तक इन एस.पी.एस.ई. के दीर्घावधि ऋणों में 31 मार्च 2019 की तुलना में ₹ 868.82 करोड़ की कमी दर्ज की गई। 31 मार्च 2020 तक बकाया कुल ऋणों में से राज्य सरकार से केवल ₹ 8.65 करोड़ (0.08 प्रतिशत) के ऋण थे। विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. के बकाया दीर्घावधि ऋणों का वर्षवार विवरण चार्ट 1.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2: विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. में बकाया दीर्घावधि ऋण

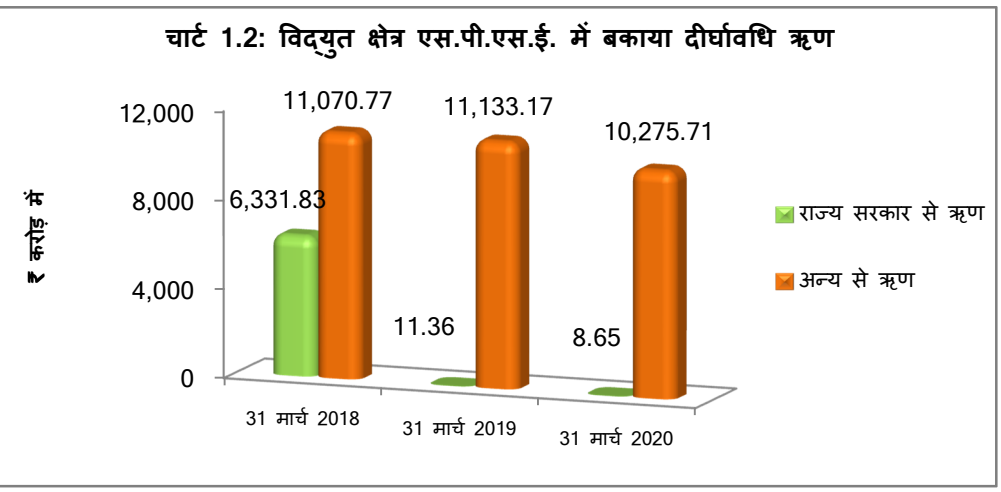

[8] पैराग्राफ संख्या 2.4.3.2 (v) - हरियाणा सरकार के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना का कार्यान्वयन भी संदर्भित करता है।

1.2.2.2 ऋण देयताओं को पूरा करने के लिए परिसंपत्तियों की पर्याप्तता

कुल परिसंपत्तियों से कुल ऋण का अनुपात यह निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियों में से एक है कि क्या कोई कंपनी शोधन-क्षम रह सकती है। शोधन-क्षम माने जाने हेतु किसी इकाई की संपत्ति का मूल्य उसके ऋणों/उधारों की राशि से अधिक होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र के चार एस.पी.एस.ई., जिनके पास 31 मार्च 2020 तक बकाया ऋण थे, में कुल परिसंपत्तियों के मूल्य द्वारा दीर्घावधि ऋणों का कवरेज तालिका 1.5 में दिया गया है।

तालिका 1.5: कुल परिसंपत्तियों के साथ दीर्घावधि ऋण का कवरेज

एस.पी.एस.ई. के नाम	परिसंपत्तियां (₹ करोड़ में)	दीर्घावधि ऋण (₹ करोड़ में)	ऋण हेतु परिसंपत्तियों के अनुपात
हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड (एच.पी.जी.सी.एल.)	7,874.14	573.64	13.73:1
हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एच.वी.पी.एन.एल.)	11,177.08	4,339.71	2.58:1
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डी.एच.बी.वी.एन.एल.)	11,435.49	3,064.26	3.73:1
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू.एच.बी.वी.एन.एल.)	9,035.64	2,298.10	3.93:1

स्रोत: एस.पी.एस.ई. द्वारा अंतिमकृत लेखाओं पर आधारित संकलन।

कुल परिसंपत्तियों का मूल्य सभी चार एस.पी.एस.ई. में बकाया ऋण से अधिक था।

1.2.2.3 ब्याज कवरेज

ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग किसी कंपनी की बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना ब्याज और करों से पहले कंपनी की कमाई (ई.बी.आई.टी.) को उसी अवधि के ब्याज खर्चों से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होता है, कंपनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होती है। एक से नीचे का ब्याज कवरेज अनुपात इंगित करता है कि कंपनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व सृजित नहीं कर रही थी। 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान एस.पी.एस.ई. के ब्याज कवरेज अनुपात के विवरण तालिका 1.6 में दिए गए हैं:

तालिका 1.6: विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. में ब्याज कवरेज अनुपात

एस.पी.एस.ई. के नाम	2017-18			2018-19			2019-20		
	ब्याज लागत (₹ करोड़ में)	ई.बी.आई.टी. (₹ करोड़ में)	ब्याज कवरेज अनुपात	ब्याज लागत (₹ करोड़ में)	ई.बी.आई.टी. (₹ करोड़ में)	ब्याज कवरेज अनुपात	ब्याज लागत (₹ करोड़ में)	ई.बी.आई.टी. (₹ करोड़ में)	ब्याज कवरेज अनुपात
एच.पी.जी.सी.एल.	306.72	629.60	2.05	252.89	1003.76	3.97	183.41	457.63	2.50
एच.वी.पी.एन.एल.	430.58	964.83	2.24	381.51	838.64	2.20	379.98	600.55	1.58
यू.एच.बी.वी.एन.एल.	1156.48	1434.72	1.24	885.85	1071.56	1.21	606.42	824.14	1.36
डी.एच.बी.वी.एन.एल.	779.91	914.03	1.17	541.74	636.97	1.18	351.96	465.63	1.32

स्रोत: एस.पी.एस.ई. द्वारा अंतिमकृत लेखाओं पर आधारित संकलन।

यह देखा गया कि सभी विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. का औसत ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक था जो इन एस.पी.एस.ई. में दिवालियापन के कम जोखिम को इंगित करता है।

1.2.2.4 राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज

राज्य सरकार के ऋणों पर ब्याज का कोई अतिदेय भुगतान नहीं था।

1.3 सरकारी कंपनियों में निवेश पर रिटर्न

1.3.1 विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. द्वारा अर्जित लाभ

विद्युत क्षेत्र के सभी चार एस.पी.एस.ई. ने 2018-19 और 2019-20 में लाभ अर्जित किया। हालांकि, अर्जित लाभ 2018-19 में ₹ 687.91 करोड़ से घटकर 2019-20 में ₹ 640.52 करोड़ हो गया। 2018-19 के दौरान धनात्मक निवल मूल्य वाले दो[9] एस.पी.एस.ई. के संबंध में इक्विटी पर रिटर्न[10] (आर.ओ.ई.) 5.63 प्रतिशत था। 2019-20 के दौरान, सभी चार एस.पी.एस.ई. का निवल मूल्य धनात्मक था और उनका आर.ओ.ई. 7.82 प्रतिशत था। विद्युत क्षेत्र के एस.पी.एस.ई. के सारांशित वित्तीय परिणाम ***परिशिष्ट 1 ए*** में दर्शाए गए हैं। 2017-20 की अवधि के दौरान धनात्मक निवल मूल्य वाले विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. का निष्पादन और इक्विटी पर उनके रिटर्न चार्ट-1.3 में दर्शाए गए हैं:

चार्ट 1.3: गत 3 वर्षों के दौरान सकारात्मक निवल मूल्य वाले एस.पी.एस.ई. की संख्या और उनका आर.ओ.ई.

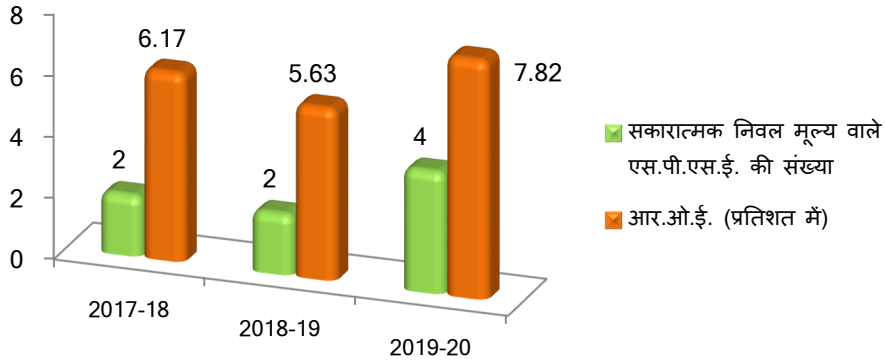

2018-19 के दौरान लाभ के एस.पी.एस.ई. वार योगदान को तालिका 1.7 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 1.7: 2019-20 के दौरान विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. द्वारा अर्जित लाभ में गतिविधि-वार योगदान

गतिविधि	एस.पी.एस.ई. का नाम	अर्जित निवल लाभ (₹ करोड़ में)	कुल विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई.लाभ से लाभ की प्रतिशतता
उत्पादन	एच.पी.जी.सी.एल.(ए)	247.76	38.68
प्रसारण	एच.वी.पी.एन.एल.(बी)	61.37	9.58
वितरण	यू.एच.बी.वी.एन.एल.	217.72	33.99
	डी.एच.बी.वी.एन.एल.	113.67	17.75
उप-योग (सी)		**331.39**	**51.74**
कुल योग (ए+बी+सी)		**640.52**	

स्रोत: एस.पी.एस.ई. द्वारा अंतिमकृत लेखाओं पर आधारित संकलन।

2019-20 के दौरान, विद्युत क्षेत्र के एस.पी.एस.ई. के ₹ 640.52 करोड़ के कुल लाभ का 51.74 प्रतिशत संघटित करते हुए ₹ 331.39 करोड़ के निवल लाभ का योगदान वितरण में

[9] एच.पी.जी.सी.एल. तथा एच.वी.पी.एन.एल.।

[10] इक्विटी पर रिटर्न = (कर/इक्विटी के बाद निवल लाभ) x 100, जहां इक्विटी = प्रदत्त पूंजी + मुक्त संचय - संचित हानियां - आस्थगित राजस्व व्यय।

लगे एस.पी.एस.ई. (यू.एच.बी.वी.एन.एल. और डी.एच.बी.वी.एन.एल.) द्वारा दिया गया था, जबकि 2018-19 में उन कंपनियों द्वारा 40.84 प्रतिशत का योगदान दिया गया था।

1.3.2 विद्युत क्षेत्र के एस.पी.एस.ई. द्वारा लाभांश का भुगतान

2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान, सभी विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. ने ₹ 61.37 करोड़ और ₹ 278.24 करोड़ के मध्य लाभ अर्जित किया। इस अवधि के दौरान चार विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. में राज्य सरकार की इक्विटी होल्डिंग, अर्जित लाभ और लाभांश भुगतान को तालिका 1.8 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.8: 2017-18 से 2019-20 के दौरान विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. का लाभांश भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल एस.पी.एस.ई. जहां हरियाणा सरकार द्वारा इक्विटी लगाई गई		एस.पी.एस.ई. जिन्होंने लाभ अर्जित किया		एस.पी.एस.ई. जिन्होंने लाभांश घोषित/ प्रदत्त किया		लाभांश भुगतान अनुपात (प्रतिशत में)
	एस.पी.एस.ई. की संख्या	हरियाणा सरकार द्वारा इक्विटी	एस.पी.एस.ई. की संख्या	अर्जित लाभ	एस.पी.एस.ई. की संख्या	घोषित/ प्रदत्त लाभांश	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)=(vii)/(v)*100
2017-18	4	16,001.00	4	794.66	-	-	-
2018-19	4	29,303.48	4	687.91	-	-	-
2019-20	4	35,128.49	4	640.52	-	-	-

स्रोत: एस.पी.एस.ई. द्वारा अंतिमकृत लेखाओं पर आधारित संकलन।

नवीनतम अंतिमकृत लेखाओं के अनुसार, 2019-20 के दौरान चार कार्यरत विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. ने ₹ 640.52 करोड़ (ब्याज और करों के बाद) का संचयी लाभ अर्जित किया। हालांकि, एच.पी.जी.सी.एल. और एच.वी.पी.एन.एल. इसके अतिरिक्त, 2019-20 के दौरान क्रमश: ₹ 247.76 करोड़ और ₹ 61.37 करोड़ का निवल लाभ कमा रहे हैं, ने 31 मार्च 2020 तक क्रमशः ₹ 409.23 करोड़ और ₹ 498.27 करोड़ की राशि के लाभ संचित किए।

राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति तैयार की (अक्तूबर 2003) जिसके अंतर्गत सभी राज्य एस.पी.एस.ई. को राज्य सरकार की प्रदत्त शेयर पूंजी पर न्यूनतम चार प्रतिशत रिटर्न का भुगतान करना अपेक्षित था। इस प्रकार, संचित लाभ होने के बावजूद, जिसका उपयोग लाभांश का भुगतान करने के लिए किया जा सकता था, एच.पी.जी.सी.एल. और एच.वी.पी.एन.एल. ने कोई लाभांश घोषित नहीं किया जिसके कारण वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार की लाभांश नीति का अनुपालन नहीं हुआ।

यह सिफारिश की जाती है कि राज्य सरकार निदेशक मंडल में अपने नामितों के माध्यम से मामले को उठाए।

1.3.3 विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. की इक्विटी पर रिटर्न

इक्विटी पर रिटर्न (आर.ओ.ई.) कंपनियों के वित्तीय निष्पादन का उपाय है, जिसकी गणना कंपनी की निवल आय को शेयरधारकों की इक्विटी से विभाजित करके की जाती है। 2019-20 के दौरान विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. के गतिविधि-वार आर.ओ.ई. को तालिका 1.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9: इक्विटी पर गतिविधि-वार रिटर्न

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	गतिविधि का नाम	2017-18 के दौरान आर.ओ.ई.	2018-19 के दौरान आर.ओ.ई.	2019-20 के दौरान आर.ओ.ई.
1	उत्पादन	7.79	6.54	7.08
2	प्रसारण	4.68	4.91	1.41
3	वितरण	-	-	101.92

स्रोत: एस.पी.एस.ई. द्वारा अंतिमकृत लेखाओं पर आधारित संकलन।

2017-18 और 2018-19 के दौरान वितरण गतिविधि के संबंध में आर.ओ.ई. की गणना नहीं की गई थी क्योंकि दो वर्षों में दोनों वितरण कंपनियों का निवल मूल्य ऋणात्मक था। इसके अतिरिक्त, वितरण गतिविधि के संबंध में 2019-20 में असाधारण उच्च आर.ओ.ई. उदय योजना के अंतर्गत दोनों वितरण कंपनियों में राज्य सरकार द्वारा इक्विटी निवेश के कारण था, जिसकी वजह से इन कंपनियों का निवल मूल्य धनात्मक निकला।

1.4 विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. की परिचालन क्षमता

1.4.1 उत्पादन का मूल्य

तीन वर्षों की अवधि में चार विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. के उत्पादन, कुल परिसंपत्तियों और नियोजित पूंजी[11] को इंगित करने वाला सार चार्ट 1.4 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.4: उत्पादन का मूल्य, परिसंपत्तियां और नियोजित पूंजी

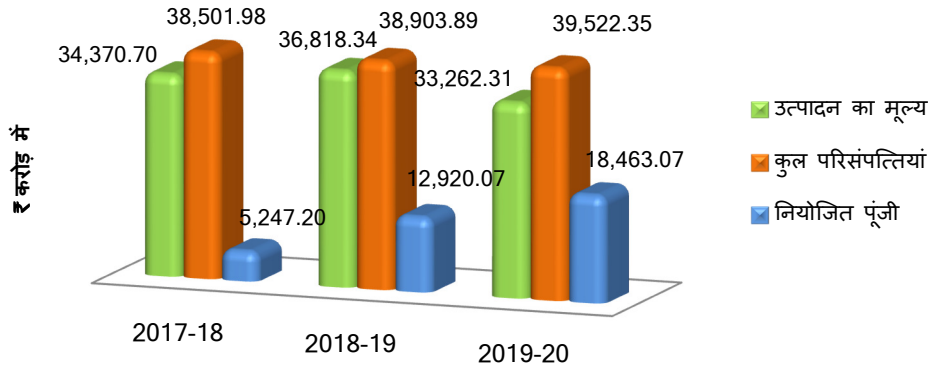

गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई.-वार उत्पादन का मूल्य, कुल परिसंपत्तियों और नियोजित पूंजी के विवरण तालिका 1.10 में दिए गए हैं।

तालिका 1.10: एस.पी.एस.ई.-वार उत्पादन का मूल्य, कुल परिसंपत्तियां और नियोजित पूंजी

(₹ करोड़ में)

एस.पी.एस.ई. का नाम	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपतियां	नियोजित पूंजी
2017-18			
एच.पी.जी.सी.एल.	5,277.48	7,886.55	4,787.39
एच.वी.पी.एन.एल.	2,006.57	10,751.82	7,847.40
यू.एच.बी.वी.एन.एल.	13,686.52	9,834.44	(-)3,972.85
डी.एच.बी.वी.एन.एल.	13,400.13	10,029.17	(-)3,414.74

[11] नियोजित पूंजी= प्रदत्त पूंजी + मुक्त संचय + दीर्घावधि ऋण - संचित हानियां - आस्थगित राजस्व व्यय।

एस.पी.एस.ई. का नाम	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपतियां	नियोजित पूंजी
2017-18			
कुल	**34,370.70**	**38,501.98**	**5,247.20**
2018-19			
एच.पी.जी.सी.एल.	5,462.60	7,780.53	4,422.83
एच.वी.पी.एन.एल.	2,154.41	10,968.78	8,601.12
यू.एच.बी.वी.एन.एल.	14,165.20	9,487.17	(-)422.44
डी.एच.बी.वी.एन.एल.	15,036.13	10,667.41	318.56
कुल	**36,818.34**	**38,903.89**	**12,920.07**
2019-20			
एच.पी.जी.सी.एल.	4,206.60	7,874.14	4,074.23
एच.वी.पी.एन.एल.	1,640.67	11,177.08	8,701.33
यू.एच.बी.वी.एन.एल.	13,447.41	9,035.64	2,480.42
डी.एच.बी.वी.एन.एल.	13,967.63	11,435.49	3,207.09
कुल	**33,262.31**	**39,522.35**	**18,463.07**

स्रोत: एस.पी.एस.ई. द्वारा अंतिमकृत लेखाओं पर आधारित संकलन।

इस अवधि के दौरान उत्पादन के मूल्य में कमी मुख्य रूप से एच.पी.जी.सी.एल. की उत्पादन इकाइयों[12] को उनके द्वारा उत्पन्न बिजली की कम मांग के कारण उत्पादन कम करने का आदेश देने के कारण हुई।

1.4.2 नियोजित पूंजी पर रिटर्न

नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आर.ओ.सी.ई.) एक अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिसके साथ उसकी पूंजी नियोजित है। आर.ओ.सी.ई. की गणना कंपनी की ब्याज और करों से पहले आय (ई.बी.आई.टी.) को नियोजित पूंजी द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. के आर.ओ.सी.ई. के विवरण तालिका 1.11 में दिए गए हैं।

तालिका 1.11: नियोजित पूंजी पर रिटर्न

वर्ष	ई.बी.आई.टी. (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	आर.ओ.सी.ई. (प्रतिशत में)
2017-18	3,943.18	5,247.20	75.15
2018-19	3,550.93	12,920.07	27.48
2019-20	2,347.95	18,463.07	12.72

स्रोत: एस.पी.एस.ई. द्वारा अंतिमकृत लेखाओं पर आधारित संकलन।

2017-18 के दौरान विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. का आर.ओ.सी.ई. मुख्य रूप से (i) राज्य सरकार द्वारा डिस्कॉम्ज के ऋण लेने के कारण कम ब्याज बोझ के कारण उच्च ई.बी.आई.टी. और (ii) उदय योजना के अंतर्गत राज्य सरकार से इक्विटी की प्राप्ति के परिणामस्वरूप 75.15 प्रतिशत अधिक था। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा अनुदान/ऋण को इक्विटी में बदलने के कारण 2018-19 और 2019-20 में इसमें कमी आई। एच.पी.जी.सी.एल. की उत्पादन इकाइयों में बिजली उत्पादन में कमी ने 2019-20 के दौरान आर.ओ.सी.ई. को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले विद्युत क्षेत्र के एस.पी.एस.ई. के ई.बी.आई.टी. को भी प्रभावित किया।

[12] एच.पी.जी.सी.एल. द्वारा उत्पादित यूनिट्स, जो 2017-18 और 2018-19 के दौरान क्रमशः 10,901.51 एम.यू. और 10,806.67 एम.यू. थीं, 2019-20 के दौरान घटकर 7,345.52 एम.यू. हो गई।

1.4.3 निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर रिटर्न

31 मार्च 2020 तक प्रत्येक वर्ष के अंत में निवेश की ऐतिहासिक लागत को इसके वर्तमान मूल्य (वर्तमान मूल्य) में लाने के उद्देश्य से विद्युत क्षेत्र के एस.पी.एस.ई. में राज्य सरकार द्वारा निवेश किए गए गत निवेशों/वर्ष-वार निधियों की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई थी:

- राज्य सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. में परिचालनात्मक, प्रशासनिक खर्चों के लिए इक्विटी एवं अनुदानों/सब्सिडी के रूप में वास्तविक निवेश को राज्य सरकार द्वारा निवेश के रूप में माना गया है।
- जहां विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. को ब्याज मुक्त ऋण दिया गया था और बाद में इक्विटी में बदल दिया गया था, इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज मुक्त ऋण की राशि से घटा दिया गया है और उस वर्ष की इक्विटी में जोड़ दिया गया है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य पर पहुंचने के लिए मिश्रित दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वे वर्ष के लिए निधियों के निवेश की दिशा में सरकार द्वारा वहन की गई लागत का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए इसे सरकार द्वारा किए गए निवेश पर रिटर्न की न्यूनतम अपेक्षित दर माना जाता है।
- राज्य सरकार के निवेश की वर्तमान मूल्य गणना के उद्देश्य से चार विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. में राज्य सरकार के निवेश पर विचार करने स्थापना से 2019-20 तक की अवधि ली गई है।

स्थापना से 2019-20 तक विद्युत क्षेत्र के एस.पी.एस.ई. में इक्विटी और अनुदान/सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार के निवेश के विवरण (ब्याज मुक्त ऋण और विनिवेश के कोई दृष्टांत नहीं थे) के साथ-साथ विद्युत क्षेत्र के एस.पी.एस.ई. में राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की समेकित स्थिति को तालिका 1.12 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.12: 1999-2000 से 2019-20 तक सरकारी निवेश का वर्तमान मूल्य (वास्तविक रिटर्न)

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी	परिचालन एवं प्रशासनिक व्यय के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान/ सब्सिडी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न	वर्ष की कुल कमाई	निवेश पर रिटर्न (प्रतिशत में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3)+(4)	(6)=(2)+(5)	(7)	(8)=(6)x(7)/ 100)+(6)	(9)=(6)x (7)/100)	(10)	(11)=(10)/ (8)*100
1999-2000		448.11	0.00	448.11	448.11	12.05	502.11	54.00	-445.55	-
2000-01	502.11	265.00	0.00	265.00	767.11	11.40	854.56	87.45	-221.63	-
2001-02	854.56	38.71	0.00	38.71	893.27	10.50	987.06	93.79	-182.55	-
2002-03	987.06	97.36	10.62	107.98	1,095.04	10.74	1,212.65	117.61	26.48	2.18
2003-04	1,212.65	112.27	64.24	176.51	1,389.16	10.20	1,530.85	141.69	239.68	15.66
2004-05	1,530.85	162.93	0.19	163.12	1,693.97	8.49	1,837.79	143.82	-371.08	-
2005-06	1,837.79	359.29	0.00	359.29	2,197.08	8.95	2,393.72	196.64	-377.65	-

वित्त वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी	परिचालन एवं प्रशासनिक व्यय के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान/ सब्सिडी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न	वर्ष की कुल कमाई	निवेश पर रिटर्न (प्रतिशत में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3)+(4)	(6)=(2)+(5)	(7)	(8)=(6)x(7)/ 100)+(6)	(9)=(6)x (7)/100)	(10)	(11)=(10)/ (8)*100
2006-07	2,393.72	777.80	0.00	777.80	3,171.52	9.20	3,463.30	291.78	-416.21	-
2007-08	3,463.30	930.16	0.00	930.16	4,393.46	7.43	4,719.89	326.43	-649.10	-
2008-09	4,719.89	855.72	0.00	855.72	5,575.61	7.82	6,011.63	436.01	-1246.50	-
2009-10	6,011.63	898.82	0.00	898.82	6,910.45	9.29	7,552.43	641.98	-1,460.84	-
2010-11	7,552.43	882.18	0.00	882.18	8,434.61	9.22	9,212.28	777.67	-592.08	-
2011-12	9,212.28	573.35	0.00	573.35	9,785.63	9.73	10,737.77	952.14	-10,194.30	-
2012-13	10,737.77	198.62	0.00	198.62	10,936.39	9.86	12,014.72	1,078.33	-3,833.76	-
2013-14	12,014.72	100.00	0.00	100.00	12,114.72	9.83	13,305.59	1,190.88	-3,849.89	-
2014-15	13,305.60	66.94	0.00	66.94	13,372.54	9.33	14,620.20	1,247.66	-3,453.86	-
2015-16	14,620.20	1,619.42	3,892.50	5,511.92	20,132.12	8.64	21,871.54	1,739.42	-2,017.26	-
2016-17	21,871.54	1,927.99	3,892.50	5,820.49	27,692.03	8.00	29,907.39	2,215.36	-7.91	-
2017-18	29,907.39	5,454.43	0.00	5,454.43	35,361.82	8.10	38,226.13	2,864.31	794.66	2.08
2018-19	30,441.13**	13,302.48	18.56	13,321.04	43,762.17	8.81	47,617.62	3,855.45	687.91	1.44
2019-20	47,617.62	5,825.00	0.00	5,825.00	53,442.62	8.31	57,883.70	4,441.08	640.52	1.11
कुल		**34,896.58**	**93.61#**	**34,990.19#**						

* एस.पी.एस.ई. को हस्तांतरित ₹ 231.90 करोड़ की प्रारंभिक संचित अवशिष्ट हानियों को घटाकर ₹ 680.01 करोड़ की इक्विटी डाली गई। कॉलम नंबर 3, 4 और 10 के संबंध में सूचना को संबंधित वर्षों के मुद्रित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संकलित किया गया है।

** आरंभिक शेष में ₹ 7,785 करोड़ का अंतर उदय योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान (2015-16 और 2016-17 के दौरान प्रत्येक वर्ष में ₹ 3,892.50 करोड़) के कारण था, जिसे वर्ष 2018-19 के दौरान इक्विटी में बदल दिया गया था क्योंकि इसका प्रभाव पहले से ही संबंधित वर्षों के अनुदान में लिया गया था।

कुल अनुदान में वर्ष 2018-19 के दौरान इक्विटी में परिवर्तित ₹ 7,785 करोड़ शामिल नहीं हैं।

इन चार कंपनियों में राज्य सरकार का निवेश शेष वर्ष 1999-2000 में ₹ 448.11 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019-20 के अंत में ₹ 34,990.19 करोड़ हो गया (इक्विटी का निवेश ₹ 680.01 करोड़ घटा ₹ 231.90 करोड़ का प्रारंभिक अवशिष्ट संचित घाटा) क्योंकि राज्य सरकार ने इक्विटी और अनुदान/सब्सिडी के रूप में ₹ 34,542.08 करोड़ के और निवेश किए। 31 मार्च 2020 तक राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य ₹ 57,883.70 करोड़ परिगणित किया गया।

इन कंपनियों के लिए वर्ष 1999-2000 से 2001-02 और 2004-05 से 2016-17 तक की कुल आय नकारात्मक थी जो इंगित करती है कि सरकार अपनी निधियों की लागत की वसूली नहीं कर सकी। हालांकि, 2017-18 से 2019-20 के दौरान सकारात्मक कुल कमाई हुई थी लेकिन वह न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न से काफी कम थी। गत तीन वर्षों अर्थात् 2017-18 से 2019-20 के लिए निवेश के वर्तमान मूल्य पर रिटर्न, जो सकारात्मक हो गया था, 2.08 और 1.11 के मध्य था, जो कि मुख्य रूप से उदय योजना के अंतर्गत धन के प्रवाह के कारण था।

गत तीन वर्षों की इसी अवधि के दौरान ऐतिहासिक लागत[13] के आधार पर निवेश पर रिटर्न की दर 3.36 और 1.83 प्रतिशत के मध्य थी।

उदय स्कीम का कार्यान्वयन

1.4.4 उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

क. परिचालन मापदंडों की उपलब्धि

दो राज्य डिस्कॉम्ज से संबंधित विभिन्न परिचालन मापदंडों के संबंध में उदय स्कीम के अंतर्गत उपलब्धियों की तुलना में लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

तालिका 1.13: 31 मार्च 2020 तक मानदंड-वार उपलब्धियों की तुलना में परिचालनात्मक निष्पादन के लक्ष्य

उदय स्कीम का मानदंड	उदय स्कीम के अंतर्गत लक्ष्य	उदय स्कीम के अंतर्गत प्रगति	उपलब्धि (प्रतिशत में)
फीडर मीटरिंग (संख्या में)			
शहरी	1,365	1,509	110.55
ग्रामीण	1,621	1,992	122.89
वितरण ट्रांसफार्मर पर मीटरिंग (संख्या में)			
शहरी	2,79,420	32,997	11.81
ग्रामीण	4,78,120	32,195	6.73
फीडर पृथक्करण (संख्या में)	3,536	4,171	117.96
ग्रामीण फीडर लेखापरीक्षा (संख्या में)	1,621	1,992	122.89
असंबद्ध घर को बिजली (संख्या लाख में)	49,18,000	23,69,807	48.19
500 के.डब्ल्यू.एच. से ऊपर स्मार्ट मीटरिंग (संख्या में)	4,31,797	1,35,277	10.78
200 के.डब्ल्यू.एच. से ऊपर तथा 500 के.डब्ल्यू.एच. तक स्मार्ट मीटरिंग (संख्या में)	8,22,747		
एल.ई.डी. उजाला का वितरण (संख्या में)	214	158.82	74.21
ए.टी. एंड सी. हानि (प्रतिशत में)	15	15.65 से 20.10	
ए.सी.एस.-ए.आर.आर. अंतर (₹ प्रति यूनिट)	0.02	-0.04 से 0.12	
परिदान सहित निवल आय या लाभ/हानि (₹ करोड़ में)		331.39	

स्रोत: दोनों डिस्कॉम्ज द्वारा प्रदान की गई सूचना।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफॉर्मरों (डी.टी.) में मीटरिंग जैसे कुछ मानकों में राज्य का निष्पादन उत्साहजनक नहीं था। स्मार्ट मीटर लगाने के कार्य की प्रगति भी उत्साहजनक नहीं थी क्योंकि उपलब्धि लक्ष्य का केवल 10.78 प्रतिशत थी, जबकि फीडर पृथक्करण और फीडर मीटरिंग के क्षेत्रों में निष्पादन उत्कृष्ट रहा। वर्ष 2018-19 तक कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (ए.टी. एंड सी.) हानि को 15 प्रतिशत तक सीमित करने का लक्ष्य मार्च 2020 तक, जब ए.टी. एंड सी. हानि क्रमशः 15.65 प्रतिशत और 20.10 प्रतिशत थी, डी.एच.बी.वी.एन.एल. और यू.एच.बी.वी.एन.एल. द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सका। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 31 दिसंबर 2020 तक उदय स्कीम के अंतर्गत दो राज्य डिस्कॉम्ज

[13] एक वर्ष के लिए निवेश की ऐतिहासिक लागत, परिचालन और प्रशासनिक व्यय के लिए इक्विटी और अनुदान/सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार द्वारा डाली गई कुल राशि है।

द्वारा की गई समग्र उपलब्धियों के आधार पर सभी राज्यों के मध्य राज्य को पांचवां स्थान दिया था।

ख. वित्तीय बदलाव का कार्यान्वयन

भाग लेने वाले राज्यों को 30 सितंबर 2015 तक डिस्कॉम के बकाया ऋण का 75 प्रतिशत, अर्थात् 2015-16 में 50 प्रतिशत और 2016-17 में 25 प्रतिशत लेना अपेक्षित था। इस योजना में राज्यों को नॉन-एस.एल.आर. बांड जारी करने का भी प्रावधान है और ऐसे बांडों को जारी करने से प्राप्त आय को डिस्कॉम्ज को हस्तांतरित किया जाएगा जो बदले में बैंकों/वित्तीय संस्थानों के ऋण के लिए संबंधित राशि का निर्वहन करेंगे। इस प्रकार जारी किए गए बांडों की परिपक्वता अवधि 10-15 वर्ष होगी और मूलधन के पुनर्भुगतान पर पांच वर्ष तक की मोहलत होगी। 2015-16 और 2016-17 में राज्य द्वारा डिस्कॉम्ज को हस्तांतरण एक अनुदान होगा जो कि डिस्कॉम को राज्य ऋण के माध्यम से शेष हस्तांतरण के साथ तीन वर्षों में फैलाया जा सकता है। असाधारण मामलों में, 25 प्रतिशत अनुदान इक्विटी के रूप में दिया जा सकता है।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, हरियाणा सरकार और राज्य डिस्कॉम (अर्थात् यू.एच.बी.वी.एन.एल. और डी.एच.बी.वी.एन.एल.) के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए (11 मार्च 2016)। उदय स्कीम और त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. के प्रावधानों के अनुसार, 30 सितंबर 2015 को राज्य के दो डिस्कॉम से संबंधित कुल बकाया ऋण (₹ 34,600 करोड़) में से हरियाणा सरकार ने 2015-17 की अवधि के दौरान कुल ऋण का 75 प्रतिशत अर्थात् ₹ 25,950 करोड़ लिया।

एम.ओ.यू. के अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा लिया गया ₹ 25,950 करोड़ का ऋण अंततः 2015-16 से आरंभ पांच साल की अवधि के लिए वार्षिक रूप से ₹ 3,892.50 करोड़ के अनुदान और ₹ 1,297.50 करोड़ की इक्विटी में परिवर्तित किया जाना था। इस प्रकार, 2019-20 के अंत में हरियाणा सरकार के पास ₹ 6,487.50 करोड़ (₹ 1,297.50 करोड़ x 5) की इक्विटी होगी और ₹ 19,462.50 करोड़ (₹ 3,892.50 करोड़ x 5) अनुदान के माध्यम से डिस्कॉम को दिए जाएंगे।

यद्यपि, योजना का वास्तविक कार्यान्वयन नीचे विस्तृत रूप में दिया गया है:

तालिका 1.14: उदय स्कीम का कार्यान्वयन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	इक्विटी निवेश	ऋण	अनुदान	कुल
2015-16	1,297.50	12,110.00	3,892.50	**17,300.00**
2016-17	1,297.50	3,460.00	3,892.50	**8,650.00**
कुल	**2,595.00**	**15,570.00**	**7,785.00**	**25,950.00**
2017-18	5,190.00	-5,190.00	0.00	**0.00**
2018-19	12,975.00	-5,190.00	-7,785.00	**0.00**
2019-20	5,190.00	-5,190.00	0.00	**0.00**
31 मार्च 2020 को	**25,950.00**	**0.00**	**0.00**	**25,950.00**

स्रोतः राज्य सरकार से प्राप्त संस्वीकृतियों के आधार पर संकलन।

यह देखा गया था कि राज्य सरकार ने उदय योजना और समझौता ज्ञापन के प्रावधानों का पालन नहीं किया। 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान प्रत्येक वर्ष प्राप्त ₹ 5,190 करोड़ के ऋणों को 3:1 के अनुपात में अनुदान और इक्विटी के मध्य विभाजित करने के बजाय इक्विटी में परिवर्तित किया गया था। इसके अतिरिक्त, 2015-16 और 2016-17 के दौरान उदय योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए ₹ 7,785 करोड़ के अनुदान को 2018-19 के दौरान इक्विटी में परिवर्तित किया गया था।

परिणामत:, हरियाणा सरकार ने ₹ 6,487.50 करोड़ की स्वीकृत सीमा से अधिक इक्विटी में ₹ 19,462.50 करोड़ का निवेश किया। आगे, अनुदान को कम करके शून्य कर देना भी उदय योजना की अधिसूचना के विरुद्ध था।

डिस्कॉम्ज ने अन्य वित्तीय संस्थानों और बैंकों को देय ऋण देयता का निर्वहन करने के लिए उदय स्कीम के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर अक्तूबर 2015 से मार्च 2020 की अवधि के लिए ₹ 3,061.12 करोड़ का ब्याज का भुगतान किया। हरियाणा सरकार द्वारा ऋण 8.06 एवं 8.21 प्रतिशत की ब्याज दर के साथ प्रतिवर्ष दिए गए थे।

अध्याय-2

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) का वित्तीय निष्पादन

अध्याय 2

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) का वित्तीय निष्पादन

2.1 प्रस्तावना

31 मार्च 2020 को नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 31 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) थे जिनमें 23 सरकारी कंपनियां, दो सांविधिक निगम और छः सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां शामिल हैं।

इनमें से 25 एस.पी.एस.ई. का वित्तीय निष्पादन इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है और इन एस.पी.एस.ई. की प्रकृति तालिका 2.1 में इंगित की गई है:

तालिका 2.1: इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए एस.पी.एस.ई. की कवरेज और प्रकृति

एस.पी.एस.ई. की प्रकृति	कुल संख्या	प्रतिवेदन में शामिल किए गए एस.पी.एस.ई. की संख्या						प्रतिवेदन में शामिल नहीं किए गए एस.पी.एस.ई. की संख्या
		तक के लेखे					कुल	
		2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16		
सरकारी कंपनियां	23	5	7	5	2	1	20	3
सांविधिक निगम	2	0	2	0	0	0	2	0
सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां	6	1	1	1	0	0	3	3
कुल	**31**	**6**	**10**	**6**	**2**	**1**	**25**	**6**

2019-20 के दौरान नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा के दायरे में सरकारी कंपनियों/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों और सांविधिक निगमों के विवरण ***परिशिष्ट // ए*** में दिए गए हैं।

इस प्रतिवेदन में छः एस.पी.एस.ई. (सरकार नियंत्रित तीन अन्य कंपनियों सहित) के परिणाम शामिल नहीं हैं, जो निष्क्रिय/परिसमापनाधीन थे या जिनके पहले लेखे प्राप्त[1] नहीं हुए थे। शेष 25 एस.पी.एस.ई. के संबंध में आंकड़े 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त उनके नवीनतम लेखाओं पर आधारित हैं।

एस.पी.एस.ई. को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसलिए एस.पी.एस.ई. की स्थिति को इन विभागों (क्षेत्रों) के अनुसार विभाजित और विश्लेषित किया गया है।

इस प्रतिवेदन में शामिल एस.पी.एस.ई. के वित्तीय निष्पादन का सार:

एस.पी.एस.ई. की संख्या	31
शामिल किए गए एस.पी.एस.ई.	25
प्रदत्त पूंजी (25 एस.पी.एस.ई.)	₹ 708.16 करोड़
हरियाणा सरकार का इक्विटी निवेश (20 एस.पी.एस.ई.)	₹ 590.20 करोड़
दीर्घावधि ऋण (6 एस.पी.एस.ई.)	₹ 6,026.63 करोड़

[1] इन छः एस.पी.एस.ई. की पहचान ***परिशिष्ट // ए*** में दो ताराचिह्नों (**) द्वारा की गई है।

निवल लाभ (17 एस.पी.एस.ई.)	₹ 335.26 करोड़
निवल हानि (8 एस.पी.एस.ई.)	₹ 38.10 करोड़
घोषित लाभांश (3 एस.पी.एस.ई. द्वारा)	₹ 6.52[2] करोड़
कुल परिसंपत्तियां	₹ 38,623.53 करोड़
टर्नओवर[3]	₹ 4,814.19 करोड़
निवल मूल्य	₹ 2,443.55 करोड़

स्रोत: एस.पी.एस.ई. के वार्षिक वित्तीय विवरण पर आधारित संकलन।

2.2 एस.पी.एस.ई. में निवेश

इन एस.पी.एस.ई. की स्थिति को उन विभागों के आधार पर प्रमुख वर्गीकरणों के अंतर्गत विभाजित और विश्लेषित किया गया है जिनके अधीन वे काम करते हैं। 31 मार्च 2020 की समाप्ति पर 25 एस.पी.एस.ई. में इक्विटी और ऋण में निवेश की राशि तालिका 2.2 में दी गई है:

तालिका 2.2: 25 एस.पी.एस.ई. में इक्विटी निवेश और ऋण

(₹ करोड़ में)

निवेश के स्रोत	31 मार्च 2019 को			31 मार्च 2020 को		
	इक्विटी	दीर्घावधि ऋण	कुल	इक्विटी	दीर्घावधि ऋण	कुल
केंद्र सरकार	22.74	0	22.74	27.64	0	27.64
राज्य सरकार	585.10	332.83	917.93	590.20	332.83	923.03
केंद्र/राज्य सरकार की कंपनियां	15.02	291.58	306.60	15.09	291.58	306.67
अन्य	75.20	5,402.22	5,477.42	75.23	5,402.22	5,477.45
कुल	**698.06**	**6,026.63**	**6,724.69**	**708.16**	**6,026.63**	**6,734.79**
कुल इक्विटी/ऋण में राज्य सरकार का हिस्सा (प्रतिशत में)	83.82	5.52	13.65	83.34	5.52	13.71

स्रोत: एस.पी.एस.ई. के वार्षिक वित्तीय विवरण पर आधारित संकलन।

हरियाणा सरकार (जी.ओ.एच.) वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में एस.पी.एस.ई. को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2020 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के दौरान एस.पी.एस.ई. के संबंध में इक्विटी, ऋण, अनुदान/परिदान, बट्टे खाते डाले गए ऋण और इक्विटी में परिवर्तित ऋणों के लिए बजटीय निर्गम का सारांशित विवरण निम्नानुसार हैं:

[2] वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड (₹ 0.40 करोड़); वर्ष 2018-19 के लिए हरियाणा राज्य भंडारण निगम (₹ 6.05 करोड़) और हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड (₹ 0.07 करोड़)।

[3] किसी कंपनी के निवल मूल्य की गणना प्रदत्त पूंजी और संचित हानियों के निवल मुक्त आरक्षित और स्थगित राजस्व व्यय को जोड़कर की जाती है।

तालिका 2.3: वर्षों के दौरान एस.पी.एस.ई. को बजटीय सहायता के संबंध में विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण[4]	2017-18		2018-19		2019-20	
	एस.पी.एस.ई. की संख्या	राशि	एस.पी.एस.ई. की संख्या	राशि	एस.पी.एस.ई. की संख्या	राशि
इक्विटी पूंजी निर्गम (i)	4	7.71	5	25.44	6[5]	13.78
दिए गए ऋण (ii)	-	-	1	8.15	-	-
प्रदान किए गए अनुदान/परिदान (iii)	9	188.60	8	358.36	9	142.72
कुल निर्गम (i+ii+iii)		**196.31**		**391.95**		**156.50**
ऋण पुनर्भुगतान/बट्टे खाते डाले गए[6]	-	-	1	215.15	-	-
इक्विटी में परिवर्तित ऋण	-	-	-	-	-	-
जारी की गई गारंटियां	3	2,030.52	4	1,071.81	3	569.46
प्रतिबद्ध गारंटियां	5	3,351.48	5	4,359.35	5	4,264.29

स्रोत: एस.पी.एस.ई. से प्राप्त सूचना पर आधारित संकलन।

2.2.1 इक्विटी में निवेश

31 मार्च 2020 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान इन एस.पी.एस.ई. में राज्य सरकार और अन्य (भारत सरकार सहित) द्वारा इक्विटी में निवेश चार्ट 2.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.1: एस.पी.एस.ई. में इक्विटी में निवेश

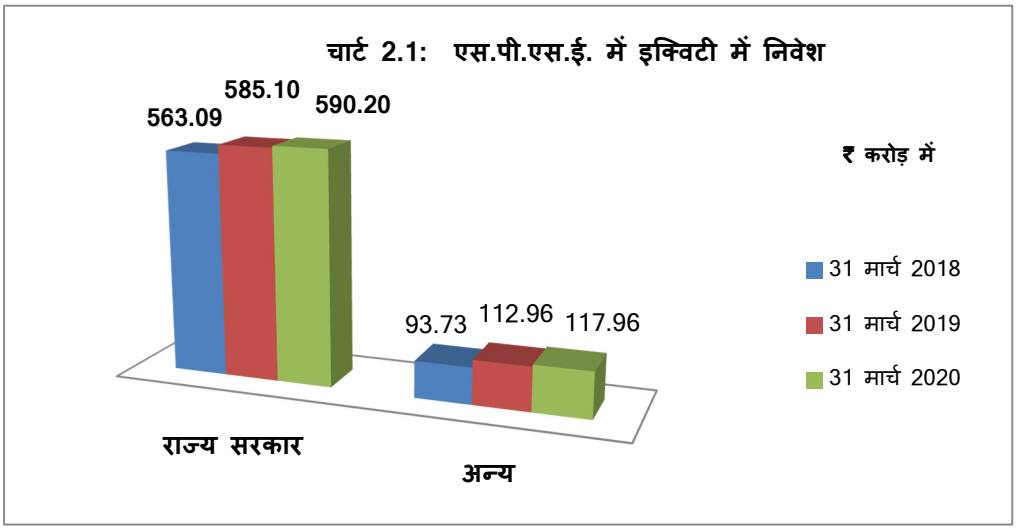

इन एस.पी.एस.ई. की प्रदत्त पूंजी में 31 मार्च 2020 तक राज्य सरकार द्वारा इक्विटी पूंजी में किए गए महत्वपूर्ण निवेशों (₹ 25 करोड़ से अधिक का निवेश) का विवरण तालिका 2.4 में दिया गया है:

4 राशि केवल राज्य के बजट से व्यय का प्रतिनिधित्व करती है।

5 हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड (₹ 2.92 करोड़), हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड (₹ 3.70 करोड़), करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड: (₹ 0.05 करोड़), हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (₹ 0.01 करोड़) हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 5.10 करोड़) और हरियाणा स्टेट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (₹ 2.00 करोड़)।

6 यह हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड के संबंध में बट्टे खाते में डाले गए ऋण का प्रतिनिधित्व करता है और ऋण चुकौती शून्य है।

तालिका 2.4: राज्य सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निवेश

(₹ करोड़ में)

एस.पी.एस.ई. का नाम	विभाग का नाम	राशि
हरियाणा वित्तीय निगम	उद्योग	202.01
हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	लोक निर्माण	122.04
हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	48.86
हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण	45.14
हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	पर्यटन और जनसंपर्क	34.07
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण	26.14

2.2.2 एस.पी.एस.ई. को दिए गए ऋण

2.2.2.1 31 मार्च 2020 तक बकाया दीर्घावधि ऋण की गणना

31 मार्च 2020 तक सभी स्रोतों से छः एस.पी.एस.ई. में कुल बकाया दीर्घावधि ऋण ₹ 6,026.63 करोड़ था। 31 मार्च 2020 तक एस.पी.एस.ई. के कुल ऋणों में से राज्य सरकार से ऋण ₹ 332.83 करोड़ था। एस.पी.एस.ई. के बकाया दीर्घावधि ऋणों का वर्षवार विवरण चार्ट 2.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.2: एस.पी.एस.ई. (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में बकाया दीर्घावधि ऋण

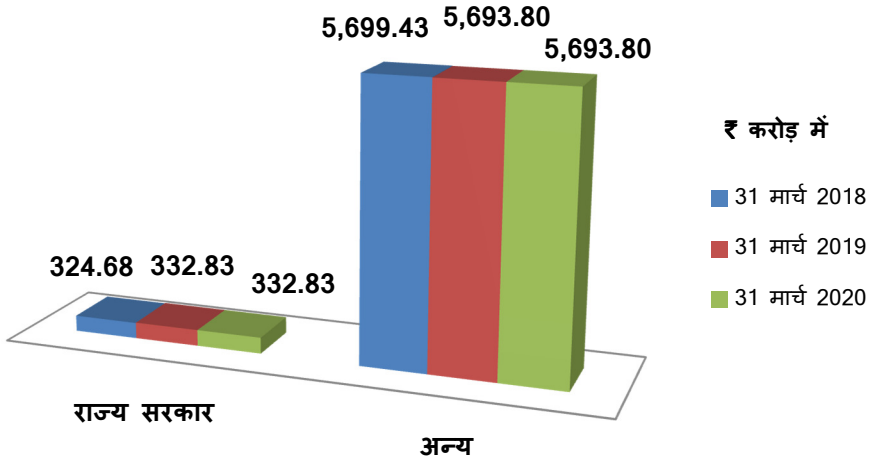

25 एस.पी.एस.ई. में से 19 एस.पी.एस.ई. (एक सांविधिक निगम अर्थात् हरियाणा वित्तीय निगम सहित) के पास 31 मार्च 2020 तक कोई दीर्घावधि ऋण नहीं था। कुल ऋणों में एच.एस.आई.आई.डी.सी. की हिस्सेदारी ₹ 5,637.41 करोड़ थी।

2.2.2.2 ऋण देयताओं को वहन करने के लिए परिसंपत्तियों की पर्याप्तता

कुल परिसंपत्तियों में से कुल ऋण का अनुपात, यह निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियों में से एक है कि क्या कोई कंपनी दिवालिया बनी रह सकती है। दिवालिया माने जाने के लिए एक इकाई की परिसंपत्तियों का मूल्य उसके ऋणों/उधारों की राशि से अधिक होना चाहिए। छः एस.पी.एस.ई., जिनके पास 31 मार्च 2020 तक ऋण बकाया था, में कुल परिसंपत्तियों के मूल्य द्वारा दीर्घावधि ऋणों का कवरेज तालिका 2.5 में दिया गया है।

तालिका 2.5: कुल संपत्तियों के साथ दीर्घावधि ऋणों का कवरेज

एस.पी.एस.ई. की प्रकृति	सकारात्मक कवरेज			
	एस.पी.एस.ई. की संख्या	परिसंपत्तियां	दीर्घावधि ऋण	ऋणों से परिसंपत्तियों का अनुपात
	(₹ करोड़ में)			
सांविधिक निगम	1	2,650.30	78.60	33.72:1[7]
सरकारी कंपनी	5	33,374.41	5,948.03	5.61:1
कुल	**6**	**36,024.71**	**6,026.63**	**5.98:1**

स्रोत: एस.पी.एस.ई. के वार्षिक वित्तीय विवरण पर आधारित संकलन।

किसी भी एस.पी.एस.ई. में कुल परिसंपत्ति का मूल्य बकाया ऋणों से कम नहीं था। प्रमुख योगदानकर्ता हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड है, जिसके पास ₹ 31,827.48 करोड़ की संपत्ति के विरूद्ध ₹ 5,637.41 करोड़ का दीर्घकालिक ऋण है।

2.2.2.3 ब्याज कवरेज

ब्याज कवरेज अनुपात (आई.सी.आर.) का उपयोग किसी कंपनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना उसी अवधि के ब्याज खर्चों द्वारा एक कंपनी की आय को ब्याज और करों (ई.बी.आई.टी.) से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, उधार पर ब्याज का भुगतान करने में कंपनी की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम आई.सी.आर. इंगित करता है कि कंपनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व सृजित नहीं कर रही थी। 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान एस.पी.एस.ई. के सकारात्मक और नकारात्मक आई.सी.आर. के विवरण तालिका 2.6 में दिए गए हैं।

तालिका 2.6: ब्याज कवरेज अनुपात

वर्ष	ब्याज	ई.बी.आई.टी.	एस.पी.एस.ई. की संख्या	1 के बराबर या इससे अधिक आई.सी.आर. वाले एस.पी.एस.ई. की संख्या	1 से कम आई.सी.आर. वाले एस.पी.एस.ई. की संख्या
	सांविधिक निगम				
2017-18	5.15	72.10	2	1	1[8]
2018-19	4.41	66.02	1	1	0
2019-20	4.41	66.02	1	1	0
	सरकारी कंपनियां				
2017-18	768.44	1,117.44	9	7	2[9]
2018-19	767.05	1,095.42	8	6	2[10]
2019-20	767.27	1,095.63	8	6	2[11]

[7] हरियाणा राज्य भंडारण निगम खरीद का काम करता है, जहां शेष स्टॉक इसकी संपत्ति है।

[8] हरियाणा वित्तीय निगम।

[9] हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड और हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड।

[10] हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड।

[11] हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड।

2.2.3 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों में निवेश

31 मार्च 2020 तक सरकार द्वारा नियंत्रित तीन[12] अन्य कंपनियों में राज्य सरकार और अन्य द्वारा निवेश की गई पूंजी को चार्ट 2.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.3: सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों में शेयर पूंजी की संरचना (₹ करोड़ में)

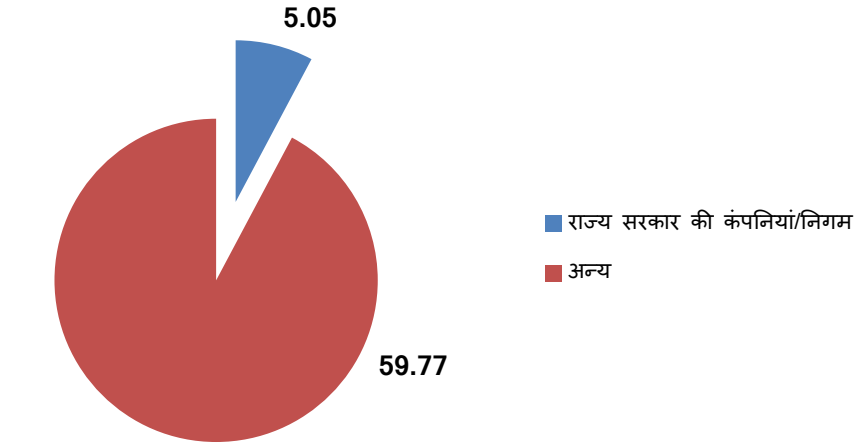

2.3 एस.पी.एस.ई. में निवेश पर रिटर्न

2.3.1 एस.पी.एस.ई. द्वारा अर्जित लाभ

इक्विटी पर रिटर्न (आर.ओ.ई.) वित्तीय निष्पादन का एक उपाय है जो यह आकलन करता है कि प्रबंधन, लाभ कमाने के लिए कंपनी की परिसंपत्तियों का कितना प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहा है और इसकी गणना शेयरधारकों की निधि द्वारा निवल आय (अर्थात् करों के बाद निवल लाभ) को विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया जाता है और किसी भी कंपनी के लिए गणना की जा सकती है, यदि निवल आय और शेयरधारकों की निधि दोनों सकारात्मक संख्या हैं।

शेयरधारकों की निधि या किसी कंपनी के निवल मूल्य की गणना प्रदत्त पूंजी और संचित हानियों के निवल मुक्त आरक्षित और स्थगित राजस्व व्यय को जोड़कर की जाती है और यह बताता है कि यदि सभी परिसंपत्तियां बेची गई और सभी ऋणों का भुगतान किया गया तो कंपनी के हितधारकों के लिए कितना बचेगा। एक सकारात्मक शेयरधारकों की निधि से पता चलता है कि कंपनी के पास अपनी देनदारियों को कवर करने के लिए पर्याप्त परिसंपत्तियां हैं जबकि नकारात्मक शेयरधारक इक्विटी का मतलब है कि देनदारियां परिसंपत्तियों से अधिक हैं।

31 दिसंबर 2020 को उपलब्ध नवीनतम वित्तीय परिणामों के अनुसार लाभ अर्जित करने वाले एस.पी.एस.ई. की संख्या 25 में से 17 थी। इन 17 एस.पी.एस.ई. का रिटर्न ऑन इक्विटी (आर.ओ.ई.) 14.56 प्रतिशत था। हालांकि, सभी 25 एस.पी.एस.ई. में आर.ओ.ई., जिसमें छ:[13] को घाटा हुआ था, 2019-20 में 12.16 प्रतिशत था। 2017-18 से 2019-20 की

---

[12] गुड़गांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड, फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड और गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड।

[13] दो एस.पी.एस.ई. (हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड) को न तो लाभ हुआ और न ही हानि।

अवधि के दौरान लाभ की सूचना देने वाले एस.पी.एस.ई. की संख्या और उनका आर.ओ.ई. चार्ट 2.4 में दर्शाई गई है:

चार्ट 2.4: विगत 3 वर्षों के दौरान लाभ अर्जित कर रहे एस.पी.एस.ई. की संख्या और उनका आर.ओ.ई.

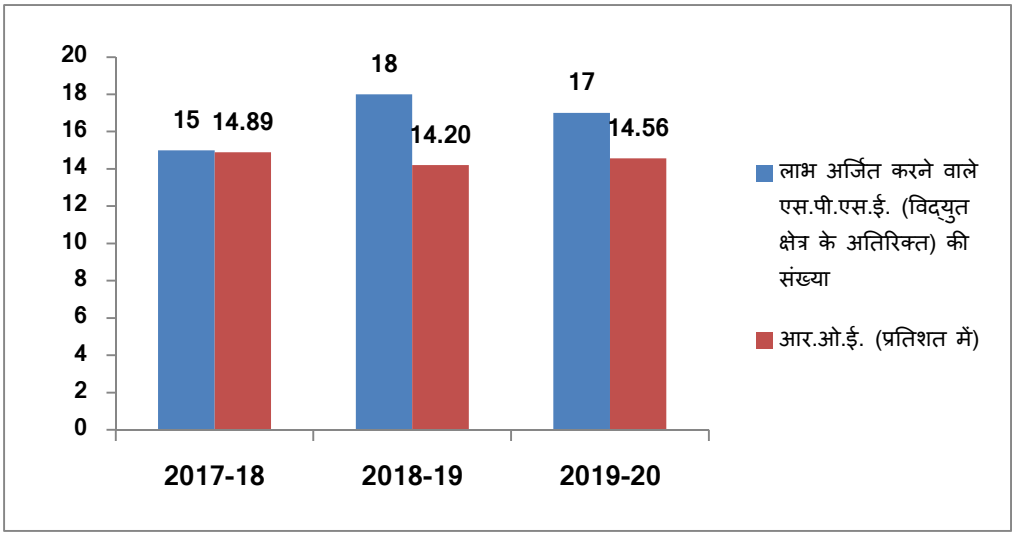

2019-20 के दौरान अपने नवीनतम अंतिम परिणामों के अनुसार अधिकतम लाभ देने वाले तीन क्षेत्रों का विवरण तालिका 2.7 में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 2.7: शीर्ष तीन क्षेत्र जिन्होंने वर्ष 2019-20 के दौरान अधिकतम लाभ दिया

क्षेत्र	लाभ अर्जित कर रहे एस.पी.एस.ई. की संख्या	अर्जित निवल लाभ (₹ करोड़ में)	कुल एस.पी.एस.ई. लाभ में लाभ की प्रतिशतता
उद्योग	2	222.35	66.32
कृषि	4	48.29	14.40
लोक निर्माण	1	20.41	6.09
कुल	**7**	**291.05**	**86.81**

सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य तीन कंपनियों में से एक कंपनी (गुड़गांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड[14]) ने ₹ 7.06 करोड़ का लाभ अर्जित किया। इस एस.पी.एस.ई. में आर.ओ.ई. 16.62 प्रतिशत था। सरकार नियंत्रित अन्य तीन कंपनियों में आर.ओ.ई. (-) 11.98 प्रतिशत था।

एस.पी.एस.ई. की सूची, जिन्होंने वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 10 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित किया, तालिका 2.8 में दी गई है:

तालिका 2.8: ₹ 10 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित करने वाले एस.पी.एस.ई. की संख्या

क्र.सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम	निवल लाभ
1	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	216.34
2	हरियाणा राज्य भंडारण निगम	40.32
3	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	20.41
4	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	16.07
	कुल	**293.14**

[14] कंपनी का स्वामित्व हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पास है, जिसके पास कंपनी की प्रदत्त पूंजी का 99.996 प्रतिशत है।

इन चार एस.पी.एस.ई. ने 2019-20 के दौरान 17 एस.पी.एस.ई. द्वारा अर्जित कुल लाभ (₹ 335.26 करोड़) का 87.44 प्रतिशत योगदान दिया।

2.3.2 एस.पी.एस.ई. द्वारा दिया गया लाभांश

वर्ष 2019-20 के लिए छः एस.पी.एस.ई. ने अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया, जिनमें से दो एस.पी.एस.ई. ने ₹ 9.31 करोड़ का लाभ अर्जित किया, लेकिन उन्होंने कोई लाभांश घोषित नहीं किया। हालांकि, वर्ष 2018-19 के लिए, तीन एस.पी.एस.ई. (हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हरियाणा राज्य भंडारण निगम और हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड) ने ₹ 47.33 करोड़ के निवल लाभ के विरूद्ध ₹ 6.52 करोड़ का लाभांश घोषित किया था। घोषित लाभांश उनकी प्रदत्त पूंजी के 8 प्रतिशत से 103.60 प्रतिशत के मध्य था।

2.3.3 एस.पी.एस.ई. की इक्विटी पर क्षेत्रवार रिटर्न

इक्विटी पर रिटर्न (आर.ओ.ई.)[15] शेयरधारकों की इक्विटी द्वारा निवल आय को विभाजित करके गणना किए गए एस.पी.एस.ई. के वित्तीय निष्पादन का एक मापांकन है। 31 मार्च 2020 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान एस.पी.एस.ई. के क्षेत्रवार आर.ओ.ई. को तालिका 2.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.9: इक्विटी पर क्षेत्रवार रिटर्न

क्र. सं.	क्षेत्र	2017-18 के दौरान आर.ओ.ई.	2018-19 के दौरान आर.ओ.ई.	2019-20 के दौरान आर.ओ.ई.
1	कृषि	-74.45	- 74.05	- 78.37
2	इलेक्ट्रॉनिक्स	11.24	14.32	14.32
3	वित्त	-	0.99	0.99
4	वन	1.27	5.35	5.35
5	उद्योग	12.28	12.84	12.84
6	लोक निर्माण	9.29	7.38	6.98
7	सामाजिक एवं कल्याण	10.80	10.80	10.80
8	पर्यटन	-35.95	-35.95	-35.95
9	नगर एवं ग्राम आयोजना	2.97	-14.97	-8.65
10	परिवहन	10.39	-28.48	-42.65
11	गृह	-6.03	-6.03	-6.03
12	स्वास्थ्य	37.05	37.05	37.05

2.4 हानि उठाने वाले एस.पी.एस.ई.

विगत तीन वर्षों के दौरान हानि उठाने वाले एस.पी.एस.ई. के विवरण तालिका 2.10 में दिए गए हैं।

[15] इक्विटी पर रिटर्न = (कर और वरीयता लाभांश/इक्विटी के बाद शुद्ध लाभ) * 100 जहां इक्विटी = प्रदत्त पूंजी + मुक्त संचय - संचित हानि - आस्थगित राजस्व व्यय।

तालिका 2.10: विगत तीन वर्षों के दौरान हानि उठाने वाले एस.पी.एस.ई. की संख्या

वर्ष	हानि उठाने वाले एस.पी.एस.ई. की संख्या	वर्ष में निवल हानि (₹ करोड़ में)	संचित लाभ (₹ करोड़ में)	निवल मूल्य[16] (₹ करोड़ में)
सांविधिक निगम				
2017-18	1	4.45	(-)113.51	94.15
2018-19	-	-	-	-
2019-20	-	-	-	-
सरकारी कंपनियां/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां				
2017-18	7	18.54	12.09	82.71
2018-19	6	37.43	3.60	116.47
2019-20	6	38.10	-2.55	140.21
कुल				
2017-18	**8**	**22.99**	**(-)101.42**	**176.86**
2018-19	**6**	**37.43**	**3.60**	**116.47**
2019-20	**8**	**38.10**	**-2.55**	**140.21**

आठ एस.पी.एस.ई. द्वारा 2019-20 के दौरान उठाई गई ₹ 38.10 करोड़ की कुल हानि में से ₹ 29.45 करोड़ की हानि के लिए दो एस.पी.एस.ई. को उत्तरदायी ठहराया गया था जो नगर एवं ग्राम आयोजना और पर्यटन क्षेत्रों में कार्यरत थे। नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (₹ 15.15 करोड़) के अंतर्गत गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड और हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड (₹ 14.30 करोड़) अपने नवीनतम अंतिम वित्तीय परिणामों के अनुसार नुकसान की रिपोर्ट करने वाले दो एस.पी.एस.ई. थे। इन एस.पी.एस.ई. के अतिरिक्त, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ₹ 5.69 करोड़ की हानि की सूचना दी।

2.4.1 एस.पी.एस.ई. में पूंजी का क्षरण

31 मार्च 2020 तक ₹ 249 करोड़ की संचित हानि वाले सात एस.पी.एस.ई. थे। सात एस.पी.एस.ई. में से तीन एस.पी.एस.ई. ने वर्ष 2019-20 में ₹ 16.92 करोड़ की हानि उठाई और चार एस.पी.एस.ई. ने वर्ष 2019-20 में कोई हानि नहीं उठाई, यद्यपि उनकी संचित हानि ₹ 231 करोड़ थी। 31 एस.पी.एस.ई. में से चार बंद होने/परिसमापन के अधीन/निष्क्रिय थे।

25 एस.पी.एस.ई. में से एक, हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (एच.ए.आई.सी.) का निवल मूल्य इसकी संचित हानि से पूरी तरह नष्ट हो गया था। 31 मार्च 2020 तक एच.ए.आई.सी. में ₹ 4.14 करोड़ के इक्विटी निवेश के विरुद्ध इसका निवल मूल्य (-) ₹ 117.71 करोड़ था।

2.5 एस.पी.एस.ई. की परिचालन क्षमता

2.5.1 टर्नओवर

तीन वर्षों[17] की अवधि में 24 एस.पी.एस.ई. का टर्नओवर, कुल परिसंपत्तियां और नियोजित पूंजी को इंगित करने वाला सार चार्ट 2.5 में दर्शाया गया है:

[16] निवल मूल्य का अर्थ है प्रदत्त शेयर पूंजी एवं मुक्त संचय और अधिशेष घटा संचित हानि एवं आस्थगित राजस्व व्यय का कुल योग। मुक्त संचय का अर्थ है, लाभ एवं शेयर प्रीमियम लेखा से सृजित सभी संचय।

[17] उनके नवीनतम अंतिमकृत लेखाओं के अनुसार।

चार्ट 2.5: टर्नओवर, कुल परिसंपत्तियां और नियोजित पूंजी

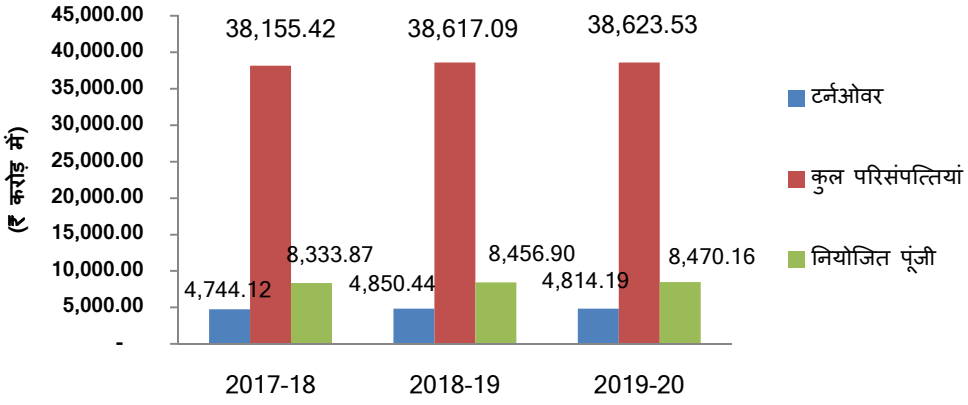

पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल संपत्ति और नियोजित पूंजी में मामूली वृद्धि हुई थी। हालांकि, 2018-19 की तुलना में 2019-20 के दौरान टर्नओवर में मामूली कमी आई।

अपर मुख्य सचिव (वित्त) के साथ एग्जिट कांफ्रेंस (जुलाई 2021) के दौरान परिसंपत्तियों के उत्पादक उपयोग को एक महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में मूल्यांकन किया गया था।

2.5.2 नियोजित पूंजी पर रिटर्न

नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आर.ओ.सी.ई.) एक अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिसमें इसकी पूंजी नियोजित है। आर.ओ.सी.ई. की गणना ब्याज और करों (ई.बी.आई.टी.) से पहले कंपनी की आय को नियोजित पूंजी[18] द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान 25 एस.पी.एस.ई. के आर.ओ.सी.ई. के विवरण तालिका 2.11 में दिए गए हैं।

तालिका 2.11: नियोजित पूंजी पर रिटर्न

वर्ष	ई.बी.आई.टी. (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	आर.ओ.सी.ई. (प्रतिशत में)
2017-18	1188.43	8,333.87	14.26
2018-19	1177.39	8456.90	13.92
2019-20	1185.56	8470.16	14.00

2.5.3 निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर रिटर्न

राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य (पी.वी.) की गणना 23 एस.पी.एस.ई. के संबंध में की गई है जहां निवेशों के ऐतिहासिक मूल्य की तुलना में इन एस.पी.एस.ई. में राज्य सरकार के निवेशों के वर्तमान मूल्य पर रिटर्न/हानि की दर के निर्धारण के लिए राज्य सरकार ने इक्विटी/अनुदान/सब्सिडी में निवेश किया है। 31 मार्च 2020 तक प्रत्येक वर्ष के अंत तक निवेशों की ऐतिहासिक लागत को इसके वर्तमान मूल्य तक लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा इन एस.पी.एस.ई. में निवेश किए गए पिछले निवेश/वर्ष-वार निधियों को राज्य सरकार की

[18] नियोजित पूंजी = प्रदत्त शेयर पूंजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष + दीर्घ अवधि ऋण - संचित हानि - आस्थगित राजस्व व्यय।

प्रतिभूतियों पर वर्ष-वार भारित औसत ब्याज दर पर चक्रवृद्धित किया गया है जिसे संबंधित वर्ष के लिए सरकार की निधियों की न्यूनतम लागत के रूप में माना गया है।

एस.पी.एस.ई. में राज्य सरकार के निवेश के पी.वी. की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई थी:

- राज्य सरकार द्वारा एस.पी.एस.ई. में इक्विटी के रूप में वास्तविक निवेश के अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा एस.पी.एस.ई. को दिए गए अनुदान/सब्सिडी (परिचालन और प्रशासनिक खर्चों के लिए) को राज्य सरकार द्वारा निवेश के रूप में माना गया है।
- उन मामलों में जहां एस.पी.एस.ई. को दिए गए ब्याज मुक्त ऋण को बाद में इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया था, इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज मुक्त ऋण की राशि से काट लिया गया है और उस वर्ष की इक्विटी में जोड़ दिया गया है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य पर लाने के लिए चक्रवृद्धित दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वे वर्ष के लिए निधियों के निवेश के प्रति सरकार द्वारा व्यय की गई लागत को प्रदर्शित करते हैं और इसलिए इसे सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर रिटर्न की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में माना गया है।

राज्य सरकार के निवेश की पी.वी. गणना के उद्देश्य से 1999-2000 से 2019-20 तक की अवधि को 31 मार्च 2000 को एस.पी.एस.ई. में राज्य सरकार के निवेश पर विचार करते हुए 2000-01 के आरंभ में राज्य सरकार के निवेश के पी.वी. के रूप में लिया गया है।

ऐसे हानि उठाने वाले एस.पी.एस.ई. के निष्पादन का और अधिक सटीक माप हानियों के कारण निवल मूल्य का क्षरण है। कंपनियों की पूंजी के क्षरण पर टिप्पणी पैरा 2.4.1 में की गई है।

23 एस.पी.एस.ई. में राज्य सरकार के निवेश के विवरण, जहां 1999-2000 से 2019-20 तक इक्विटी और अनुदान/सब्सिडी के रूप में निवेश किया गया था, ***परिशिष्ट II बी*** में इंगित किए गए हैं (ब्याज मुक्त ऋण और विनिवेश के कोई मामले नहीं थे)। एस.पी.एस.ई. में राज्य सरकार के ऐसे निवेश के पी.वी. की समेकित स्थिति तालिका 2.12 में इंगित की गई है:

तालिका 2.12: राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश के वर्षवार विवरण और 1999-2000 से 2019-20 तक इसका वर्तमान मूल्य (पी.वी.)

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी	परिचालनात्मक एवं प्रशासनिक व्ययों को वहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुदान/सब्सिडी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए निधियों की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न	वर्ष के लिए कुल अर्जन	निवेश पर रिटर्न (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5=3+4	6=2+5	7	8=(6x7/100)+6	9	10	(11)=(10)/(8)x100
1999-2000 तक		164.22[19]	49.95	214.17	214.17	12.05	239.98	25.81	8.96	3.73

[19] ₹ 164.22 करोड़ वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आरंभ में हरियाणा सरकार द्वारा ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश है।

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी	परिचालनात्मक एवं प्रशासनिक व्ययों को वहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुदान/सब्सिडी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए निधियों की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न	वर्ष के लिए कुल अर्जन	निवेश पर रिटर्न (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5=3+4	6=2+5	7	8=(6x7/100)+6	9	10	(11)=(10)/(8)x100
2000-01	239.98	45.48	73.50	118.98	358.96	11.4	399.88	40.92	-0.22	-
2001-02	399.88	21.04	98.18	119.22	519.10	10.5	573.60	54.51	7.83	1.37
2002-03	573.60	28.04	66.87	94.91	668.52	10.74	740.31	71.80	10.22	1.38
2003-04	740.31	11.51	16.19	27.70	768.01	10.2	846.35	78.34	-2.92	-
2004-05	846.35	2.48	22.04	24.52	870.87	8.49	944.81	73.94	2.84	0.30
2005-06	944.81	57.78	31.59	89.37	1,034.18	8.95	1,126.74	92.56	49.76	4.42
2006-07	1,126.74	12.16	25.90	38.06	1,164.80	9.2	1,271.96	107.16	-25.97	-
2007-08	1,271.96	72.07	83.03	155.10	1,427.05	7.43	1,533.08	106.03	-81.43	-
2008-09	1,533.08	95.92	67.39	163.31	1,696.39	7.82	1,829.05	132.66	176.34	9.64
2009-10	1,829.05	4.98	41.96	46.94	1,875.99	9.29	2,050.27	174.28	54.25	2.65
2010-11	2,050.27	6.41	98.80	105.21	2,155.48	9.22	2,354.22	198.74	138.45	5.88
2011-12	2,354.22	21.28	167.40	188.68	2,542.90	9.73	2,790.32	247.42	98.15	3.52
2012-13	2,790.32	-21.98	61.71	39.73	2,830.05	9.86	3,109.09	279.04	123.25	3.96
2013-14	3,109.09	2.93	94.88	97.81	3,206.90	9.83	3,522.14	315.24	-93.65	-
2014-15	3,522.14	8.82	153.74	162.56	3,684.70	9.33	4,028.49	343.78	805.82	20.00
2015-16	4,028.49	19.10	183.91	203.01	4,231.50	8.64	4,597.10	365.60	237.61	5.17
2016-17	4,597.10	3.10	307.48	310.58	4,907.68	8	5,300.29	392.61	71.59	1.35
2017-18	5,300.29	7.87	176.82	184.69	5,484.98	8.1	5,929.26	444.28	116.29	1.96
2018-19	5,929.26	25.44	331.90	357.34	6,286.60	8.81	6,840.45	553.85	272.46	3.98
2019-20	6,840.45	13.78	11.15	24.93	6,865.38	8.31	7,435.89	570.51	327.77	4.41
कुल		**602.43**	**2,164.39**	**2,766.82**						

वर्ष 2019-20 के अंत में इन एस.पी.एस.ई. में राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य 1999-2000 में ₹ 239.98 करोड़ से बढ़कर ₹ 7,435.89 करोड़ हो गया क्योंकि राज्य सरकार ने इक्विटी के रूप में ₹ 438.21 करोड़ तथा परिचालन एवं प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए अनुदानों/सब्सिडी में ₹ 2,164.39 करोड़ की राशि का और निवेश किया। इन एस.पी.एस.ई. में वर्ष 2008-09 और 2014-15 को छोड़कर सभी वर्षों के लिए कुल आय निवेशित निधियों की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न से कम रही। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2017-18 से 2019-20 में, वर्तमान मूल्य पर निवेश पर रिटर्न 1.96 प्रतिशत से बढ़कर 4.41 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि के दौरान ऐतिहासिक लागत[20] के आधार पर निवेश पर रिटर्न 4.88 और 11.85 प्रतिशत के मध्य रहा।

[20] एक वर्ष के लिए निवेश की ऐतिहासिक लागत, परिचालन और प्रशासनिक व्यय के लिए इक्विटी और अनुदान/सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार द्वारा डाली गई कुल राशि है।

अध्याय-3

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की पर्यवेक्षण भूमिका

अध्याय 3

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की पर्यवेक्षण भूमिका

3.1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (एस.पी.एस.ई.) की लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) एवं (7) के अंतर्गत राज्य सरकार की कंपनी और राज्य सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। नि.म.ले.प. को पूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है और सांविधिक लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर टिप्पणी या पूरक जारी करते हैं। दो[1] सांविधिक निगमों को नियंत्रित करने वाले क़ानूनों की अपेक्षा है कि उनके लेखाओं की नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षा की जाए और रिपोर्ट राज्य विधानमंडल को सौंपी जाए।

3.2. नि.म.ले.प. द्वारा एस.पी.एस.ई. के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) में यह प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष के आरंभ से 180 दिन की अवधि के भीतर सरकारी कंपनी या सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षकों को नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त किया जाना है।

वर्ष 2019-20 के लिए सरकारी कंपनियों/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों को नि.म.ले.प. द्वारा अगस्त 2019 से सितंबर 2020 के दौरान नियुक्त किया गया था। हरियाणा वित्तीय निगम के संबंध में लेखापरीक्षकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षकों के पैनल से नियुक्त किया गया है। हरियाणा राज्य भंडारण निगम के लेखापरीक्षकों को नि.म.ले.प. के परामर्श पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। नि.म.ले.प. को हरियाणा वित्तीय निगम और हरियाणा राज्य भंडारण निगम की उनके निगमन और कार्यचालन को नियंत्रित करने वाले संबंधित विधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा करने का अधिकार सौंपा गया है।

3.3 एस.पी.एस.ई. द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

3.3.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 394 के अनुसार, एक सरकारी कंपनी के कामकाज और मामलों की वार्षिक रिपोर्ट, इसकी वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) के तीन महीने के भीतर तैयार की जानी है और तैयार होने के बाद नि.म.ले.प. द्वारा बनाए गए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा उन पर किन्हीं टिप्पणियों या पूरक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति के साथ सदन या विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने होते हैं। दो सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान मौजूद हैं। यह यंत्रावली राज्य की समेकित निधि से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एस.पी.एस.ई.) में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करती है।

[1] हरियाणा वित्तीय निगम और हरियाणा राज्य भंडारण निगम।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों के साथ वार्षिक आम बैठक करने की आवश्यकता होती है। यह भी बताया गया है कि एक वार्षिक आम बैठक की तारीख और अगली वार्षिक आम बैठक की तारीख के मध्य 15 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होगा। हालाँकि, भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आने वाली कठिनाइयों के कारण वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ए.जी.एम. आयोजित करने की तिथि 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा (सितंबर 2020) दी है। आगे, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी को उक्त ए.जी.एम. में उनके विचार के लिए रखा जाना चाहिए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए जिम्मेदार कंपनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर जुर्माना और कारावास की सजा का प्रावधान है।

उपर्युक्त के बावजूद, विभिन्न एस.पी.एस.ई. के वार्षिक लेखे 31 दिसंबर 2020 तक लंबित थे, जैसा कि निम्नलिखित अनुच्छेद में विस्तृत विवरण दिया गया है।

3.3.2 राज्य सरकार की कंपनियों और राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के लेखाओं की तैयारी में समयबद्धता

31 मार्च 2020 तक, नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राज्य सरकार की 28 कंपनियां और राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन छ:[2] अन्य कंपनियां थीं। इनमें से, राज्य सरकार की 27 कंपनियों और राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन पांच अन्य कंपनियों से 2019-20 के लेखे देय[3] थे। नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षा हेतु वर्ष 2019-20 के लिए कुल नौ सरकारी कंपनियों और राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन एक अन्य कंपनी ने अपने लेखे 31 दिसंबर 2020 को या उससे पहले प्रस्तुत किए। राज्य सरकार की 18 कंपनियों और राज्य सरकार नियंत्रित चार अन्य कंपनियों के लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे। इनके लेखाओं को प्रस्तुत करने में बकायों के विवरण नीचे दिए गए हैं:

विवरण	राज्य सरकार की कंपनियां/ राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां		
	राज्य सरकार की कंपनियां	राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां	कुल
31.03.2020 तक नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कंपनियों की कुल संख्या	28	6	34
घटा: नई कंपनियां जिनके 2019-20 के लेखे देय नहीं थे	-	-	-
घटा: परिसमापन के अंतर्गत कंपनियां	1	1	2
कंपनियों की संख्या जिनके 2019-20 के लेखे देय थे	27	5	32

[2] (i) गुड़गांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड, (ii) फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड, (iii) गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड, (iv) फरीदाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसिज लिमिटेड, (v) करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड और (vi) हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड।

[3] लेखाओं को जमा करने की देय तारीख 30 सितंबर 2020 थी। हालांकि, भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कठिनाइयों के कारण वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ए.जी.एम. आयोजित करने की तारीख को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा (सितंबर 2020) दिया है।

विवरण		राज्य सरकार की कंपनियां/ राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां		
		राज्य सरकार की कंपनियां	राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां	कुल
कंपनियों की संख्या जिन्होंने नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा के लिए 31 दिसंबर 2020 तक लेखे प्रस्तुत किए		9	1	10
कंपनियों की संख्या जिनके लेखे बकाया थे		18	4	22
बकायों का ब्रेक-अप	(i) निष्क्रिय	3	-	3
	(ii) पहले लेखे प्रस्तुत नहीं किए	-	2	2
	(iii) अन्य	15	2	17
'अन्य' श्रेणी के विरूद्ध बकायों का आयु-वार विश्लेषण	एक वर्ष (2019-20)	7	1	8
	दो वर्ष (2018-19 तथा 2019-20)	5	1	6
	तीन वर्ष तथा अधिक	3	-	3

इन कंपनियों के नाम ***परिशिष्ट /// ए*** और ***परिशिष्ट /// बी*** में दिए गए हैं।

लेखाओं के अभाव में नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा निरीक्षण तथा नि.म.ले.प. द्वारा पूरक लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी जिसके कारण इस बात का आश्वासन नहीं मिला कि क्या निवेश और व्यय का ठीक से हिसाब किया गया था और जिस उद्देश्य के लिए राशि का निवेश किया गया था, उसे प्राप्त किया गया था। इसके अतिरिक्त, राज्य के खजाने में उनके योगदान के साथ-साथ उनकी गतिविधियों को भी विधानसभा को सूचित नहीं किया गया था।

बकाया खातों के मामले को उन कंपनियों के मुख्य सचिव/प्रशासनिक सचिवों/एम.डी. के साथ उठाया गया है, जिनके लेखे बकाया के निपटान में तेजी लाने के लिए बकाया थे। हालांकि अभी भी चार[4] एस.पी.एस.ई. ऐसे हैं, जिनके लेखे तीन से चार वर्ष से बकाया हैं।

अत: यह सिफारिश की जाती है कि वार्षिक लेखाओं को निर्धारित समय के भीतर तैयार करके अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

एग्जिट कांफ्रेंस (जुलाई 2021) के दौरान, ए.सी.एस. (वित्त) ने एस.पी.एस.ई. में लेखाओं के बकाया पर चिंता व्यक्त की और बकायों के निपटान के लिए संबंधित एस.पी.एस.ई. द्वारा शीघ्र कार्रवाई पर जोर दिया।

3.3.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखाओं की तैयारी में समयबद्धता

नि.म.ले.प. द्वारा दो सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा की जा रही है। वर्ष 2019-20 के लिए हरियाणा वित्तीय निगम और हरियाणा राज्य भंडारण निगम लिमिटेड दोनों के लेखे 31 दिसंबर 2020 तक प्रतीक्षित थे।

[4] हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (4 वर्ष), हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड (3 वर्ष), हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड (3 वर्ष) और करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड (3 वर्ष; एक जी.सी.ओ.सी. ने वर्ष 2017-18 में स्थापना के बाद से अपने प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किए हैं)।

3.4 नि.म.ले.प. का पर्यवेक्षण - लेखापरीक्षा और पूरक लेखापरीक्षा

3.4.1 वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क

कंपनियों से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में अपनी वित्तीय विवरणियों को तैयार करने और लेखा मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखा मानकों का पालन करना अपेक्षित है। सांविधिक निगमों से अपने लेखाओं को नि.म.ले.प. के परामर्श से तैयार किए गए नियमों और ऐसे निगमों को नियंत्रित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित किसी अन्य विशिष्ट प्रावधान के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में तैयार करने अपेक्षित हैं।

3.4.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा राज्य सरकार की कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक राज्य सरकार की कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार उन पर अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करते हैं।

नि.म.ले.प. इस समग्र उद्देश्य के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की मॉनीटरिंग द्वारा पर्यवेक्षण की भूमिका निभाता है कि सांविधिक लेखापरीक्षक उन्हें सौंपे गए कार्यों का सही एवं प्रभावी ढंग से निर्वहन करते हैं। इस कार्य का निर्वहन अधिकारों का उपयोग करके किया जाता है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना और
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर पूरक या टिप्पणी करना।

3.4.3 सरकारी कंपनियों के लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य प्रासंगिक अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार वित्तीय विवरणियों को तैयार करना एक इकाई के प्रबंधन का प्रमुख उत्तरदायित्व है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटैंट्स संस्थान (आई.सी.ए.आई.) की मानक अंकेक्षण प्रथाओं और नि.म.ले.प. द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणियों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत नि.म.ले.प. को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ राज्य सरकार की चयनित कंपनियों के प्रमाणित लेखाओं की समीक्षा नि.म.ले.प. द्वारा पूरक लेखापरीक्षा द्वारा की जाती है। ऐसी समीक्षा पर आधारित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां, यदि कोई हो, वार्षिक आम बैठक के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत प्रतिवेदित की जाती हैं।

3.5 नि.म.ले.प. की पर्यवेक्षण भूमिका का परिणाम

3.5.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत राज्य सरकार की कंपनियों/राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

राज्य सरकार की नौ[5] कंपनियों और राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन एक[6] अन्य कंपनी से वर्ष 2019-20 के वित्तीय विवरण 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त किए गए थे। नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षा में राज्य सरकार की सात कंपनियों और राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन एक अन्य कंपनी के लेखाओं की समीक्षा की गई थी।

31 दिसंबर 2020 तक चार एस.पी.एस.ई. के लेखाओं पर टिप्पणियां जारी की गईं। समीक्षा के परिणाम नीचे दिए गए हैं:

3.5.2 राज्य सरकार की कंपनियों/राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों के पूरक के रूप में जारी नि.म.ले.प. की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2019-20 की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के बाद नि.म.ले.प. ने राज्य सरकार की कंपनियों और सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों की वित्तीय विवरणियों की पूरक लेखापरीक्षा की। एस.पी.एस.ई., जिनके संबंध में टिप्पणियां जारी की गई थीं, की सूची ***परिशिष्ट /// सी*** में दी गई है। राज्य सरकार की कंपनियों की वित्तीय विवरणियों पर जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियां, जिनका वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता पर ₹ 108.21 करोड़[7] और वित्तीय स्थिति पर ₹ 478.86 करोड़ था, नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

लाभप्रदता पर टिप्पणियां:

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
1	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एच.पी.जी.सी.एल.)	कंपनी ने अपने कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ के लिए ₹ 45.06 करोड़ का अतिरिक्त योगदान प्रदान किया। इसके परिणामस्वरूप कर्मचारी लाभ पेंशन निधि ट्रस्ट के प्रावधानों को अधिक बताया गया और समान राशि तक लाभ को कम बताया गया।
2	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एच.वी.पी.एन.एल.)	अन्य व्ययों में भारत सरकार से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षु दावे के ₹ 0.39 करोड़ शामिल हैं जिसके परिणामस्वरूप लाभ और चालू परिसंपत्तियों (भारत सरकार से प्राप्य) को ₹ 0.39 करोड़ तक अधिक बताया गया और अन्य व्ययों को कम बताया गया।

[5] हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड, हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

[6] गुड़गांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड।

[7] (एच.पी.जी.सी.एल. ₹ 45.06 करोड़ + एच.वी.पी.एन.एल. ₹ 56.46 करोड़ + यू.एच.बी.वी.एन.एल. ₹ 1.34 करोड़ और डी.एच.बी.वी.एन.एल. ₹ 5.35 करोड़)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
3	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू.एच.बी.वी.एन.एल.)	कंपनी के लाभ को ₹ 1.34 करोड़ की शुद्ध राशि से कम बताया गया क्योंकि कंपनी ने न तो एच.पी.जी.सी.एल. को देय ₹ 12.23 करोड़ की अतिरिक्त बिजली खरीद लागत के लिए प्रावधान किया और न ही ₹ 13.57 करोड़ की निश्चित लागत के समायोजन के कारण प्राप्तियों को दर्ज किया।
4	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डी.एच.बी.वी.एन.एल.)	• कंपनी ने ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं से ₹ 0.50 करोड़ का अतिरिक्त अधिभार वसूल किया और इस राशि को अपनी अन्य आय में दर्ज किया जिसके परिणामस्वरूप लाभ और वर्तमान देनदारियों को ₹ 0.50 करोड़ तक अधिक बताया गया है। • कंपनी के लाभ को ₹ 1.86 करोड़ की शुद्ध राशि से कम बताया गया क्योंकि कंपनी ने न तो एच.पी.जी.सी.एल. को देय ₹ 16.95 करोड़ की अतिरिक्त बिजली खरीद लागत के लिए प्रावधान किया और न ही ₹ 18.81 करोड़ की निश्चित लागत के समायोजन के कारण प्राप्तियों को दर्ज किया। • अन्य व्ययों में 2019-20 के दौरान वार्षिक रखरखाव और तकनीकी सहायता तथा प्राप्त आई.टी. सक्षम सेवाओं के लिए देय ₹ 6.71 करोड़ को शामिल नहीं किया गया है परिणामस्वरूप ₹ 6.71 करोड़ तक चालू देयताओं का अवकथन और लाभ का अतिकथन हुआ।

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियां:

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
1	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	• प्रगति में पूंजीगत कार्य (सी.डब्ल्यू.आई.पी.) और चालू वर्ष के लाभ को ₹ 8.33 करोड़ से अधिक बताया गया था क्योंकि जिस सब-स्टेशन पर व्यय किया गया था, उसे हरियाणा सरकार द्वारा छोड़ दिया गया था। • कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एच.ई.आर.सी. (21 मई 2020 को जारी) द्वारा अनुमोदित कुल राजस्व आवश्यकताओं (ए.आर.आर.) से अधिक प्रसारण प्रभारों के माध्यम से ₹ 48.52 करोड़ की वसूली की। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2019-20 के लिए वर्तमान देयता को कम करके तथा लाभ को ₹ 48.52 करोड़ से अधिक बताया गया है।
2	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	हरियाणा सरकार द्वारा कंपनी को एच.पी.जी.सी.एल. के माध्यम से जारी सब्सिडी (मार्च 2020) के कारण ₹ 422.01 करोड़ की राशि के नकद और नकद समकक्षों में चेकस् इन हैंड शामिल हैं। 31 मार्च 2020 तक यह कंपनी द्वारा एच.पी.जी.सी.एल. से प्राप्य था। इसके परिणामस्वरूप एच.पी.जी.सी.एल. से उस सीमा तक नकद और नकद समकक्षों का अतिकथन और प्राप्यों का अवकथन हुआ।

अन्य महत्वपूर्ण टिप्पणियां:

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
1	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	• कंपनी ने 2019-20 के दौरान एन.टी.पी.सी. लिमिटेड और इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (आई.पी.जी.सी.एल., दिल्ली स्टेट कंपनी) के साथ अपने संयुक्त उद्यम अर्थात् अरावली पावर प्राइवेट लिमिटेड से ₹ 35.83 करोड़ का लाभांश प्राप्त किया और इसे अपने लेखाओं में दर्ज किए बिना हरियाणा सरकार के पास जमा करवा दिया। (इसी तरह की टिप्पणी पिछले वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं पर शामिल की गई थी।) • कंपनी ने वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए टैरिफ को अंतिम रूप देने में देरी के लिए ₹ 27.42 करोड़ की धारण लागत को 'अन्य आय' के बजाय ' परिचालनों से राजस्व' के रूप में अनुमति दी। • वेतन में एच.पी.जी.सी.एल. उत्पादन संयंत्रों की निगरानी और रख-रखाव के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से जुड़ी सुरक्षा सेवाओं पर ₹ 38.77 करोड़ की राशि शामिल है। व्यय को 'अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए। (इसी तरह की टिप्पणी पिछले वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं पर शामिल की गई थी।)

3.6 लेखांकन मानकों/भारतीय लेखांकन मानकों के प्रावधानों का अनुपालन न करना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (1), 132 और 133 के साथ पठित उपर्युक्त अधिनियम की धारा 469 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के उपयोग में केंद्र सरकार ने लेखांकन मानक 1 से 7 और 9 से 29 निर्धारित किए। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधन) नियम, 2016 के माध्यम से 41 भारतीय लेखांकन मानकों को अधिसूचित किया।

अनिवार्य लेखांकन मानकों/भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन न करने के निम्नलिखित दृष्टांत सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा सूचित किए गए थे:

लेखांकन मानक/ भारतीय लेखांकन मानक	मानक/ भारतीय लेखांकन मानक	कंपनी का नाम	विचलन
भारतीय लेखांकन मानक 36	परिसंपत्तियों की क्षति	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	कंपनी केवल भारतीय लेखांकन मानक 36, जो प्रावधान करता है कि प्रत्येक मूर्त और अमूर्त परिसंपत्ति का उचित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए और तदनुसार क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए, के उल्लंघन में बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों पर क्षति की ओर 10 प्रतिशत प्रदान करती है। बी.बी.एम.बी. के साथ संयुक्त रूप से रखी गई उत्पादन परिसंपत्तियों पर कोई क्षतिपूर्ति नहीं की गई है।

पूरक लेखापरीक्षा के दौरान, नि.म.ले.प. ने अवलोकित किया कि निम्नलिखित कंपनियों ने भी लेखांकन मानकों/भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं किया था, जो उनके सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रतिवेदित नहीं किए गए थे:

लेखांकन मानक/ भारतीय लेखांकन मानक	**मानक/ भारतीय लेखांकन मानक**	**कंपनी का नाम**	**विचलन**
भारतीय लेखांकन मानक 1	वित्तीय विवरणियों का प्रस्तुतिकरण	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	• कंपनी ने ₹ 16.81 करोड़ में भूमि का निपटान किया, जिसका बही मूल्य ₹ 0.05 करोड़ था और ₹ 16.76 करोड़ का लाभ अर्जित किया। भारतीय लेखांकन मानक-1 के प्रावधानों के अनुसार, इस मद को असाधारण मदों में शामिल किया जाना चाहिए था, हालांकि, इसे 'अन्य आय' के अंतर्गत दर्ज किया गया था। • बिजली की खरीद के संबंध में कई मुकदमे दर्ज थे, जिनमें ₹ 634.24 करोड़ का कुल भुगतान 'विद्युत खरीद लागत' के लिए लेखाबद्ध किया गया है। भारतीय लेखांकन मानक-1 के अनुसार, मुकदमे के निपटान की राशि को लाभ एवं हानि के विवरण में शीर्ष 'असाधारण मद (VI)' के अंतर्गत अलग से बताया जाना अपेक्षित है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 634.24 करोड़ की सीमा तक चालू वर्ष की विद्युत खरीद लागत का अतिकथन और असाधारण मदों का अवकथन हुआ।
भारतीय लेखांकन मानक 16	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	कंपनी की महत्वपूर्ण लेखा नीति के अनुसार, पूर्णता प्रमाण पत्र के अनुसार सभी गतिविधियों के पूरा होने पर सब-स्टेशन, प्रसारण लाइन और संबद्ध कार्यों को पूंजीगत कार्य से संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यद्यपि तकनीकी विंग के अभिलेखों के अनुसार इन परिसंपत्तियों के चालू होने की तिथि पूर्ण होने की तिथि से पहले की हो सकती है। यह भारतीय लेखांकन मानक 16- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अनुसार नहीं है। (इसी तरह की टिप्पणी पिछले वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं पर शामिल की गई थी।)

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में वित्तीय विवरणियों को आंशिक रूप से भारतीय लेखांकन मानकों के रूप में परिवर्तित किया गया है। प्रभाव मूल्यांकन विश्लेषण

रिपोर्ट, अपर्याप्त प्रलेखन के अभाव में, कंपनी के लाभ एवं हानि और बैलेंस शीट की स्थिति पर भारतीय लेखांकन मानक के गैर-अनुपालन के प्रभाव को निर्धारित नहीं किया जा सका।

एग्जिट कांफ्रेंस (जुलाई 2021) के दौरान, ए.सी.एस. (वित्त) भारतीय लेखांकन मानकों सहित लेखांकन मानकों के महत्व से सहमत हुए और एस.पी.एस.ई. को इनका पालन करने का निर्देश दिया।

3.7 प्रबंधन-पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक, लेखापरीक्षक और कॉर्पोरेट इकाई के प्रशासन का उत्तरदायित्व संभालने वालों के मध्य वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले लेखापरीक्षा मामलों पर संचार स्थापित करना है।

एस.पी.एस.ई. की वित्तीय विवरणियों पर भौतिक अभ्युक्तियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत नि.म.ले.प. द्वारा टिप्पणियों के रूप में प्रतिवेदित किया गया था। इन टिप्पणियों के अतिरिक्त, वित्तीय रिपोर्टों में या रिपोर्टिंग प्रक्रिया में नि.म.ले.प. द्वारा देखी गई अनियमितताएं या कमियां भी सुधारात्मक कार्रवाई हेतु एक 'प्रबंधन-पत्र' के माध्यम से प्रबंधन को सूचित की गईं थीं। ये कमियां सामान्यत: निम्नलिखित से संबंधित हैं:

- लेखांकन नीतियों एवं प्रथाओं का प्रयोग और व्याख्या,
- लेखापरीक्षा से उत्पन्न समायोजन जो वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं; और
- कुछ महत्वपूर्ण जानकारी का अपर्याप्त होना या प्रकट न होना।

वर्ष के दौरान, नि.म.ले.प. ने चार एस.पी.एस.ई. के 'प्रबंधन पत्रों' के माध्यम से हित के विशिष्ट मुद्दों को उठाया ***(परिशिष्ट /// डी)***।

अध्याय-4

कॉरपोरेट गवर्नेंस

अध्याय 4

4.1 कॉरपोरेट गवर्नेंस

4.1.1 कंपनी अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधान

29 अगस्त 2013 को कंपनी अधिनियम, 1956 को बदल कर कंपनी अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया था। इसके अतिरिक्त, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने प्रबंधन एवं गवर्नेंस, निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता, निदेशक मंडल की बैठकों और इसकी शक्तियों पर कंपनी नियम, 2014 को भी अधिसूचित (31 मार्च 2014) किया था। कंपनी नियम के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। आवश्यकताओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान है:

- ₹ 10 करोड़ या अधिक की प्रदत्त शेयर पूंजी, ₹ 100 करोड़ या अधिक के टर्नओवर, या ₹ 50 करोड़ से अधिक बकाया ऋण, डिबेंचर और जमा वाली कंपनियों द्वारा सार्वजनिक कंपनियों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और लेखापरीक्षा समिति जैसी कुछ समितियों की अनिवार्य स्थापना। {कंपनी नियम, 2014 (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) का नियम 4 और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177(1)}।
- व्यावसायिक आचरण के लिए कर्तव्य एवं मार्गनिदेश के साथ स्वतंत्र निदेशकों के लिए अहर्ताएं {कंपनी नियम, 2014 (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) के नियम 5 के साथ पठित धारा 149(6)}।
- ₹ 100 करोड़ या अधिक की प्रदत्त शेयर पूंजी या 300 करोड़ या अधिक के टर्नओवर वाली सार्वजनिक कंपनियों के बोर्ड में एक महिला निदेशक की अनिवार्य नियुक्ति {कंपनी नियम, 2014 (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) का नियम 3}।
- प्रतिवर्ष निदेशक मंडल की कम से कम चार बैठकें इस तरह आयोजित करना कि बोर्ड की दो लगातार बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतराल न हो {धारा 173(1)}।

इसके अतिरिक्त, हरियाणा वित्तीय निगम (एच.एफ.सी.) की इक्विटी और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एच.वी.पी.एन.एल.) के बॉण्ड्स स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थे। हालांकि, एच.एफ.सी. के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 की प्रयोज्यता पर विचार नहीं किया गया था क्योंकि इसने 2010 से नया कारोबार बंद कर दिया है और सेबी ने भी न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता के अनुपालन से एच.एफ.सी. को छूट (दिसंबर 2018) दी है।

4.1.2 चयनित एस.पी.एस.ई. द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा

31 मार्च 2020 को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हरियाणा में 36 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (एस.पी.एस.ई.) थे। फरवरी 1988 में स्थापित सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (वित्त विभाग, हरियाणा सरकार के अधीन) ने विभिन्न मुद्दों पर एस.पी.एस.ई. को निर्देश दिए हैं, लेकिन कॉरपोरेट गवर्नेंस पर कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है।

समीक्षा के प्रयोजन हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधानों के आधार पर एक आकलन किया गया था। 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समीक्षा में 22 कार्यशील एस.पी.एस.ई. हैं। इस प्रतिवेदन में समीक्षा किए गए एस.पी.एस.ई. के साथ-साथ छोड़े गए एस.पी.एस.ई. की सूची क्रमश: ***परिशिष्ट IV ए*** और ***परिशिष्ट IV बी*** में दी गई है।

4.2 निदेशक मंडल का गठन एवं बैठकें

4.2.1 निदेशक मंडल (बी.ओ.डी.), कॉरपोरेट गवर्नेंस का साधन है। यह गवर्नेंस नीतियों एवं व्यवहारों के कार्यान्वयन की एक एजेंसी है। यह आवश्यक है कि निदेशक मंडल कॉरपोरेट गवर्नेंस पर ध्यान दे और अपेक्षित प्रतिनिधित्व के साथ सुसज्जित हो और इसके सदस्य नियमित रूप से बैठकें करें। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173(1) में निर्दिष्ट है कि बोर्ड को दो लगातार बैठकों के बीच अधिकतम 120 दिनों के समय अंतराल के साथ वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करनी चाहिए। नीचे दी गई तालिका 4.1 उन कंपनियों को दर्शाती है जहां 2019-20 के दौरान एक वर्ष में आयोजित की जाने वाली बैठकों की संख्या की आवश्यकता की अनुपालना नहीं की गई:

तालिका 4.1: एस.पी.एस.ई. जहां निदेशक मंडल की चार बैठकों की आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया था

क्र.सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या
1.	हार्ट्रोन इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड	3
2.	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	3
3.	हरियाणा चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड	2
4.	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2
5.	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	3
6.	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	3
7.	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	3
8.	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	3

हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड ने बताया (जनवरी 2021) कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में उसके निदेशक मंडल की चौथी बोर्ड बैठक कोविड-19 की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण स्थगित कर दी गई थी। हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बताया (जनवरी 2021) कि कंपनी निदेशक मंडल की अनुपलब्धता और कोविड-19 महामारी के कारण केवल दो बोर्ड बैठकें ही आयोजित कर सकी।

4.2.2 स्वतंत्र निदेशक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के अनुसार, एक स्वतंत्र निदेशक से अभिप्राय एक प्रबंध निदेशक या एक पूर्णकालिक निदेशक या एक नामांकित निदेशक के अतिरिक्त अन्य निदेशक से है जो सत्यनिष्ठ हो और जिसके पास संबद्ध निपुणता एवं अनुभव हो। प्रबंधन के निर्णयों पर स्वतंत्र दृष्टिकोण लेने में सक्षम स्वतंत्र निदेशकों की बोर्ड में उपस्थिति को शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा के साधन के रूप में माना जाता है। कंपनी नियम, 2014 के नियम 4 (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) में प्रावधान है कि ₹ 10 करोड़ या अधिक की प्रदत्त शेयर पूंजी या ₹ 100 करोड़ या अधिक के टर्नओवर या ₹ 50 करोड़ से अधिक के कुल बकाया ऋणों, डिबेंचरों और जमाओं वाली प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी के बोर्ड में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक होंगे। इस मानदंड को पूरा करने वाली

12 एस.पी.एस.ई. की सूची ***परिशिष्ट IV सी*** में दी गई है। इन 12 एस.पी.एस.ई. में से दो एस.पी.एस.ई.[1] को स्वतंत्र निदेशक होने के मानदंड का पालन करने की आवश्यकता नहीं थी। शेष 10 एस.पी.एस.ई. में से एक एस.पी.एस.ई. (हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड) में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था जबकि शेष नौ एस.पी.एस.ई. अपने बोर्ड में दो स्वतंत्र निदेशक रखने के मानदंड को पूरा करते हैं। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के संबंध में अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि कंपनी ने राज्य सरकार से स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए अनुरोध भी नहीं किया था।

आगे, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 17(1) (बी) के अननुपालन में, स्वतंत्र निदेशकों के रूप में बोर्ड के कम से कम एक-तिहाई की आवश्यकता को निर्धारित करते हुए, जहां बोर्ड के अध्यक्ष एक गैर-कार्यकारी निदेशक थे, एच.वी.पी.एन.एल. के बोर्ड में नौ निदेशकों में से दो (22.22 प्रतिशत) स्वतंत्र निदेशक थे।

4.2.3 निदेशक मंडल में महिला का प्रतिनिधित्व

कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियम, 2014 के नियम 3 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) में प्रावधान है कि प्रत्येक ₹ 100 करोड़ या अधिक की प्रदत्त शेयर पूंजी या ₹ 300 करोड़ या अधिक के टर्नओवर वाली प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी के बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक होगी। इस मानदंड को पूरा करने वाले ऐसे सात एस.पी.एस.ई. की सूची ***परिशिष्ट IV डी*** में दी गई है। इन सभी सात एस.पी.एस.ई. के बोर्ड में महिला निदेशक थीं।

4.3 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति एवं कार्यप्रणाली

4.3.1 औपचारिक नियुक्ति-पत्र जारी करना

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-IV के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की औपचारिकता एक नियुक्ति-पत्र के माध्यम से की जाएगी जो नियुक्ति के नियमों एवं शर्तों को निर्धारित करेगा। तथापि यह अवलोकित किया गया कि बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों वाले नौ एस.पी.एस.ई. में से सात एस.पी.एस.ई. में, जैसा कि तालिका 4.2 में सूची दी गई है, 2019-20 के दौरान नियमों एवं शर्तों के विवरण देने वाले कोई नियुक्ति-पत्र जारी नहीं किए गए थे।

तालिका 4.2: एस.पी.एस.ई. जहां स्वतंत्र निदेशकों के नियुक्ति-पत्र जारी नहीं किए गए

क्र.सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम
1.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
2.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
3.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
4.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
5.	हरियाणा मास रेपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड
6.	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड
7.	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड

[1] हरियाणा रेल मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, संयुक्त उद्यम होने के कारण असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी और हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड ने बताया (जनवरी 2021) कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन करने के लिए नियुक्ति के नियम और शर्तें स्वतंत्र निदेशकों को जल्द ही भेजी जाएंगी। एच.पी.जी.सी.एल., यू.एच.बी.वी.एन.एल. और डी.एच.बी.वी.एन.एल. के प्रबंधन ने बताया (जनवरी-फरवरी 2021) कि एम.सी.ए. अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2113 (ई) दिनांक 5 जुलाई 2017 के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्ति-पत्र जारी करना सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सरकारी कम्पनियों के लिए उक्त प्रावधान की अनुप्रयोज्यता केवल तभी प्रासंगिक थी जब नियुक्ति के नियमों एवं शर्तों की आवश्यकता राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट की गई थी; और लेखापरीक्षा द्वारा इंगित सभी मामलों में, राज्य सरकार ने ऐसे नियमों एवं शर्तों को निर्दिष्ट नहीं किया था।

4.3.1.1 नियुक्ति का तरीका

नियुक्ति का तरीका अनुसूची-IV धारा IV का उप-धारा (2) में प्रावधान है कि कंपनी के स्वतंत्र निदेशक (निदेशकों) की नियुक्ति को शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की गई थी, हालांकि, शेयरधारकों की बैठक में उनकी नियुक्ति को अनुमोदित नहीं किया गया था।

तालिका 4.2(ए): एस.पी.एस.ई. की सूची जहां शेयरधारकों की बैठक में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को अनुमोदित नहीं किया गया था

क्र.सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम
1	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
2	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
3	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
4	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
5	हरियाणा मास रेपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड
6	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड
7	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड
8	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम
9	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड

एच.पी.जी.सी.एल., यू.एच.बी.वी.एन.एल. और डी.एच.बी.वी.एन.एल. के प्रबंधन ने बताया (जनवरी-फरवरी 2021) कि स्वतंत्र निदेशकों के साथ पहली बैठक में, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधान, जिनमें आचार संहिता और टी.ए./डी.ए., बैठक फीस आदि जैसे निबंधन एवं शर्तें शामिल हैं, स्वतंत्र निदेशकों के साथ साझा किए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्वतंत्र निदेशकों द्वारा पालन की जाने वाली आचार संहिता सहित नियुक्ति के नियमों एवं शर्तों को नियुक्ति-पत्र जारी करके औपचारिक रूप दिया जाना अपेक्षित था।

4.3.2 व्यावसायिक आचार संहिता

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-IV में स्वतंत्र निदेशकों के लिए व्यावसायिक आचरण के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में संहिता का प्रावधान है। हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड (एच.एस.आर.बी.सी.) और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (एच.एस.आई.आई.डी.सी.) नामक दो एस.पी.एस.ई. ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की थी और स्वतंत्र निदेशकों को औपचारिक नियुक्ति-पत्र जारी किया

था। जबकि एच.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा जारी नियुक्ति प्रस्ताव में व्यावसायिक आचार संहिता शामिल थी, वहीं एच.एस.आर.बी.सी. द्वारा स्वतंत्र निदेशक के नियुक्ति-पत्र में इसे शामिल नहीं किया गया था।

4.3.3 स्वतंत्र निदेशकों का प्रशिक्षण

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-IV में निर्दिष्ट है कि स्वतंत्र निदेशक उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और नियमित रूप से अपने कौशल, ज्ञान एवं कंपनी के साथ सुपरिचय को अद्यतित करेंगे। तथापि, यह अवलोकित किया गया कि तालिका 4.3 में सूचीबद्ध एस.पी.एस.ई. में स्वतंत्र निदेशकों, जो वर्ष 2019-20 के दौरान बोर्ड में थे, को ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

तालिका 4.3: एस.पी.एस.ई. जहां स्वतंत्र निदेशकों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया

क्र.सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम
1.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
2.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
3.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
4.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
5.	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
6.	हरियाणा मास रेपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड
7.	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड
8.	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड
9.	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड

एच.पी.जी.सी.एल., यू.एच.बी.वी.एन.एल. और डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने बताया (जनवरी-फरवरी 2021) कि स्वतंत्र निदेशकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-IV के अंतर्गत कोई विशिष्ट आवश्यकता नहीं थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्वतंत्र निदेशक संगठन (अर्थात कंपनी) की पहल के बिना प्रेरण प्रशिक्षण नहीं ले सकते थे।

4.3.4 निदेशक मंडल और बोर्ड समितियों की बैठकें

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-IV के पैरा III (3) में बताया गया है कि स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक-मंडल और बोर्ड समितियों की सभी बैठकों में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए, जिनके वे सदस्य हैं। तथापि, 2019-20 के दौरान कुछ स्वतंत्र निदेशकों ने इन बैठकों में भाग नहीं लिया। तालिका 4.4 ऐसे स्वतंत्र निदेशकों की संख्या इंगित करती है:

तालिका 4.4: स्वतंत्र निदेशक जिन्होंने बैठकों में भाग नहीं लिया

क्र. सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जिन्होंने बोर्ड की बैठकों में भाग नहीं लिया (बैठकों की संख्या)	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जिन्होंने अन्य बोर्ड समिति की बैठकों में भाग नहीं लिया (बैठकों की संख्या)
1	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2 (2)	2[2](2)
2	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	1 (3)	-
3	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2 (2)	-
4	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	4(3)	-

[2] लेखापरीक्षा समिति की एक बैठक और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की एक बैठक।

क्र. सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जिन्होंने बोर्ड की बैठकों में भाग नहीं लिया (बैठकों की संख्या)	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जिन्होंने अन्य बोर्ड समिति की बैठकों में भाग नहीं लिया (बैठकों की संख्या)
5	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	4 (8)	1[3](1)
6	हरियाणा मास रेपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	2 (9)	-
7	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2 (1)	-
8	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	2 (4)	-
9	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	2 (2)	2[4](3)

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े उन बैठकों की संख्या दर्शाते हैं जिनमें कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक अनुपस्थित था।

इस प्रकार, उपर्युक्त कंपनियां अपने मामलों के प्रबंधन में स्वतंत्र निदेशकों की योग्यता और अनुभव का उपयोग नहीं कर सकीं और उनकी नियुक्ति का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

एच.पी.जी.सी.एल., एच.एस.आई.आई.डी.सी. और हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड ने बताया (फरवरी 2021) कि स्वतंत्र निदेशक अपनी पूर्वव्यस्तता के कारण बैठकों में शामिल नहीं हो सके; यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने बताया (फरवरी 2021) कि कंपनी अधिनियम की धारा 167 (1) (बी) के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों के लिए बोर्ड की सभी बैठकों में भाग लेना आवश्यक नहीं था, प्रत्येक निदेशक के लिए बारह माह की अवधि के दौरान बोर्ड की कम से कम एक बैठक में भाग लेना अनिवार्य था। एच.वी.पी.एन.एल. और डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने बताया (फरवरी 2021) कि स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अनुपस्थिति हेतु विधिवत अनुमति दी गई थी।

पूर्वव्यस्तता के कारण स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति को समाप्त किया जा सकता था यदि कंपनी ने बोर्ड की बैठकों के लिए पर्याप्त समय पर नोटिस दिया होता। यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति की व्याख्या करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 167 (1) (बी) का जो हवाला दिया है वो प्रासंगिक नहीं है क्योंकि इसमें ऐसी शर्तों का प्रावधान है जिनके अंतर्गत एक निदेशक का कार्यालय खाली हो जाएगा।

4.3.5 कंपनी की आम बैठकों में भाग लेना

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-IV के पैरा III (5) में बताया गया है कि स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी की सभी आम बैठकों में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए। तालिका 4.5 ऐसे एस.पी.एस.ई. इंगित करती है जिनमें 2019-20 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों ने आम बैठकों में भाग नहीं लिया।

[3] लेखापरीक्षा समिति की बैठक।

[4] दोनों कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की बैठकें।

तालिका 4.5: उन कंपनियों की सूची जहां स्वतंत्र निदेशकों ने आम बैठकों में भाग नहीं लिया

क्र. सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जिन्होंने आम बैठकों में भाग नहीं लिया
1.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	1
2.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	1
3.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2
4.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	4
5.	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	4
6.	हरियाणा मास रेपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	1
7.	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	3
8.	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	1
9.	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	2

जबकि एच.पी.जी.सी.एल. और यू.एच.बी.वी.एन.एल. के प्रबंधन ने बताया (फरवरी 2021) कि स्वतंत्र निदेशकों की ओर से ऐसी बैठक में भाग लेना अनिवार्य नहीं था, डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने बताया (फरवरी 2021) कि बोर्ड द्वारा स्वतंत्र निदेशक को अनुपस्थिति के लिए छुट्टी दी गई थी। एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने बताया (फरवरी 2021) कि स्वतंत्र निदेशक पूर्वव्यस्तता के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सके। हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड ने बताया (जनवरी 2021) कि पूर्ण कंपनी सचिव के अभाव में स्वतंत्र निदेशक आम बैठक में शामिल नहीं हो सके।

एच.पी.जी.सी.एल. और यू.एच.बी.वी.एन.एल. के उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि उपर्युक्त प्रावधान स्वतंत्र निदेशकों पर सामान्य बैठकों में भाग लेने का प्रयास करने की जिम्मेदारी डालते हैं।

4.3.6 स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

4.3.6.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-IV के पैरा VII (1) में अपेक्षित है कि स्वतंत्र निदेशकों को वर्ष में कम से कम एक बार गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना बैठक करनी चाहिए। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-IV के पैरा VII (2) में प्रावधान है कि सभी स्वतंत्र निदेशकों को ऐसी बैठक में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए। तालिका 4.6 ऐसे तीन एस.पी.एस.ई. को इंगित करती है जिनमें 2019-20 के दौरान कोई पृथक बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

तालिका 4.6: एस.पी.एस.ई. जहां स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठकें आयोजित नहीं हुई

क्र.सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम
1.	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
2.	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड
3.	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड

एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने बताया (जुलाई 2021) कि कॉरपोरेट मामले मंत्रालय ने, कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए, एक विशेष उपाय के रूप में कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्वतंत्र निदेशकों की बैठक आयोजित करने से छूट (24 मार्च 2020) दी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 24 मार्च 2020 को कॉरपोरेट मामले मंत्रालय द्वारा आदेश जारी करने तक और वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2020 को समाप्त होने तक ऐसी कोई बैठक निर्धारित

नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, कॉरपोरेट मामले मंत्रालय के दिनांक 24 मार्च 2020 के पत्र में बताया गया है कि स्वतंत्र निदेशकों की ऐसी अनुपस्थिति को उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यह छूट एच.एस.आई.आई.डी.सी. के हवाले से काफी अलग है।

हरियाणा मास रैपिड परिवहन निगम लिमिटेड (एच.एम.आर.टी.सी.) के संबंध में पृथक बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन कंपनी द्वारा बैठक के कार्यवृत तैयार नहीं किए गए थे।

4.3.6.2 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-IV के पैरा VII (3) में अपेक्षित है कि स्वतंत्र निदेशक पृथक बैठक में (क) गैर-स्वतंत्र निदेशकों और समग्र बोर्ड के निष्पादन (ख) अध्यक्ष के निष्पादन और (ग) प्रबंधन एवं निदेशक मंडल के मध्य सूचना के प्रवाह, जो बोर्ड के लिए उनके कर्तव्यों के प्रभावी और उचित निष्पादन के लिए अनिवार्य है, की समीक्षा करेंगे। तालिका 4.7 ऐसे तीन एस.पी.एस.ई. को इंगित करती है, जहां स्वतंत्र निदेशकों की बैठक में उपर्युक्त मामलों की समीक्षा नहीं की गई थी, यद्यपि पृथक बैठकें आयोजित की गई थीं।

तालिका 4.7: एस.पी.एस.ई. जहां स्वतंत्र निदेशकों ने निष्पादन का मूल्यांकन नहीं किया

क्र.सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम
1.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
2.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
3.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

एच.पी.जी.सी.एल. और डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने बताया (फरवरी 2021) कि एम.सी.ए. अधिसूचना दिनांक 5 जुलाई 2017 के अनुसार, यह आवश्यकता सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एम.सी.ए. अधिसूचना के अनुसार कंपनी अधिनियम के संबंधित प्रावधान इन एस.पी.एस.ई. पर लागू नहीं थे क्योंकि राज्य सरकार ने न तो स्वतंत्र निदेशकों द्वारा पालन के लिए अलग से ऐसी आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया था और न ही इन एस.पी.एस.ई. द्वारा अनुपालन किया गया था।

4.4 निदेशक मंडल की बैठक की सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 (3) में बताया गया है कि निदेशक मंडल की बैठक की सूचना ऐसी बैठक से कम से कम सात दिन पहले दी जाएगी। यद्यपि, बोर्ड की बैठक जरूरी कार्य करने के लिए कम दिनों की सूचना पर भी बुलाई जा सकती है बशर्ते कि कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक, यदि कोई हो, बैठक में उपस्थित होगा। तालिका 4.8 ऐसे एस.पी.एस.ई. को इंगित करती है जहां निदेशक मंडल की बैठक की सूचना को कम से कम सात दिन पहले नहीं दी गई थी।

तालिका 4.8: निदेशक मंडल की बैठक से कम से कम सात दिन पहले सूचना नहीं दी गई थी

क्र. सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम	बैठकों की संख्या में से अवसरों की संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की आवश्यकता	कम अवधि की सूचना के कारण स्वतंत्र निदेशक की अनुपस्थिति
1.	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	10 में से 1	हां	एक बैठक में एक बार

क्र. सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम	बैठकों की संख्या में से अवसरों की संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की आवश्यकता	कम अवधि की सूचना के कारण स्वतंत्र निदेशक की अनुपस्थिति
2.	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	5 में से 1	नहीं	लागू नहीं
3.	हार्ट्रोन इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड	3 में से 1	नहीं	लागू नहीं
4.	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	3 में से 1	नहीं	लागू नहीं
5.	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	3 में से 2	नहीं	लागू नहीं
6.	हरियाणा मास रेपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	9 में से 8	हां	आठ बैठकों में पांच बार
7.	पानीपत प्लास्टिक पार्क लिमिटेड	4 में से 1	नहीं	लागू नहीं

उपर्युक्त सात एस.पी.एस.ई. में से दो (अर्थात् एच.एस.आई.आई.डी.सी. और एच.एम.आर.टी.सी.) को अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता थी। तथापि, अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि:

(i) 7 मई 2019 को आयोजित एच.एस.आई.आई.डी.सी. बोर्ड की बैठक में सभी चार स्वतंत्र निदेशक अनुपस्थित रहे; जिसकी सूचना बैठक की तिथि से तीन दिन पहले ही दी गई थी।

(ii) दोनों स्वतंत्र निदेशक एच.एम.आर.टी.सी. बोर्ड की पांच बैठकों में अनुपस्थित रहे, जबकि दो में से एक स्वतंत्र निदेशक शेष चार बोर्ड बैठकों में अनुपस्थित रहे। इनमें से पांच बैठकों की सूचना सिर्फ एक दिन पहले दी गई थी। दो बैठकों के संबंध में सूचना चार दिन पहले और एक बैठक के संबंध में छः दिन पहले दी गई थी।

एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने स्पष्ट किया (जनवरी 2021) कि बोर्ड ने 29 मार्च 2019 को हुई अपनी पिछली बैठक में अगली बैठक 1 अप्रैल 2019 को आयोजित करने का निर्णय लिया था।

4.5 कार्यशील, गैर-कार्यशील और स्वतंत्र निदेशक के पदों को भरा जाना

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों, निदेशकों आदि के पदों में रिक्तियों को समय पर भरने से कंपनी के प्रबंधन में अपेक्षित कौशल और विशेषज्ञता की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। रिक्तियों को भरे जाने में कोई विलंब निर्णय लेने की प्रक्रिया की प्रभाविकता में बाधक हो सकता है। कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियम, 2014 का नियम 4 यह निर्धारित करता है कि एक स्वतंत्र निदेशक के त्यागपत्र या निष्कासन से उत्पन्न होने वाली रिक्ति को तत्काल अगली बोर्ड बैठक या ऐसी रिक्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर, जो भी बाद में हो, जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए। तथापि, यह अवलोकित किया गया था कि तालिका 4.9 में वर्णित एस.पी.एस.ई. ने 2019-20 के दौरान उपर्युक्त प्रावधान का अनुपालन नहीं किया और स्वतंत्र निदेशकों के पद लंबे समय तक खाली पड़े रहे:

तालिका 4.9: एस.पी.एस.ई. जहां स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पद समय पर नहीं भरे गए

क्र. सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम	अपेक्षित स्वतंत्र निदेशकों की संख्या[5]	रिक्त पदों की संख्या	2019-20 के दौरान उन माहों की कुल संख्या जिनमें पद रिक्त रहे
1.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2	1	4 (6.12.2019 से 31.03.2020)
2.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2	1	4 (28.11.2019 से 31.03.2020)
3.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2	4	17 तीन पद चार-चार माह (28.11.2019 से 31.03.2020) तथा चौथा पद पांच माह (25.10.2019 से 31.03.2020) से रिक्त पड़ा है
4.	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2	2	24 दो पद 12-12 माह (01.04.2019 से 31.03.2020) तक रिक्त रहे

एच.पी.जी.सी.एल., एच.वी.पी.एन.एल. और डी.एच.बी.वी.एन. के प्रबंधनों ने बताया (जनवरी-फरवरी 2021) कि उन्होंने 6 दिसंबर 2019, 28 नवंबर 2019 और 28 नवंबर 2019 को हुई रिक्ति के विरूद्ध क्रमश: 6 नवंबर 2019, 5 नवंबर 2019 और 5 नवंबर 2019 को स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की। तथापि, राज्य सरकार ने क्रमशः 29 मई 2020, 4 जून 2020 और 10 जून 2020 को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी दी।

आगे, यह भी अवलोकित किया गया था कि तालिक 4.10 में सूचीबद्ध एस.पी.एस.ई. में प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की रिक्तियों को ऐसी रिक्ति से छ: माह की अवधि के मध्य भरा नहीं गया था जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 (4) में निर्धारित है:

तालिका 4.10: एस.पी.एस.ई. जहां प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के रिक्त पदों को समय पर नहीं भरा गया

क्र. सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम	पदनाम	2019-20 के दौरान विलंब (माह में)
1.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	निदेशक (वित्त)	**12 (1.04.2019 से 31.03.2020)**
		निदेशक (तकनीकी)	**7 (25.09.2019 से 31.03.2020)**
2.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	निदेशक (वित्त)	**12 (1.04.2019 से 31.03.2020)**
		कंपनी सचिव	**12 (1.04.2019 से 31.03.2020)**
3.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	निदेशक (वित्त)	**12 (1.04.2019 से 31.03.2020)**
		निदेशक (तकनीकी-I)	**10 (30.05.2019 से 31.03.2020)**
		निदेशक (तकनीकी-II)	**7 (17.09.2019 से 31.03.2020)**

[5] संबंधित कंपनियों के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (एम.ओ.ए.) ने बोर्ड में न्यूनतम संख्या में स्वतंत्र निदेशकों के होने का प्रावधान नहीं किया। इसी प्रकार, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार न्यूनतम संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता को अपनाया गया है।

क्र. सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम	पदनाम	2019-20 के दौरान विलंब (माह में)
4.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	निदेशक (वित्त)	**12 (1.04.2019 से 31.03.2020)**
5.	हरियाणा रेल मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	पूर्णकालिक निदेशक	**12 (1.04.2019 से 31.03.2020)**
6.	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	प्रबंध निदेशक	**7 (11.09.2019 से 31.03.2020)**
7.	हरियाणा मास रेपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	कंपनी सचिव	**12 (1.04.2019 से 31.03.2020)**
		मुख्य वित्त अधिकारी	**12 (1.04.2019 से 31.03.2020)**

एच.पी.जी.सी.एल., एच.वी.पी.एन.एल., यू.एच.बी.वी.एन.एल. और डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने बताया (फरवरी 2021) कि राज्य सरकार के स्तर पर निदेशक/वित्त और निदेशक/तकनीकी की नियुक्ति प्रक्रियाधीन थी।

एग्जिट कांफ्रेंस (जुलाई 2021) के दौरान, यह सहमति हुई कि हरियाणा लोक उद्यम ब्यूरो को विशेष रूप से स्वतंत्र निदेशकों की समय पर नियुक्ति और प्रशिक्षण द्वारा एस.पी.एस.ई. द्वारा कॉरपोरेट प्रशासन के प्रावधानों के अनुपालन में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

4.6 लेखापरीक्षा समिति

4.6.1 लेखापरीक्षा समिति का गठन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (1) एवं (2) निर्धारित करती है कि न्यूनतम तीन निदेशकों की एक लेखापरीक्षा समिति होगी जिसमें स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत होगा। आगे कंपनी (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियां) नियम 2014 का नियम 6 प्रावधान करता है कि ₹ 10 करोड़ या अधिक की प्रदत्त पूंजी या ₹ 100 करोड़ या अधिक के टर्नओवर या ₹ 50 करोड़ या अधिक के बकाया ऋणों या उधारों या डिबेंचरों या जमाओं वाली प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी, एक लेखापरीक्षा समिति का गठन करेगी।

उपर्युक्त शर्तों के अनुसार ***परिशिष्ट IV सी*** में सूचीबद्ध 12 कंपनियों को लेखापरीक्षा समिति का गठन करना अपेक्षित था। तथापि, एक एस.पी.एस.ई. (हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड) ने लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया।

आगे, लेखापरीक्षा समिति के अधिकांश सदस्य तालिका 4.11 में वर्णित एस.पी.एस.ई. के संबंध में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

तालिका 4.11: एस.पी.एस.ई. जहां लेखापरीक्षा समितियों में स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत नहीं था

क्र.सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम	अवधि
1.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	6 दिसंबर 2019 से
2.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	अप्रैल 2019 से
3.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	25 अक्तूबर 2019 से

हरियाणा मास रैपिड परिवहन निगम लिमिटेड ने समुचित रूप से लेखापरीक्षा समिति गठित की थी, यद्यपि 2019-20 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठक के कार्यवृत्त कंपनी द्वारा तैयार नहीं किए गए थे।

एच.पी.जी.सी.एल. और डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने स्वीकार किया (जनवरी एवं फरवरी 2021) कि अन्य स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता या कम कार्यकाल के कारण, लेखापरीक्षा समितियों के उचित गठन का अनुपालन नहीं किया जा सका और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के उनके प्रस्ताव राज्य सरकार के पास लंबित थे। एच.वी.पी.एन.एल. ने बताया कि स्वतंत्र निदेशकों के बहुमत वाली लेखापरीक्षा समिति का विधिवत गठन (11 जून 2020) किया गया है।

4.6.2 नि.म.ले.प.की पूरक लेखापरीक्षा के परिणामों की समीक्षा

सांविधिक अधिदेश के अनुसार सभी एस.पी.एस.ई. की नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षा की जानी चाहिए। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) सरकारी कंपनियों के लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा करने के लिए नि.म.ले.प. को प्राधिकृत करती है। आगे, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (4) (iii) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति, वित्तीय विवरणियों तथा उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की जांच करेगी। इस प्रकार, एस.पी.एस.ई. के मामले में नि.म.ले.प. के जांच परिणामों की समीक्षा करना लेखापरीक्षा समिति का अधिदेश है। वार्षिक लेखाओं पर नि.म.ले.प. की टिप्पणियों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई।

4.6.3 एच.वी.पी.एन.एल. द्वारा सेबी विनियमों का अनुपालन न करना

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एच.वी.पी.एन.एल.) के बॉण्ड्स को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया था और 20 मार्च 2017 के लिस्टिंग समझौते के अनुसार, सेबी (एल.ओ.डी.आर.)[6] विनियम, 2015 के अनुपालन के बाद एच.वी.पी.एन.एल. की लेखापरीक्षा समिति द्वारा नहीं किया गया है:

- लेखापरीक्षा समिति ने सेबी (एल.ओ.डी.आर.) विनियम, 2015 की अनुसूची II के भाग सी (ए) (11) के अनुसार अपेक्षित कंपनी में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन नहीं किया है।
- सेबी (एल.ओ.डी.आर.) विनियम, 2015 की अनुसूची II के भाग सी (ए) (12) के अनुसार अपेक्षित सांविधिक लेखापरीक्षकों और आंतरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की समीक्षा नहीं की गई है।
- लेखापरीक्षा समिति ने सेबी (एल.ओ.डी.आर.) विनियम, 2015 की अनुसूची II के भाग सी (ए) (13) के अनुसार अपेक्षित आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफिंग और विभाग के प्रमुख अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, आंतरिक लेखापरीक्षा की कवरेज और आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा नहीं की है।
- सेबी (एल.ओ.डी.आर.) विनियम, 2015 की अनुसूची II के विनियम 18 (3) और भाग सी (बी) में वर्णित है कि लेखापरीक्षा समिति अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेनों के विवरण, सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक

[6] भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015.

नियंत्रण कमजोरियों के प्रबंधन पत्रों/पत्रों, आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों, मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, निष्कासन एवं पारिश्रमिक की शर्तों और विचलनों के विवरण से संबंधित सूचना की समीक्षा करेगी, जिनकी लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा नहीं की गई है।

- लेखापरीक्षा समिति ने सेबी (एल.ओ.डी.आर.) विनियम, 2015 के भाग सी (ए) (16) के अनुसार अपेक्षित महत्वपूर्ण क्षेत्रो का एवं लेखापरीक्षा की प्रकृति और क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा के पूर्व एवं पश्चात सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ कोई चर्चा नहीं की।

एग्जिट कांफ्रेंस (जुलाई 2021) के दौरान, एच.वी.पी.एन.एल. के प्रबंधन ने बताया कि सेबी की अपेक्षाओं का अनुपालन अगली रिपोर्ट से पहले किया जाएगा।

4.7 अन्य समितियां

4.7.1 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (1) और कंपनी (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियां) नियम 2014 के नियम 6 में विनिर्दिष्ट है कि प्रत्येक एस.पी.एस.ई. एक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एन.आर.सी.) गठित करेगी जिसमें कम से कम तीन निदेशक हों, जिनमें से सभी गैर-कार्यकारी निदेशक होने चाहिए और कम से कम आधे स्वतंत्र होंगे और समिति के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होंगे। तथापि, एस.पी.एस.ई. में कोई नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति नहीं थी जैसा कि तालिका 4.12 में विवरण दिया गया है।

तालिका 4.12: एस.पी.एस.ई. जिनमें नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति नहीं थी

क्र.सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम
1.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
2.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
3.	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड

यद्यपि, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में समिति का गठन किया गया था, तीन निदेशकों और उनमें से आधे के स्वतंत्र निदेशक होने की अपेक्षिता 2019-20 के दौरान पूरी नहीं की गई थी।

एच.पी.जी.सी.एल. ने बताया (फरवरी 2021) कि स्वतंत्र निदेशकों की दो रिक्तियों, जिनके प्रस्ताव राज्य सरकार के पास लंबित थे, के कारण एन.आर.सी. का गठन नहीं किया जा सका।

धारा 177 (लेखापरीक्षा समिति) और धारा 178 (नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति) के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के मामले में, कंपनी पर न्यूनतम ₹ एक लाख का जुर्माना लगाया जाएगा जिसे ₹ पांच लाख तक बढ़ाया जा सकता है और कंपनी के प्रत्येक चूककर्ता अधिकारी को एक वर्ष तक के कारावास या न्यूनतम ₹ 25,000 के जुर्माने जिसे ₹ एक लाख तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों ही से दंडित किया जा सकता है। हालांकि, यह देखा गया था कि 2019-20 के दौरान कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा ऐसा कोई जुर्माना नहीं लगाया गया।

4.8 व्हीसल ब्लोअर मैकेनिज्म

4.8.1 कंपनी (बोर्ड की बैठक एवं इसकी शक्तियां) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (9) में प्रावधान है कि कंपनी अनुचित आचरण, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिक नीति के उल्लंघन के बारे में चिंता जताने के लिए निदेशकों और कर्मचारियों के लिए एक सतर्कता यंत्रावली स्थापित करेगी। यह अवलोकित किया गया था कि तालिका 4.13 में यथा सूचीबद्ध 12 एस.पी.एस.ई. में से पांच एस.पी.एस.ई. में कोई व्हीसल ब्लोअर मैकेनिज्म नहीं था।

तालिका 4.13: एस.पी.एस.ई. जिनमें व्हीसल ब्लोअर मैकेनिज्म नहीं था

क्र.सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम
1.	हरियाणा मास रेपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड
2.	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
3.	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड
4.	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड
5.	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड

4.8.2 कंपनी (बोर्ड की बैठक एवं इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 7 (2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-IV का पैरा III (10) लेखापरीक्षा समिति, यदि यह कंपनी में विद्यमान है, द्वारा व्हीसल ब्लोअर मैकेनिज्म की कार्यप्रणाली की समीक्षा निर्धारित करता है। नीचे तालिका 4.14 में वर्णित एस.पी.एस.ई. में यद्यपि व्हीसल ब्लोअर मैकेनिज्म विद्यमान था, लेखापरीक्षा समिति ने इसकी समीक्षा नहीं की।

तालिका 4.14: एस.पी.एस.ई. जिनमें व्हीसल ब्लोअर मैकेनिज्म था परंतु लेखापरीक्षा समिति द्वारा इसकी समीक्षा नहीं की गई

क्र.सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम
1.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
2.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
3.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
4.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
5.	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

एच.पी.जी.सी.एल., यू.एच.बी.वी.एन.एल., डी.एच.बी.वी.एन.एल. और एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने बताया (फरवरी 2021) कि जब कभी कोई शिकायत हुई तो लेखापरीक्षा समिति ने व्हिसल ब्लोअर तंत्र की समीक्षा की। एच.पी.जी.सी.एल., यू.एच.बी.वी.एन.एल. और डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने बताया कि यह आवश्यकता गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों पर लागू नहीं थी।

एच.पी.जी.सी.एल., यू.एच.बी.वी.एन.एल. और डी.एच.बी.वी.एन.एल. का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी (बोर्डों की बैठक और उसकी शक्तियां), नियम 2014 के अनुसार, जिन कंपनियों को लेखापरीक्षा समिति का गठन करना अपेक्षित था, उन्हें ऐसी समिति के माध्यम से सतर्कता तंत्र की निगरानी करना अपेक्षित था।

4.9 वार्षिक आम बैठक की सूचना

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 101 में प्रावधान है कि किसी कंपनी की आम बैठक की सूचना लिखित या इलेक्ट्रॉनिक मोड, जैसा भी निर्धारित हो, के माध्यम से कम से कम 21 दिन पहले दी जानी चाहिए। आगे, आम बैठक कम समय के नोटिस पर बुलाई जा सकती है यदि ऐसी बैठक में मतदान हेतु पात्र कम से कम 95 प्रतिशत सदस्यों द्वारा लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा सहमति दी जाती है। एस.पी.एस.ई. की सूची जहां कम समय के नोटिस की अवधि की सहमति नहीं दी गई थी और जहां ए.जी.एम. का नोटिस 21 दिन पहले परिचालित नहीं किया गया था जैसा कि तालिका 4.15 में दिया गया है।

तालिका 4.15: वार्षिक आम बैठक से कम से कम 21 दिन पहले नोटिस परिचालित नहीं किया गया

क्र.सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम
1.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
2.	हरियाणा मास रेपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड
3.	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड
4.	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड
5.	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड

डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने बताया (फरवरी 2021) कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ए.जी.एम. कम समय के नोटिस पर आयोजित की गई थी, जिसमें ए.जी.एम. से पहले ही सभी शेयरधारकों की सहमति प्राप्त की गई थी। तथापि, तथ्य रहता है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा कवर की गई अवधि (2019-20) के दौरान आयोजित ए.जी.एम. को अपेक्षित 21 दिनों से कम समय के नोटिस के साथ और कम समय के नोटिस के लिए शेयरधारकों की सहमति प्राप्त किए बिना आयोजित किया गया था।

4.10 संबंधित पार्टियों से संबंधित नीति

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 23 (1) और (4) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक कंपनी संबंधित पार्टी लेनदेन की भौतिकता पर एक नीति तैयार करेगी। इसके अतिरिक्त, संबंधित पार्टी लेनदेन की ऐसी भौतिकता को संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाना अपेक्षित है। हालांकि, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ने ऐसी नीति नहीं बनाई है।

4.11 वेबसाइट पर सूचना का प्रकटीकरण

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 46 (2) (ए), (एफ) और (जी) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक कंपनी (i) संबंधित पार्टी लेनदेन से संबंधित नीति और (ii) अपनी वेबसाइट पर गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान करने के मानदंड बशर्ते कि वार्षिक रिपोर्ट में इसका प्रकटीकरण न किया गया हो, पर सूचना का प्रकटीकरण करेगी। तथापि, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के मामले में कंपनी की वेबसाइट पर ऐसा कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया था।

निष्कर्ष

चयनित 22 एस.पी.एस.ई. में से एक एस.पी.एस.ई. में किसी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं हुई थी; चार एस.पी.एस.ई. में स्वतंत्र निदेशकों की रिक्ति को भरने में तीन माह से अधिक के विलंब देखे गए थे; सात एस.पी.एस.ई. में बोर्ड में प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की रिक्ति को भरने में छः माह से अधिक के विलंब देखे गए; एक एस.पी.एस.ई. में कोई लेखापरीक्षा समिति नहीं थी; तीन एस.पी.एस.ई. में किसी नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया था; पांच एस.पी.एस.ई. में कोई व्हीसल ब्लोअर मैकेनिज्म विद्यमान नहीं था, एक सूचीबद्ध कंपनी की वेबसाइट पर संबंधित पार्टी लेनदेन से संबंधित नीति का प्रकटीकरण नहीं किया गया था ।

सिफारिश

हरियाणा लोक उद्यम ब्यूरो को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए एक नीति तैयार करनी चाहिए जिसमें उनकी नियुक्ति, बैठक फीस आदि के लिए प्रस्ताव शुरू करने के लिए समय सीमा सहित मानक निबंधन एवं शर्तें शामिल हों। हरियाणा सरकार कंपनी नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 में यथा निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों पर प्रभाव डाले ताकि एस.पी.एस.ई. में कॉरपोरेट गवर्नेंस के उद्देश्य प्राप्त किए जा सकें।

मामला दिसंबर 2020 में सरकार और कंपनियों के पास भेजा गया था। तथापि, छः कंपनियों और सरकार (एच.वी.पी.एन.एल. के मामले को छोड़कर) के उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (जून 2021)। जुलाई 2021 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में कॉरपोरेट गवर्नेंस के मुद्दों पर प्रकाश डाला गया।

अध्याय-5

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

अध्याय 5

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

5.1 प्रस्तावना

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) व्यवसाय द्वारा नैतिक रूप से व्यवहार करने और बड़े पैमाने पर स्थानीय समुदाय के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए आर्थिक विकास में योगदान करने की निरंतर प्रतिबद्धता है। यह स्थिरता, सामाजिक प्रभाव और नैतिकता को शामिल करते हुए अपने हितधारकों और बड़े पैमाने पर सामान्य समुदाय के हितों की पहचान करता है। सी.एस.आर. की अवधारणा देने और लेने की विचारधारा पर टिकी हुई है। कंपनियां समाज से कच्चे माल, मानव संसाधन आदि के रूप में संसाधन लेती हैं। कंपनियां सी.एस.आर. गतिविधियों का निर्वहन करते हुए समाज को कुछ वापस दे रही हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सी.एस.आर. जनादेश को शामिल करना विकास के लाभों को समान रूप से वितरित करने और देश के विकास एजेंडे के साथ कॉरपोरेट जगत को शामिल करने के सरकार के प्रयासों को पूरा करने का एक प्रयास है।

कानूनी ढांचा: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (बाद में अधिनियम के रूप में संदर्भित), कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के विषय से संबंधित है और उन कंपनियों के लिए किसी वित्तीय वर्ष के दौरान निवल मूल्य, टर्नओवर और निवल लाभ पर आधारित योग्यता को पूरा करने वाले मानदंड को निर्धारित करती है, जिनके द्वारा सी.एस.आर. गतिविधियां शुरू करना अपेक्षित है और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा सी.एस.आर. गतिविधियों के चयन, कार्यान्वयन और निगरानी के व्यापक तौर-तरीकों को निर्दिष्ट करती है। कंपनियों द्वारा जो गतिविधियां सी.एस.आर. नीतियों में शामिल की जा सकती हैं वे अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध है। अधिनियम की धारा 135 और अधिनियम की अनुसूची VII के प्रावधान एस.पी.एस.ई. सहित सभी कंपनियों पर लागू होते हैं।

अधिनियम किसी भी कंपनी के लिए वार्षिक तौर पर तीन तत्काल पूर्ववर्ती वर्षों के औसत निवल लाभ के कम से कम दो प्रतिशत (अधिनियम की धारा 198 के अनुसार परिगणित) को सी.एस.आर. गतिविधियों में व्यय करना अनिवार्य बनाता है। फरवरी 2014 में, कॉरपोरेट मामले मंत्रालय (एम.सी.ए.) ने कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 जारी किए, जो 1 अप्रैल 2014 से एस.पी.एस.ई. सहित सभी कंपनियों पर लागू होते हैं। तदनुसार, अधिनियम के अंतर्गत सी.एस.आर. के प्रावधानों का अनुपालन अर्थात् सी.एस.आर. समिति का गठन, सी.एस.आर. नीति का निर्माण तथा सी.एस.आर. गतिविधियों पर निर्धारित राशि का व्यय अप्रैल 2014 से लागू हुआ।

5.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

एस.पी.एस.ई. की सी.एस.आर. गतिविधियों के आकलन का लेखापरीक्षा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या:

- सी.एस.आर. समिति के गठन, नीति के निर्माण और अनुपालन, निष्पादन के नियोजन चरणों से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है;
- निर्दिष्ट गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली निर्धारित राशि से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है; तथा
- कार्यान्वयन और रिपोर्टिंग से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

5.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कवरेज

अधिनियम की धारा 135 (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट मानदंड के अनुसार 2018-19 में 25 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एस.पी.एस.ई.) में से 10 एस.पी.एस.ई. ***(परिशिष्ट V ए)*** को सी.एस.आर. गतिविधियों को करने की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा ने वर्ष 2019-20 के दौरान इन सभी 10 एस.पी.एस.ई. द्वारा की गई सी.एस.आर. गतिविधियों की समीक्षा की। 10 एस.पी.एस.ई. में से केवल सात एस.पी.एस.ई. ने वर्ष 2019-20 के दौरान सी.एस.आर. गतिविधियों और किए गए व्यय के लिए बजट प्रदान किया था।

5.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा विश्लेषण निम्नलिखित मानदंड के अनुसार किया गया था:

- अधिनियम की धारा 135 और अनुसूची VII में निहित प्रावधान: और
- कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के प्रावधान।

5.5 लेखापरीक्षा परिणाम

सी.एस.आर. समिति के गठन, नीति के निर्माण एवं अनुपालन, सी.एस.आर. गतिविधियों की आयोजना एवं निष्पादन और एस.पी.एस.ई. द्वारा उनकी निगरानी एवं रिपोर्टिंग के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की सीमा पर लेखापरीक्षा परिणाम निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिए गए हैं।

आयोजना

5.5.1 सी.एस.आर. समिति का गठन

अधिनियम की धारा 135 (1) एवं (3) के अनुसार बोर्ड और सी.एस.आर. समिति की भूमिका नीचे चार्ट 5.1 में दर्शाई गई है:

चार्ट 5.1

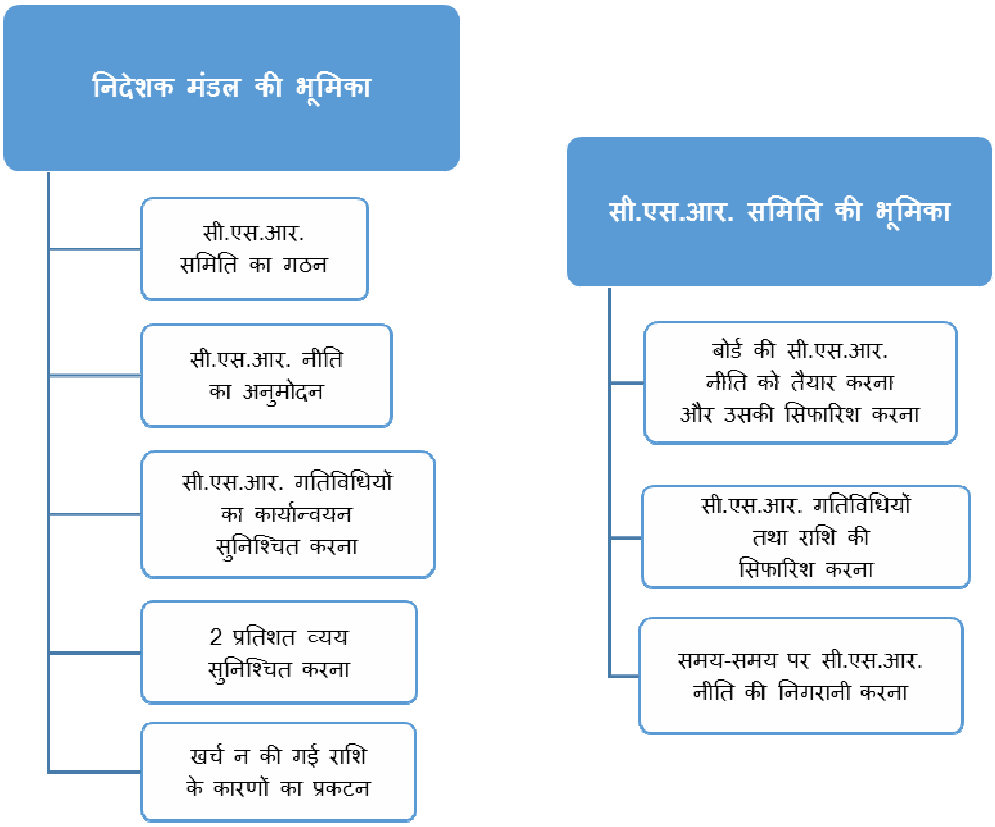

अधिनियम की धारा 135 (1) के अनुसार, किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक के निवल मूल्य या ₹ 1,000 करोड़ या अधिक के टर्नओवर या ₹ 5 करोड़ या अधिक के निवल लाभ वाली प्रत्येक कंपनी बोर्ड की एक कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) समिति का गठन करेगी जिसमें तीन या अधिक निदेशक होंगे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 10 में से आठ एस.पी.एस.ई. ने सी.एस.आर. समितियों का गठन किया था। इन आठ एस.पी.एस.ई. में से दो एस.पी.एस.ई. [हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम (एच.एस.आर.डी.सी.) और हरियाणा कृषि उद्योग निगम (एच.ए.आई.सी.)] ने 2019-20[1] के दौरान ही अपनी सी.एस.आर. समिति का गठन किया। अन्य दो एस.पी.एस.ई. [हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड (एच.बी.सी.के.एन.) और हरियाणा अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम (एच.एस.एफ.डी.सी.)] ने सी.एस.आर. समिति का गठन नहीं किया, हालांकि ये एस.पी.एस.ई. धारा 135 (1) के अंतर्गत लाभ कमाने के अपेक्षित मानदंडों को पूरा करते थे अर्थात् इन्हें 2016-17 और 2017-18 के दौरान क्रमशः ₹ पांच करोड़ से अधिक का लाभ हुआ। तथापि, इन एस.पी.एस.ई. के वर्ष 2018-19 से आगे के वित्तीय विवरणों को अभी तक (मार्च 2021) अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

उत्तर में एच.बी.सी.के.एन. ने बताया (मई 2021) कि इसकी 100 प्रतिशत गतिविधियां केवल गरीबी उन्मूलन के लिए थीं और कोई भी गतिविधि वाणिज्यिक नहीं है। आय का कोई स्रोत

[1] 24 अप्रैल 2019 को एच.एस.आर.डी.सी. तथा 20 फरवरी 2020 को एच.ए.आई.सी.।

नहीं था क्योंकि सभी व्यय हरियाणा सरकार द्वारा प्रशासनिक सब्सिडी के रूप में वहन किया गया था और इन तथ्यों के कारण इसकी आय आयकर से मुक्त थी। इसलिए, निगम पर सी.एस.आर. लागू नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एम.सी.ए. ने अपने परिपत्र सं. 01/2016 दिनांक 12 जनवरी 2016 में स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की कंपनियों को कोई छूट नहीं थी। अधिनियम की धारा 198 के अनुसार लाभ की गणना के लिए, सरकार से प्राप्त प्रशासनिक सब्सिडी और आयकर लाभ से कटौती योग्य नहीं है, इसलिए प्रबंधन का तर्क है कि निगम की आय को आयकर से छूट दी गई है, पिछले वित्तीय वर्षों में ₹ पांच करोड़ से अधिक का लाभ कमाने के बाद भी सी.एस.आर. गतिविधियों को न करने का एक स्वीकार्य कारण नहीं है। इसके अतिरिक्त, इसी तरह की गतिविधियों को अंजाम देने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अर्थात् राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) और राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम (एन.एच.एफ.डी.सी.) भी अपने लाभ का एक हिस्सा सी.एस.आर. गतिविधियों के अंतर्गत खर्च कर रहे हैं। इसलिए, एच.बी.सी.के.एन. को सी.एस.आर. प्रावधानों की प्रयोज्यता से छूट नहीं है।

5.5.2 समिति में स्वतंत्र निदेशक

अधिनियम की धारा 135 (1) के अनुसार, सी.एस.आर. समिति में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। आठ एस.पी.एस.ई., जहां सी.एस.आर. समितियों का गठन किया गया था, में से छः एस.पी.एस.ई. (एच.वी.पी.एन.एल. और हारट्रॉन[2] को छोड़कर) ने समिति में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होने के नियम का पालन किया था। तीन एस.पी.एस.ई. (यू.एच.बी.वी.एन.एल., डी.एच.बी.वी.एन.एल. और एच.ए.आई.सी.) की सी.एस.आर. समितियों में एक से अधिक स्वतंत्र निदेशक थे।

उत्तर में, एच.वी.पी.एन.एल. ने अपनी सी.एस.आर. समिति की संरचना प्रदान की (मई 2021) जिसमें उनकी नियुक्ति की तारीख का उल्लेख किए बिना स्वतंत्र निदेशक शामिल थे। हमने अवलोकित किया कि उन्हें वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान नियुक्त किया गया था। इस प्रकार, एच.वी.पी.एन.एल. ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान नियम का अनुपालन नहीं किया था।

5.5.3 सी.एस.आर. नीति तैयार करना

अधिनियम की धारा 135 (3) के अनुसार अपेक्षित है कि कंपनी की सी.एस.आर. समिति, सी.एस.आर. नीति तैयार करेगी और बोर्ड को इसकी सिफारिश करेगी। यह देखा गया कि दस एस.पी.एस.ई. में से छः एस.पी.एस.ई. ने बताया कि उन्होंने सी.एस.आर. समिति की सिफारिश के आधार पर अपनी सी.एस.आर. नीति तैयार की थी जबकि अन्य तीन एस.पी.एस.ई.[3] (एच.ए.आई.सी., एच.बी.सी.के.एन. और एच.एस.एफ.डी.सी.) में सी.एस.आर. नीति नहीं थी। एक एस.पी.एस.ई. (एच.एस.आर.डी.सी.) ने सी.एस.आर. समिति की सिफारिश पर सी.एस.आर. नीति तैयार की थी (मई 2019) लेकिन इसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था, इसलिए इसने 2018-19 से पहले सी.एस.आर. गतिविधियों को शुरू नहीं किया, यद्यपि

---

[2] कंपनी (निदेशक की नियुक्ति एवं अर्हता) संशोधन नियम 2017 के नियम 4 (2) के अनुसार, हारट्रॉन को एक स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकता नहीं थी।

[3] चूंकि इन एस.पी.एस.ई. ने न तो सी.एस.आर. समिति का गठन किया था और न ही सी.एस.आर. नीति बनाई थी, इन पर विश्लेषण के लिए विचार नहीं किया गया है।

2015-16 से ऐसा करना अपेक्षित था। नियम 6 की अपेक्षाएं - एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त होने के योग्य और इच्छुक व्यक्ति द्वारा आवश्यक अनुपालन - सभी सात एस.पी.एस.ई. में पूरी की गई थीं।

5.5.4 वार्षिक सी.एस.आर. योजना एवं बजट

सी.एस.आर. समिति की भूमिका, सी.एस.आर. गतिविधियों और वित्तीय वर्ष में खर्च की जाने वाली राशि के बारे में बोर्ड को सिफारिश करना है। बोर्ड को सी.एस.आर. गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। प्रस्तावित सी.एस.आर. परियोजनाओं और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट को नए वित्तीय वर्ष के आरंभ से पहले या जल्द से जल्द अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि वर्ष के अंत में निधियों को समाप्त करने के लिए व्यय के वेग से बचा जा सके और निधियों को वर्ष भर समान रूप से खर्च किया जा सके।

हमने अवलोकित किया कि सात एस.पी.एस.ई.[4] ***(परिशिष्ट V बी)*** में से एक एस.पी.एस.ई. (एच.एस.आर.डी.सी.) ने सी.एस.आर. बजट पहली तिमाही में, तीन एस.पी.एस.ई. (एच.पी.जी.सी.एल., डी.एच.बी.वी.एन.एल. और एच.एस.आई.आई.डी.सी.) ने दूसरी तिमाही में और दो एस.पी.एस.ई. (एच.वी.पी.एन.एल. और यू.एच.बी.वी.एन.एल.) ने तीसरी तिमाही में अनुमोदित करवाया। हारट्रॉन ने 2019-20 के लिए अपना सी.एस.आर. बजट अनुमोदित नहीं कराया था।

एच.वी.पी.एन.एल. ने स्वीकार किया और बताया (मई 2021) कि सी.एस.आर. निधियों के उपयोग के लिए उनके बजट को तीसरी तिमाही में नवंबर 2019 में आयोजित सी.एस.आर. समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया था।

5.6 वित्तीय घटक

5.6.1 निधियों का आबंटन

अधिनियम की धारा 135 (5) किसी भी कंपनी के लिए यह अनिवार्य करती है कि वह तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ (अधिनियम की धारा 198 के अंतर्गत परिगणित) का कम से कम दो प्रतिशत वार्षिक खर्च करे।

10 एस.पी.एस.ई. में से सात द्वारा इस प्रकार परिकलित औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत ₹ 17.50 करोड़ था। एस.पी.एस.ई. ने पिछले वर्षों के लिए ₹ 11.16 करोड़ के कैरीओवर सहित ₹ 28.66 करोड़ आवंटित किए ***(परिशिष्ट V बी)***।

हमने अवलोकित किया कि:

- तीन एस.पी.एस.ई. ने पिछले वर्ष 2018-19 के अव्ययित सी.एस.आर. को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए 2019-20 में आवंटित किया था।
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एम.सी.ए.), भारत सरकार ने अपने सामान्य परिपत्र सं. 01/2016 दिनांक 12 जनवरी 2016 में स्पष्ट किया है कि *"धारा 135 के लिए निवल*

[4] सात एस.पी.एस.ई. में से दो एस.पी.एस.ई. अर्थात् एच.एस.आर.डी.सी. और एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने 2019-20 के लिए अनंतिम सी.एस.आर. बजट अनुमोदित किया क्योंकि 2018-19 के लिए उनकी वित्तीय विवरणियां तैयार नहीं की गई थी।

लाभ की गणना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के अनुसार है जो मुख्य रूप से कर पूर्व निवल लाभ है।" लेखापरीक्षा ने देखा कि एच.वी.पी.एन.एल. और एच.पी.जी.सी.एल. ने धारा 198 के अंतर्गत यथा अपेक्षित औसत लाभ की गणना के लिए लाभ को कर पूर्व नहीं लिया था। एम.सी.ए. के स्पष्टीकरण के अनुसार एच.वी.पी.एन.एल. और एच.पी.जी.सी.एल. का कर पूर्व औसत निवल लाभ कंपनियों द्वारा परिकलित ₹ 138.42 करोड़ और ₹ (-) 1.48 करोड़ की तुलना में क्रमशः ₹ 457.76 करोड़ और ₹ 353.95 करोड़ था ***(परिशिष्ट V सी)***। इसके परिणामस्वरूप एच.वी.पी.एन.एल. और एच.पी.जी.सी.एल. द्वारा सी.एस.आर. निधियों का क्रमशः ₹ 6.39 करोड़ और ₹ 7.08 करोड़ का कम प्रावधान किया गया है।

एच.पी.जी.सी.एल. ने बताया (मई 2021) कि यह अंतर लेखापरीक्षा द्वारा 'अन्य व्यापक आय' (ओ.सी.आई.) अर्थात बीमांकिक हानि पर विचार न करने के कारण था। इसके अतिरिक्त, आयकर कार्यालय ओ.सी.आई. के अंतर्गत वर्गीकृत बीमांकिक हानि को स्वीकार्य व्यय के रूप में मानता है। एच.वी.पी.एन.एल. ने बताया (मई 2021) कि लेखापरीक्षा ने सी.एस.आर. व्यय के प्रावधान की गणना के लिए ओ.सी.आई. अर्थात् बीमांकिक हानि (पेंशन योजना हानि) के प्रभाव पर विचार नहीं किया था और बताया कि सी.एस.आर. गतिविधियों के प्रावधान में बाद में आंकड़ों में संशोधन का मामला, यदि कोई हो, पाया जाता है तो उस पर चालू वित्तीय वर्ष में विचार किया जाएगा।

एच.पी.जी.सी.एल. और एच.वी.पी.एन.एल. के उत्तर स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि अधिनियम की अपेक्षा के अनुसार ओ.सी.आई. को कर पूर्व लाभ से नहीं काटा जाना था। इसके अतिरिक्त, सी.एस.आर. के लिए किया जाने वाला खर्च कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत नियंत्रित होता है और आयकर अधिनियम के अंतर्गत ओ.सी.आई. की कटौती की अनुमति देना अलग मामला है।

5.6.2 निधियों का उपयोग

अधिनियम की धारा 135 (5) में वर्णित है कि बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी पिछले तीन वर्षों के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करे। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि सात एस.पी.एस.ई. द्वारा ₹ 28.66 करोड़ के अपेक्षित व्यय के विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 21.37 करोड़ था, जिसमें पांच एस.पी.एस.ई. द्वारा ₹ 7.87 करोड़ की राशि अव्ययित छोड़ दी गई थी ***(परिशिष्ट V बी)***। एच.पी.जी.सी.एल. ने पिछले वर्षों के अव्ययित शेष का पूरी तरह से उपयोग किया और एच.एस.आर.डी.सी. ने 2019-20 के दौरान आवंटित सी.एस.आर. निधि का पूरा उपयोग किया। एम.सी.ए. ने स्पष्ट किया (12 जनवरी 2016) कि "कंपनियों द्वारा किसी अन्य अधिनियम/विनियमों के विधान (श्रम कानून, भूमि अधिग्रहण अधिनियम और अपरेंटिस अधिनियम 1961 आदि) की पूर्ति के लिए किए गए खर्च को सी.एस.आर. के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा"। तथापि, यह देखा गया कि एच.वी.पी.एन.एल. और एच.पी.जी.सी.एल. ने अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के अंतर्गत नियुक्त प्रशिक्षुओं पर 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 1.99 करोड़ और ₹ 0.40 करोड़ का व्यय किया किंतु इसका दावा सी.एस.आर. गतिविधियों के अंतर्गत किया।

एच.एस.आर.डी.सी. ने पर्यावरणीय स्थिरता के लिए बागवानी प्रभाग, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.), गुरुग्राम के माध्यम से सड़कों के किनारे वृक्षारोपण के लिए ₹ 38 लाख आवंटित किए और बागवानी मंडल की मांग पर ₹ 6.43 लाख का भुगतान किया, तथापि हमने देखा कि ये

वृक्षारोपण कार्य संबंधित सड़कों के निर्माण के लिए पहले ही संविदा अनुबंधों के अंतर्गत शामिल किए गए थे। कंपनी ने शेष वृक्षारोपण कार्यों को सी.एस.आर. गतिविधियों से बाहर करने का निर्णय लिया (जनवरी 2020)।

5.6.3 तिमाही वार व्यय

सात एस.पी.एस.ई. द्वारा 2019-20 के दौरान सी.एस.आर. के प्रति कुल व्यय ₹ 21.37 करोड़ था। अंतिम तिमाही में सी.एस.आर. व्यय में अधिक प्रवाह था। यू.एच.बी.वी.एन.एल. और एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने चौथी तिमाही में अपनी सी.एस.आर. निधियों का बड़ा हिस्सा (क्रमशः ₹ 0.70 करोड़ और ₹ 12.97 करोड़) खर्च किया था।

एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने बताया (मई 2021) कि खर्च की गई राशि चार तिमाहियों में बिखरी हुई थी लेकिन प्रतिबद्धता के कारण, इसने चौथी तिमाही में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.) परियोजनाओं के लिए ₹ 12.20 करोड़ खर्च किए थे।

5.6.4 उच्च व्ययकर्ता:

सात एस.पी.एस.ई. द्वारा सी.एस.आर. गतिविधियों पर कुल व्यय नीचे चार्ट 5.2 में दर्शाया गया है:

चार्ट 5.2: सी.एस.आर. व्यय (₹ करोड़ में)

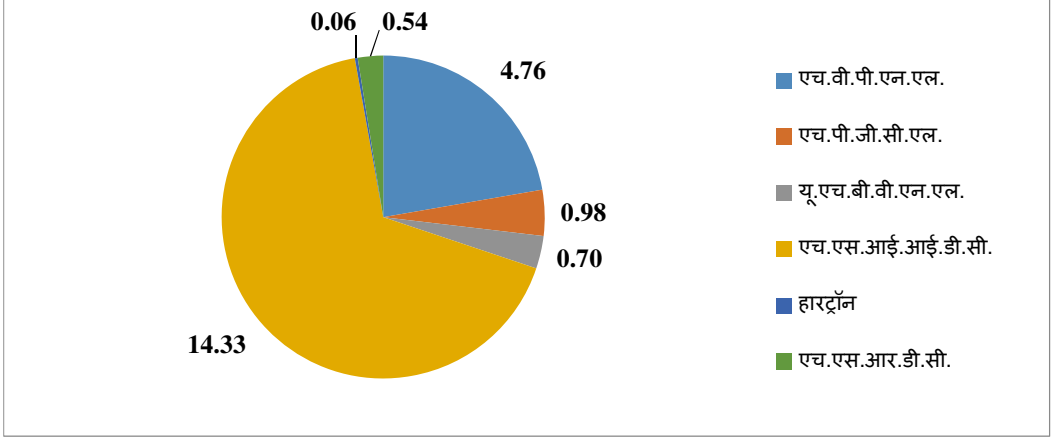

सबसे ज्यादा व्यय करने वाला एच.एस.आई.आई.डी.सी. ₹ 14.33 करोड़ (कुल व्यय किए गए सी.एस.आर. का 67 प्रतिशत) था, इसके बाद एच.वी.पी.एन.एल. ₹ 4.76 करोड़ (22 प्रतिशत) था।

5.6.5 जिला-वार सी.एस.आर. व्यय

चार एस.पी.एस.ई. (एच.एस.आई.आई.डी.सी., एच.एस.आर.डी.सी., एच.वी.पी.एन.एल. और एच.पी.जी.सी.एल.) ने राज्य के एक से अधिक जिलों में सी.एस.आर. गतिविधियां शुरू की थीं। दो एस.पी.एस.ई. (एच.वी.पी.एन.एल. और एच.पी.जी.सी.एल.) ने पूरे हरियाणा में प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया, हालांकि, वर्ष 2019-20 के लिए सी.एस.आर. गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट में न तो जिला-वार व्यय का प्रकटन किया गया और न ही लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया। एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने केवल सोनीपत जिले में ₹ 12.22 करोड़ (अपने कुल सी.एस.आर. व्यय का 85.24 प्रतिशत) और एच.एस.आर.डी.सी. ने केवल पंचकुला जिले में ₹ 0.48 करोड़

(अपने कुल सी.एस.आर. व्यय का 89 प्रतिशत) का व्यय किया। हारट्रॉन ने संपूर्ण सी.एस.आर. का व्यय पंचकुला जिले में किया। यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने अपनी सभी सी.एस.आर. निधियों को पी.एम. केयर फंड में हस्तांतरित करके व्यय किया और डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने 2019-20 के दौरान कोई व्यय नहीं किया।

5.6.6 प्रशासनिक उपरिव्यय

सी.एस.आर. नियम 4 (6) के अनुसार, प्रशासनिक उपरिव्यय (ओ.एच.) को समग्र सी.एस.आर. निधियों के पांच प्रतिशत तक सीमित किया जाना है। अलग से प्रकट किए जाने वाले उपरिव्यय में आधारभूत अध्ययन, क्षमता निर्माण और अन्य उपरिव्यय शामिल होने चाहिए। तथापि, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि छः एस.पी.एस.ई. द्वारा सी.एस.आर. व्यय में प्रशासनिक उपरिव्यय के रूप में कोई राशि शामिल नहीं थी।

5.6.7 सी.एस.आर. परियोजना से अधिशेष

सी.एस.आर. नियम 6(2) के अनुसार, सी.एस.आर. परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाला कोई भी अधिशेष कंपनी के व्यावसायिक लाभ का हिस्सा नहीं होगा। समीक्षाधीन किसी भी एस.पी.एस.ई. ने सी.एस.आर. परियोजनाओं से किसी अधिशेष की सूचना नहीं दी।

5.7 परियोजना कार्यान्वयन

5.7.1 सी.एस.आर. परियोजनाओं/गतिविधियों का चयन

किसी भी एस.पी.एस.ई., जिनके द्वारा सी.एस.आर. व्यय करना अपेक्षित था, ने अपनी सी.एस.आर. परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कोई अलग बेसलाइन सर्वेक्षण किया या आवश्यक मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया।

5.7.2 सी.एस.आर. गतिविधियों के कार्यान्वयन की प्रणाली

कंपनी (सी.एस.आर.) नियमावली, 2014 का नियम 4 विशेष रूप से उस प्रणाली से संबंधित है जिसमें अधिनियम की धारा 135(1) के अंतर्गत सी.एस.आर. गतिविधि की जानी है। बोर्ड एक पंजीकृत ट्रस्ट/सोसाइटी अथवा कंपनी या इसकी धारिता अथवा सहायक अथवा सहयोगी कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 8 या अन्यथा के अंतर्गत स्थापित किसी कंपनी के माध्यम से सी.एस.आर. समिति द्वारा अनुमोदित सी.एस.आर. गतिविधियों को शुरू करने का निर्णय ले सकता है।

हमने अवलोकित किया कि चार एस.पी.एस.ई. द्वारा सात परियोजनाओं को फाउंडेशन के माध्यम से सीधे/घरेलू रूप से कार्यान्वित किया गया था। एच.एस.आर.डी.सी. द्वारा दो परियोजनाओं और यू.एच.बी.वी.एन.एल. द्वारा एक परियोजना को सरकार/बाहरी एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों, सोसायटी आदि के माध्यम से निष्पादित किया गया था।

5.7.3 केंद्र बिंदु के क्षेत्र

केंद्र बिंदु के क्षेत्रों को नीचे चार्ट 5.3 में दर्शाया गया है:

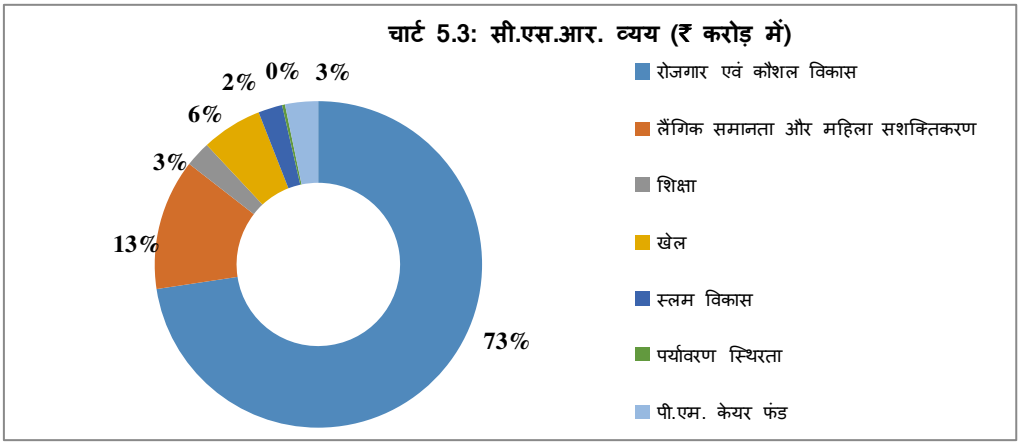

ऊपर इंगित किए गए अनुसार रोजगार एवं कौशल विकास पर सबसे अधिक ध्यान (73 प्रतिशत) दिया गया जिसमें एच.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा सोनीपत में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना पर ₹ 12.20 करोड़ का व्यय शामिल है। इस मद के अंतर्गत कुल व्यय ₹ 15.51 करोड़ था। अगला उच्चतम व्यय (₹ 2.77 करोड़) अर्थात् 13 प्रतिशत लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर था। यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने ₹ 0.70 करोड़ की समग्र सी.एस.आर. राशि प्रधानमंत्री केयर फंड में जमा कर दी।

5.8 निगरानी तंत्र

सी.एस.आर. नियमावली, 2014 के नियम 5(2) के अनुसार, सी.एस.आर. समिति कंपनी द्वारा शुरू की गई सी.एस.आर. परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र स्थापित करेगी। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि सभी सात एस.पी.एस.ई., जिन्होंने सी.एस.आर. नीति तैयार की थी, ने नीति में निगरानी तंत्र को निर्दिष्ट किया था।

एस.पी.एस.ई. को सी.एस.आर. परियोजना/गतिविधि के प्रकार के आधार पर मामला-दर-मामला आधार पर प्रभाव मूल्यांकन करना अपेक्षित है। 2019-20 में पांच एस.पी.एस.ई., जिन्होंने सी.एस.आर. पर सीधे/घरेलू रूप से या बाहरी एजेंसियों के माध्यम से खर्च किया, ने प्रभाव मूल्यांकन नहीं किया।

5.9 सूचना एवं प्रकटन

अधिनियम की धारा 134 (3) (ओ) के साथ पठित धारा 135 (2) और (4) के अनुसार, कंपनी द्वारा अपनी बोर्ड रिपोर्ट में सी.एस.आर. पर एक वार्षिक रिपोर्ट शामिल करना और इसे आधिकारिक वेबसाइट पर डालना अपेक्षित है। कंपनियों को निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित को प्रकट करना होगा:

- सी.एस.आर. नीति की विषय-वस्तु, सी.एस.आर. नीति का वेब लिंक, औसत निवल लाभ, सी.एस.आर. समिति की संरचना, प्रशासन उपरिव्यय, निर्धारित राशि, अव्ययित राशि, अव्ययित राशि के कारणों को प्रकट करना।
- सी.एस.आर. समिति द्वारा हस्ताक्षरित एक उत्तरदायित्व वक्तव्य शामिल करना कि सी.एस.आर. नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सी.एस.आर. उद्देश्य और नीति के अनुपालन में थी।

लेखापरीक्षा ने 10 एस.पी.एस.ई. में अवलोकित किया:

- चार एस.पी.एस.ई. (एच.वी.पी.एन.एल., एच.पी.जी.सी.एल., यू.एच.बी.वी.एन.एल. और डी.एच.बी.वी.एन.एल.) द्वारा प्रावधानों का अनुपालन; तथा
- छः एस.पी.एस.ई. (हारट्रॉन, एच.एस.आई.आई.डी.सी., एच.एस.एफ.डी.सी., एच.बी.सी.के.एन., एच.ए.आई.सी. और एच.एस.आर.डी.सी.) में 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी, इसलिए उनके मामले में लागू प्रकटीकरण अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया जा सका।

निष्कर्ष

हरियाणा में 10 एस.पी.एस.ई. में से, जिन्हें अधिनियम के अनुसार सी.एस.आर. गतिविधियों को करने की आवश्यकता थी, केवल सात एस.पी.एस.ई. अनुपालन कर रहे थे। एच.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना पर ₹ 12.20 करोड़ खर्च करने के कारण सी.एस.आर. व्यय का केंद्र बिंदु क्षेत्र रोजगार और कौशल विकास था। शिक्षा, खेल, स्लम विकास और पर्यावरण स्थिरता के क्षेत्रों ने ध्यान आकर्षित नहीं किया। सभी एस.पी.एस.ई. में सी.एस.आर. परियोजनाओं का चयन बिना किसी आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन के किया गया था और दस एस.पी.एस.ई. में से छः, जो मानदंडों को पूरा करते थे, में रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया था।

सिफारिशें

मानदंडों को पूरा करने वाले सभी एस.पी.एस.ई. को सी.एस.आर. नीति तैयार करनी चाहिए और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और सी.एस.आर. नियमों के अनुपालन में सी.एस.आर. समिति का गठन करना चाहिए। सी.एस.आर. बजट कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए और वर्ष के लिए तय पूरे बजट को खर्च करने का प्रयास किया जाना चाहिए। एस.पी.एस.ई. द्वारा बड़े पैमाने पर सामान्य समुदाय के लिए स्थिरता और सामाजिक प्रभाव को शामिल करने के लिए अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट फोकस क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए।

अध्याय-6

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन का प्रभाव

अध्याय 6

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन का प्रभाव

6.1 प्रस्तावना

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एम.सी.ए.), भारत सरकार ने भारतीय आर्थिक और कानूनी परिवेश को ध्यान में रखते हुए और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आई.एफ.आर.एस.) का हवाला देते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत भारतीय लेखांकन मानकों को अधिसूचित किया। भारतीय लेखांकन मानक को आई.एफ.आर.एस. के अनुरूप तैयार किया गया था जो सामान्यत: स्वीकृत भारतीय लेखांकन सिद्धांत (आई.जी.ए.ए.पी.) ढांचे से मुख्य रूप से तीन प्रमुख पहलुओं अर्थात् उचित मूल्यांकन, कानूनी रूप से अधिक सार और बैलेंस शीट पर जोर, से अलग थे। ये भारतीय लेखांकन मानक अनिवार्य रूप से कंपनियों के निर्धारित वर्ग द्वारा 1 अप्रैल 2016 से अपनाए जाने थे। 31 मार्च 2020 तक 39 भारतीय मानक लागू हैं। एम.सी.ए. समय-समय पर कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 में संशोधन के माध्यम से आई.एफ.आर.एस. के साथ अभिसरण रखने के लिए भारतीय लेखांकन मानकों में संशोधन करता है।

लेखापरीक्षा का उद्देश्य भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन का चरण I और II में अध्ययन करना था ताकि यह निर्धारण किया जा सके कि क्या राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एस.पी.एस.ई.) द्वारा भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने के समय भारतीय लेखांकन मानकों के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन किया गया था और एस.पी.एस.ई. की वित्तीय विवरणियों पर इनका क्या प्रभाव पड़ा।

6.2 भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से शुरू चरणबद्ध ढंग से भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन के लिए एक रोडमैप निर्धारित किया, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

चरण-I

निम्नलिखित कंपनियां 1 अप्रैल 2016 को या उसके बाद शुरू होने वाली लेखा अवधियों की वित्तीय विवरणियों के लिए भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करेंगी, जिसमें 31 मार्च 2016 या उसके बाद समाप्त होने वाली अवधियों की तुलना की जाएगी:

- ऐसी कंपनियां जिनकी इक्विटी या ऋण प्रतिभूतियां भारत में या भारत के बाहर किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में हैं और जिनका निवल मूल्य ₹ 500 करोड़ या अधिक है।

- ऊपर शामिल कंपनियों के अतिरिक्त ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक के निवल मूल्य वाली कंपनियां।

- ऊपर शामिल कंपनियों की होल्डिंग, सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां।

चरण-II

निम्नलिखित कंपनियां 1 अप्रैल 2017 को या उसके बाद शुरू होने वाली लेखा अवधियों की वित्तीय विवरणियों के लिए भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करेंगी, जिसमें 31 मार्च 2017 या उसके बाद समाप्त होने वाली अवधियों की तुलना की जाएगी:

- ऐसी कंपनियां जिनकी इक्विटी या ऋण प्रतिभूतियां भारत में या भारत के बाहर किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में हैं और जिनका निवल मूल्य ₹ 500 करोड़ या अधिक है।

- चरण-I में शामिल कंपनियों के अतिरिक्त सूचीबद्ध कंपनियां जिनका निवल मूल्य ₹ 250 करोड़ या अधिक किंतु ₹ 500 करोड़ से कम है।

- ऊपर शामिल कंपनियों की होल्डिंग, सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां।

भारतीय लेखांकन मानकों को स्वैच्छिक रूप से अपनाना

कोई भी कंपनी 1 अप्रैल, 2015 को या उसके बाद शुरू होने वाली लेखा अवधि के लिए 31 मार्च 2015 या उसके बाद समाप्त होने वाली अवधियों के साथ तुलनात्मक रूप से अपनी वित्तीय विवरणियों के लिए भारतीय लेखांकन मानकों को स्वेच्छा से अपना सकती है। हालांकि, एक बार जब कोई कंपनी स्वेच्छा से या अनिवार्य रूप से भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार रिपोर्ट करना शुरू कर देती है, तो वह आई.जी.ए.ए.पी. में वापस नहीं आ सकती है।

6.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और पद्धति

अध्ययन में सात एस.पी.एस.ई.[1] को शामिल किया गया था जिनके द्वारा चरण I और II में भारतीय लेखांकन मानक को अपनाना अपेक्षित था और एक एस.पी.एस.ई. उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू.एच.बी.वी.एन.) ने 2016-17 के दौरान स्वेच्छा से भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाया था। भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने के लिए सात एस.पी.एस.ई. की योग्यता में एक योग्य कंपनी (एच.एस.आई.आई.डी.सी.) की चार सहायक कंपनियां शामिल हैं। एच.एस.आई.आई.डी.सी. की चार सहायक कंपनियों में से दो कंपनियों, पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड (27 दिसंबर 2016 को निगमित) और सौर ऊर्जा

[1] हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड, हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड, सौर ऊर्जा निगम हरियाणा लिमिटेड और हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड।

निगम हरियाणा लिमिटेड (9 जून 2016 को निगमित) को अपनी पहली वित्तीय विवरणियों (अर्थात् 2016-17) में भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाना अपेक्षित था जबकि दो अन्य सहायक कंपनियां अर्थात् हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड और हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड निष्क्रिय कंपनियां हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय लेखांकन मानक वर्ष 2019-20 से हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम पर लागू था, लेकिन इसे विश्लेषण के लिए नहीं माना जा सकता क्योंकि वर्ष 2019-20 के लिए इसके वित्तीय विवरण बकाया थे। सात एस.पी.एस.ई. की समीक्षा की गई जिनकी सूची ***परिशिष्ट VI*** में दी गई है।

चरण I और II के अंतर्गत भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने वाले एस.पी.एस.ई. की स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों के साथ-साथ नव निगमित एस.पी.एस.ई. जिन्होंने 1 अप्रैल 2016 या 1 अप्रैल 2017 से अपनी वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए पहली बार भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाया है, की लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई है। इन एस.पी.एस.ई. में भारतीय लेखांकन मानकों के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन और भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन का उनके राजस्व, कर पश्चात लाभ, निवल मूल्य और कुल परिसंपत्तियों पर प्रभाव का विश्लेषण राजस्व मान्यता, वित्तीय दस्तावेजों तथा संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पी.पी.ई.) के मूल्यांकन, कर्मचारी लाभों की गणना और व्यावसायिक संयोजनों के लेखांकन में भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने के परिणामस्वरूप परिवर्तनों के संदर्भ में किया गया था।

6.4 भारतीय लेखांकन मानकों को पहली बार अपनाने की समीक्षा

भारतीय लेखांकन मानक 101 - पहली बार भारतीय लेखांकन मानक 101 को अपनाने के लिए अपेक्षित था कि एक इकाई को यह स्पष्ट करना चाहिए कि सामान्यत: स्वीकृत भारतीय लेखांकन सिद्धांत (आई.जी.ए.ए.पी.) से भारतीय लेखांकन मानकों में परिवर्तन ने उसकी बैलेंस शीट, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह को कैसे प्रभावित किया। इस अपेक्षा के अनुसार सभी कंपनियों (यू.एच.बी.वी.एन.एल. को छोड़कर) ने 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए अपनी वित्तीय विवरणियों में टिप्पणियों के माध्यम से बैलेंस शीट और लाभ एवं हानि की विवरणी पर भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने के प्रभाव को प्रकट किया है। 31 मार्च 2016 और 01 अप्रैल 2015 को आई.जी.ए.ए.पी. के अनुसार इक्विटी का मिलान उसी तारीख को भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार इक्विटी के साथ किया गया है। कार्यान्वयन के प्रभाव को भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार 31 मार्च 2016 को लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई वित्तीय विवरणी के विशेष तत्व के मूल्य में उसी तारीख को आई.जी.ए.ए.पी. के अनुसार उसी तत्व के संबंधित मूल्य की तुलना में या तो वृद्धि या कमी के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

भारतीय लेखांकन मानक 101 भारतीय लेखांकन मानकों के पूर्वव्यापी उपयोग के सामान्य सिद्धांत के लिए वैकल्पिक छूट और अनिवार्य छूट प्रदान करता है। वैकल्पिक छूट में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) भारतीय लेखांकन मानक 16 - संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

भारतीय लेखांकन मानक पहली बार भारतीय लेखांकन मानक को अपनाने वाले को भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन की तिथि के अनुसार या पुनर्मूल्यांकन पद्धति को अपनाकर उनके उचित मूल्य को मापकर वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त के रूप में अपनी संपत्ति, संयंत्रों एवं उपकरणों (पी.पी.ई.) और अमूर्त परिसंपत्तियों की इनके वहन मूल्य के साथ जारी रखने के लिए चुनाव करने की अनुमति देता है।

लेखापरीक्षा विश्लेषण ने दर्शाया कि छः एस.पी.एस.ई. {हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एच.वी.पी.एन.एल.), सौर ऊर्जा निगम हरियाणा लिमिटेड, हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एच.पी.जी.सी.एल.), हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (एच.एस.आई.आई.डी.सी.) और पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड} ने अपनी वहन लागत पर पी.पी.ई. का मूल्य अपनाने का विकल्प चुना।

(ii) भारतीय लेखांकन मानक 27 - अलग वित्तीय विवरणियां

भारतीय लेखांकन मानक-101 के अनुच्छेद डी14 और डी15 के अनुसार, अलग-अलग वित्तीय विवरणियों के मामले में, भारतीय लेखांकन मानक 27 द्वारा एक इकाई को सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और सहभागिताओं में अपने निवेश के लिए या तो लागत पर या भारतीय लेखांकन मानक 39 के अनुसार उचित मूल्य पर जिम्मेदारी लेनी अपेक्षित है। यदि पहली बार अपनाने वाला इस तरह के निवेश को भारतीय लेखांकन मानक 27 के अनुरूप लागत पर मापता है तो यह उस निवेश को या तो लागत पर या मानी गई लागत पर अपनी अलग आरंभिक भारतीय लेखांकन मानक बैलेंस शीट में मापेगा।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि एच.वी.पी.एन.एल., एच.पी.जी.सी.एल. और एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने सहायक कंपनियों/सहभागिताओं में निवेश को वहन मूल्य/लागत मूल्य पर मापने का विकल्प चुना।

(iii) भारतीय लेखांकन मानक 109 - वित्तीय दस्तावेज

भारतीय लेखांकन मानक-101 एक इकाई को भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन की तारीख पर मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर भारतीय लेखांकन मानक-109 के अनुसार उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी दस्तावेज में वित्तीय परिसंपत्ति और निवेश को नामित करने की अनुमति देता है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि एच.वी.पी.एन.एल., हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड, सौर ऊर्जा निगम हरियाणा लिमिटेड ने इक्विटी को वहन मूल्य/लागत मूल्य पर मूल्यांकित किया और एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने इक्विटी का मूल्यांकन अन्य व्यापक आय (एफ.वी.ओ.सी.आई.) के माध्यम से उचित मूल्य पर किया।

6.5 2016-17 और 2017-18 में निगमित कंपनियों द्वारा भारतीय लेखांकन मानक को अपनाना

दो एस.पी.एस.ई. अर्थात पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड (27 दिसंबर 2016 को निगमित) और सौर ऊर्जा निगम हरियाणा लिमिटेड (09 जून 2016 को निगमित) को अपनी पहली वित्तीय विवरणी (अर्थात् 2016-17) में भारतीय लेखांकन मानक को अपनाना अपेक्षित था। हालांकि, सौर ऊर्जा निगम हरियाणा लिमिटेड ने 2017-18 के दौरान भारतीय लेखांकन मानक को अपनाया। इन एस.पी.एस.ई. के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक का कोई प्रभाव नहीं था।

6.6 चयनित प्रमुख क्षेत्रों पर भारतीय लेखांकन मानक के कार्यान्वयन का प्रभाव

भारतीय लेखांकन मानक के विभिन्न प्रावधानों का कार्यान्वयन कर-पश्चात लाभ (पी.ए.टी.), राजस्व, कुल परिसंपत्ति और निवल मूल्य के मूल्यांकन को प्रभावित कर सकता है। भारतीय लेखांकन मानक को अपनाने के समय एस.पी.एस.ई. द्वारा प्राप्त विकल्पों के आधार पर मूल्य बढ़ या घट सकते हैं। तीन एस.पी.एस.ई. (एच.वी.पी.एन.एल., एच.पी.जी.सी.एल. और एच.एस.आई.आई.डी.सी.) के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन और इसके कार्यान्वयन के प्रभाव की समीक्षा की गई। इन तीन एस.पी.एस.ई. के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा के परिणाम और इसके कार्यान्वयन के प्रभाव नीचे दिए गए हैं:

6.6.1 कर-पश्चात लाभ पर प्रभाव

चयनित एस.पी.एस.ई. में 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाली अवधि की तुलना के साथ 1 अप्रैल 2016 को या उसके बाद शुरू होने वाली लेखा अवधि के लिए कर-पश्चात लाभ (पी.ए.टी.) पर भारतीय लेखांकन मानक को अपनाने का प्रभाव निम्नानुसार है:

तालिका 6.1: कर-पश्चात लाभ पर भारतीय लेखांकन मानक को अपनाने का एस.पी.एस.ई.-वार प्रभाव

क्र. सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम	पी.ए.टी. में निवल कमी (₹ करोड़ में)	पी.ए.टी. में निवल वृद्धि (₹ करोड़ में)
1	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	6.82	-
2	एच.पी.जी.सी.एल.	177.42	-
3	एच.वी.पी.एन.एल.	-	94.42

निम्नलिखित कारकों ने एस.पी.एस.ई.-वार पी.ए.टी. में वृद्धि/कमी में योगदान दिया:

(i) हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एच.पी.जी.सी.एल.) - रोजगार के बाद के लाभों के प्रति देयताओं के मूल्यांकन में परिवर्तन से लाभ में ₹ 69.81 करोड़ की वृद्धि हुई जबकि रेगुलेटरी डिफरल अकाउंट बैलेंस (₹ 199.62 करोड़) की मान्यता की नीति, पूर्व अवधि समायोजन (₹ 18.82 करोड़) के लेखांकन में परिवर्तन, व्यय के प्रावधानों में वृद्धि (₹ 10.26 करोड़) और भारतीय लेखांकन मानक को अपनाने के समय आस्थगित कर (₹ 3.07 करोड़) की मान्यता से लाभ कम हुआ;

(ii) हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (एच.एस.आई.आई.डी.सी.) - संदिग्ध ऋणों (₹ 14.13 करोड़) पर प्रावधानों को वापस लिखने से लाभ में वृद्धि हुई, जबकि रोजगार के बाद के लाभों के लिए देयताओं के लेखांकन के विभिन्न तरीकों को अपनाने और भारतीय लेखांकन मानक को अपनाने के समय आस्थगित कर की मान्यता ने लाभ में क्रमशः ₹ 4.31 करोड़ और ₹ 0.96 करोड़ की कमी की।

(iii) हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एच.वी.पी.एन.एल.) - रोजगार के बाद के लाभों के लिए देयताओं के लेखांकन के विभिन्न तरीकों को अपनाने के कारण लाभ में ₹ 4.21 करोड़ की कमी आई।

6.6.2 राजस्व की बुकिंग पर भारतीय लेखांकन मानक का प्रभाव

भारतीय लेखांकन मानक-18 के अंतर्गत 'राजस्व' की परिभाषा में निवल मूल्य प्रतिभागियों से योगदान से संबंधित वृद्धि के अतिरिक्त वे सभी आर्थिक लाभ शामिल हैं जो एक इकाई की गतिविधियों के सामान्य क्रम में उत्पन्न होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप निवल मूल्य में वृद्धि होती है। आई.जी.ए.ए.पी. के अनुसार राजस्व को हालांकि, माल की बिक्री से, सेवाओं के प्रतिपादन से, और उद्यम के अन्य लोगों द्वारा उपयोग से ब्याज, रॉयल्टी और लाभांश देने वाले संसाधन, उद्यम की सामान्य गतिविधियों के दौरान उत्पन्न होने वाली नकदी, प्राप्य या अन्य प्रतिफल के सकल प्रवाह के रूप में परिभाषित किया गया है।

चयनित एस.पी.एस.ई. में 31 मार्च 2016 को समाप्त अवधि की तुलना के साथ 1 अप्रैल 2016 को या उसके बाद शुरू होने वाली लेखा अवधि के लिए राजस्व की बुकिंग पर भारतीय लेखांकन मानक को अपनाने का प्रभाव निम्नानुसार है:

तालिका 6.2: राजस्व पर भारतीय लेखांकन मानक में प्रत्यावर्तन का एस.पी.एस.ई.-वार प्रभाव

क्र. सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम	राजस्व में निवल कमी (₹ करोड़ में)	निवल राजस्व में निवल वृद्धि (₹ करोड़ में)
1	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	-	0.09
2	एच.पी.जी.सी.एल.	16.89	-
3	एच.वी.पी.एन.एल.	-	18.72

एच.वी.पी.एन.एल. के मामले में, आई.जी.ए.ए.पी. के अनुसार, परिसंपत्तियों के लिए ग्राहकों से प्राप्त अंशदान को पूंजीगत संचय में जमा किया गया था जबकि भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार इसे आस्थगित राजस्व में जमा किया जाता है और संपत्ति के उपयोगी जीवन के अनुपात में राजस्व को हर साल मान्यता दी जाती है। इसके परिणामस्वरूप एच.वी.पी.एन.एल. की अन्य आय में ₹ 17.80 करोड़ की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को रियायती दर पर दिए गए ऋण पर ब्याज आय को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके स्वीकार किया गया जिसके परिणामस्वरूप अन्य आय में ₹ 91.81 लाख की वृद्धि हुई।

6.6.3 कुल संपत्ति के मूल्य पर भारतीय लेखांकन मानक को अपनाने का प्रभाव

भारतीय लेखांकन मानक 16 - संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पी.पी.ई.), भारतीय लेखांकन मानक 38 - अमूर्त संपत्ति, भारतीय लेखांकन मानक 32 - वित्तीय दस्तावेज: प्रस्तुतीकरण, भारतीय लेखांकन मानक 109 - वित्तीय दस्तावेज और भारतीय लेखांकन मानक 40 - निवेश संपत्ति के अंतर्गत आई.जी.ए.ए.पी. की तुलना में निर्धारित लेखांकन की पद्धतियों में अंतर के कारण भारतीय लेखांकन मानक के कार्यान्वयन पर परिसंपत्तियों का कुल मूल्य प्रभावित होता है।

1 अप्रैल 2016 को या उसके बाद शुरू होने वाली लेखा अवधि के लिए कुल परिसंपत्तियों के मूल्य पर भारतीय लेखांकन मानक को चयनित एस.पी.एस.ई. में 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाली अवधि की तुलना के साथ अपनाने का प्रभाव निम्नानुसार है:

तालिका 6.3: कुल संपत्ति के मूल्य पर भारतीय लेखांकन मानक को अपनाने का एस.पी.एस.ई.-वार प्रभाव

क्र. सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम	कुल संपत्ति के मूल्य में निवल कमी (₹ करोड़ में)	कुल संपत्ति के मूल्य में निवल वृद्धि (₹ करोड़ में)
1	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	-	2,054.02
2	एच.पी.जी.सी.एल.	-	203.32
3	एच.वी.पी.एन.एल.	5.73	-

एच.एस.आई.आई.डी.सी. में परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि के.एम.पी. एक्सप्रेसवे के लिए प्राप्त अनुदान को आस्थगित राजस्व व्यय के रूप में मान्यता देने के कारण हुई थी। एच.पी.जी.सी.एल. में, पी.पी.ई. की मान्यता के लिए नीति में बदलाव और रेगुलेटरी डिफरल अकाउंट बैलेंस की मान्यता की नीति में बदलाव से कुल संपत्ति में क्रमशः ₹ 155.12 करोड़ और ₹ 148.07 करोड़ की वृद्धि हुई। एच.वी.पी.एन.एल. में, आस्थगित भुगतान शर्तों पर भूमि के मूल्य में परिवर्तन से इसकी कुल संपत्ति में ₹ 29.42 करोड़ की कमी आई।

6.6.4 निवल मूल्य पर भारतीय लेखांकन मानक को अपनाने का प्रभाव

निवल मूल्य किसी कंपनी की संपत्ति और देयताओं के मूल्य के बीच का अंतर है। निवल मूल्य की गणना प्रदत्त शेयर पूंजी के कुल मूल्य, संचित हानियों के कुल मूल्य से मुक्त संचय, आस्थगित व्यय और विविध व्यय को बट्टे खाते में डालने से कम करके की जाती है। चयनित एस.पी.एस.ई. में 31 मार्च 2016 को समाप्त अवधि की तुलना के साथ 1 अप्रैल 2016 को या उसके बाद शुरू होने वाली लेखा अवधि के लिए निवल मूल्य पर भारतीय लेखांकन मानक को अपनाने का प्रभाव निम्नानुसार है:

तालिका 6.4: निवल मूल्य पर भारतीय लेखांकन मानक को अपनाने का एस.पी.एस.ई.-वार प्रभाव

क्र.सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम	निवल मूल्य में निवल कमी (₹ करोड़ में)
1	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	19.58
2	एच.पी.जी.सी.एल.	80.51
3	एच.वी.पी.एन.एल.	339.81

निवल मूल्य में वृद्धि/कमी के मुख्य कारण थे:

(i) वित्तीय विवरणियों के अनुमोदन की तारीख से पहले निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश को देयता के रूप में मान्यता दी गई थी। हालांकि, भारतीय लेखांकन मानक के अंतर्गत, ऐसे लाभांश को मान्यता दी जाती है जब उन्हें शेयरधारकों द्वारा आम बैठक में अनुमोदित किया जाता है। इस प्रकार, प्रस्तावित लाभांश के समायोजन के कारण एच.एस.आई.आई.डी.सी. की निवल संपत्ति में ₹ 5 करोड़ और प्रस्तावित इक्विटी लाभांश पर कर के समायोजन के कारण ₹ 1.02 करोड़ की वृद्धि हुई।

(ii) एच.वी.पी.एन.एल. के मामले में आस्थगित राजस्व की मान्यता के कारण निवल संपत्ति में कमी हुई क्योंकि आई.जी.ए.ए.पी. के अंतर्गत परिसंपत्तियों के लिए ग्राहक से प्राप्त अंशदान को पूंजीगत संचय में जमा किया गया था। हालांकि, भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार, इसे आस्थगित राजस्व में जमा किया गया था और हर साल परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के अनुपात में मान्यता दी जानी थी। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी की निवल संपत्ति में ₹ 340.74 करोड़ की कमी हो गई।

(iii) एच.पी.जी.सी.एल. के संबंध में निवल संपत्ति में ₹ 138.47 करोड़ और ₹ 0.33 करोड़ की कमी वर्ष 2015-16 के दौरान क्रमशः मान्यता प्राप्त प्रावधानों और पूर्व अवधि समायोजन के प्रभाव के कारण थी।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा विश्लेषण ने दर्शाया कि ऐसे एस.पी.एस.ई. के कर-पश्चात लाभ के मूल्य, कुल परिसंपत्तियां और निवल मूल्य चरण I और II में भारतीय लेखांकन मानक को अपनाने से प्रभावित हुए थे। भारतीय लेखांकन मानक के अंतर्गत राजस्व की मान्यता की पद्धति में परिवर्तन ने एस.पी.एस.ई., जिन्होंने चरण I और II में भारतीय लेखांकन मानक को अपनाया, द्वारा मान्यता प्राप्त राजस्व को भी प्रभावित किया। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए चयनित एस.पी.एस.ई. की वित्तीय विवरणियों में परिवर्तनों को प्रकट किया गया है और उनकी वित्तीय स्थिति का आकलन करते समय इन पर विचार किया जाना चाहिए।

विशाल बंसल

चण्डीगढ़ **(विशाल बंसल)**

दिनांकः 12 अक्तूबर 2021 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**

दिनांक: 28 अक्तूबर 2021 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट I

(अनुच्छेद 1.3.1 में यथा संदर्भित)

नवीनतम वर्ष, जिसके लिए लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया था, के लिए विद्युत क्षेत्र के एस.पी.एस.ई. के वित्तीय परिणामों का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विद्युत क्षेत्र के उपक्रम की गतिविधि और नाम	लेखाओं की अवधि	ब्याज और कर से पहले निवल लाभ/हानि	ब्याज और कर के बाद निवल लाभ/हानि	संचित लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूंजी	हरियाणा सरकार से ऋण	अन्य से ऋण	कुल दीर्घकालिक ऋण	अनुदान/ परिचालन और प्रशासनिक व्यय के लिए सब्सिडी	कुल निवेश	कुल मूल्य	नियोजित पूंजी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12	13=8+11+12	14=6+8	15=6+8+11
क.	**उत्पादन**													
1	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2019-20	457.63	247.76	409.23	4,206.60	3,091.36	0.00	573.64	573.64	0.86	3,665.86	3,500.59	4,074.23
उप-योग			**457.63**	**247.76**	**409.23**	**4,206.60**	**3,091.36**	**0.00**	**573.64**	**573.64**	**0.86**	**3,665.86**	**3,500.59**	**4,074.23**
ख.	**प्रसारण**													
2	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2019-20	600.55	61.37	498.27	1,640.67	3,863.35	0.00	4,339.71	4,339.71	2.80	8,205.86	4,361.62	8,701.33
उप-योग			**600.55**	**61.37**	**498.27**	**1,640.67**	**3,863.35**	**0.00**	**4,339.71**	**4,339.71**	**2.80**	**8,205.86**	**4,361.62**	**8,701.33**
ग.	**वितरण**													
3	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2019-20	824.14	217.72	-15,396.40	13,447.41	15,578.72	8.65	2,289.45	2,298.10	42.42	17,919.24	182.32	2,480.42
4	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2019-20	465.63	113.67	-13,581.49	13,967.63	13,724.32	0.00	3,064.26	3,064.26	47.53	16,836.11	142.83	3,207.09
उप-योग			**1,289.77**	**331.39**	**-28,977.89**	**27,415.04**	**29,303.04**	**8.65**	**5,353.71**	**5,362.36**	**89.95**	**34,755.35**	**325.15**	**5,687.51**
सकल योग			**2,347.95**	**640.52**	**-28,070.39**	**33,262.31**	**36,257.75**	**8.65**	**10,267.06**	**10,275.71**	**93.61**	**46,627.07**	**8,187.36**	**18,463.07**

परिशिष्ट II ए

(अनुच्छेद संख्या 2.1 में यथा संदर्भित)

2019-20 के दौरान नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा के दायरे में आने वाली सरकारी कंपनियां/ निगम और सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त)

क्र.सं.	कंपनी/निगम का नाम	टिप्पणियां
सरकारी कंपनियां		
1	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	
2	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	
3	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	
4	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	
5	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	
6	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	
7	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	
8	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	
9**	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड	निष्क्रिय कंपनी
10	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	
11	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	
12	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	
13	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	
14	हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड	
15	हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	
16	हरियाणा चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड	
17	हरियाणा रेल मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	
18	हरियाणा राज्य वित्तीय सेवाएं लिमिटेड	
19	हारट्रोन इन्फोर्मेटिक्स लिमिटेड	
20	पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड	
21**	हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
22**	हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड	निष्क्रिय कंपनी
23	हरियाणा ऑर्बिटल रेल निगम लिमिटेड	
सांविधिक निगम		
1	हरियाणा वित्तीय निगम	
2	हरियाणा राज्य भण्डारण निगम	
सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां		
1	गुड़गांव प्रौद्योगिकी पार्क लिमिटेड ^	
2	फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	
3	गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड	
4**	फरीदाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	पहले लेखे प्राप्त नहीं हुए
5**	करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड	पहले लेखे प्राप्त नहीं हुए
6**	हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड	परिसमापन के अधीन

** एस.पी.एस.ई. जो निष्क्रिय थे/परिसमापन के अधीन थे या जिनके पहले लेखे प्राप्त नहीं हुए थे।

परिशिष्ट II बी

(अनुच्छेद संख्या 2.5.3 में यथा संदर्भित)

1999-2000 से 2019-20 के दौरान एस.पी.एस.ई. (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में राज्य सरकार इक्विटी का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कंपनी का नाम	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
	ए. सामाजिक क्षेत्र																					
1	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	0	28.17	28.67	29.17	15.69	15.94	17.13	18.64	20.29	21.69	23.49	25.14	25.14	25.14	25.14	25.14	26.15	26.14	26.14	26.14	26.14
2	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	7.91	8.31	8.51	8.96	9.46	9.96	11.16	12.66	13.66	16.07	17.58	19.52	20.52	21.52	22.77	24.97	38.2	40.37	42.87	45.14	48.06
3	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	3.85	4.1	4.15	4.65	5	6.2	9.34	12.48	14.81	15.51	15.51	16.61	16.61	15.51	15.51	15.51	15.51	15.51	15.51	15.51	15.51
4	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	2.76	2.76	2.76	2.9	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76
5	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	1.37	1.37	1.37	1.56	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.36	1.36	1.37	1.37	1.37	1.37
6	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54
7	हरियाणा राज्य भण्डारण निगम	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92

क्र. सं.	कंपनी का नाम	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
8	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89
	कुल ए	**32.24**	**61.06**	**61.81**	**63.59**	**50.63**	**52.58**	**58.11**	**64.26**	**69.24**	**73.75**	**77.06**	**81.75**	**82.75**	**82.65**	**83.90**	**86.09**	**100.33**	**102.50**	**105.00**	**107.27**	**110.19**
	बी. प्रतिस्पर्धी क्षेत्र																					
9	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	0.6	0.6	0.61	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
10	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	62.75	62.84	62.86	67.81	67.82	67.82	70.68	70.69	70.69	70.69	70.7	70.7	70.7	48.82	48.82	48.84	48.84	48.84	48.85	48.86	48.87
11	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	0	7.88	26.94	47.6	70.6	70.6	113.7	113.7	113.7	122.04	122.04	122.04	122.04	122.04	122.04	122.04	122.04	122.04	122.04	122.04	122.04
12	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	12.71	14.4	15.53	16.59	18.05	18.58	19.86	19.86	20.19	20.19	20.19	21.4	21.46	21.46	22.46	24.06	28.86	29.79	30.92	34.07	37.77
13	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	7.74	7.74	7.81	7.81	7.81	7.81	7.82	8.82	8.83	9.83	9.84	9.85	9.86	9.86	9.88	9.89	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9
14	फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0.05	0.05
15	हरियाणा वित्तीय निगम	25.28	25.28	25.28	25.28	25.28	25.28	28.28	33.28	99.03	179.9	181.35	181.85	201.86	201.86	202.01	202.01	202.01	202.01	202.01	202.01	202.01
16	हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
17	करनाल स्मार्ट सिटी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05
	कुल बी	**111.98**	**121.64**	**141.93**	**168.19**	**192.66**	**193.19**	**243.44**	**249.45**	**315.54**	**405.75**	**407.22**	**408.94**	**429.02**	**407.14**	**408.31**	**409.94**	**414.75**	**415.68**	**416.87**	**420.03**	**423.79**

क्र. सं.	कंपनी का नाम	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
	सी. अन्य																					
18	हरियाणा चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5
19	हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2	2	2	2	2	2	4	4	5	6.2	6.4	6.4	6.6	6.6	6.6	6.6	6.65	6.65	6.75	6.75	6.75
20	हरियाणा रेल मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.08	10.2	15.3
21	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	18	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
22	हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	14.4	14.4
23	हरियाणा राज्य वित्तीय सेवाएं लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	कुल सी	**20.00**	**27.00**	**27.00**	**27.00**	**27.00**	**27.00**	**29.00**	**29.00**	**30.00**	**31.20**	**31.40**	**31.40**	**31.60**	**31.60**	**32.11**	**37.11**	**37.16**	**37.16**	**41.34**	**61.35**	**68.45**
	कुल योग	**164.22**	**209.70**	**230.74**	**258.78**	**270.29**	**272.77**	**330.55**	**342.71**	**414.78**	**510.70**	**515.68**	**522.09**	**543.37**	**521.39**	**524.32**	**533.14**	**552.24**	**555.34**	**563.21**	**588.65**	**602.43**

परिशिष्ट III ए

(अनुच्छेद संख्या 3.3.2 में यथा संदर्भित)

सरकारी कंपनियों और निगमों के विवरण जहां लेखे बकाया थे या जो निष्क्रिय/परिसमापन के अधीन थे

क्र. सं.	सरकारी कंपनियों और निगमों का नाम	अवधि जिसके लेखे 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त नहीं हुए
सरकारी कंपनियां		
1	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2016-17 से 2019-20
2	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	2019-20
3	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2018-19 एवं 2019-20
4	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2018-19 एवं 2019-20
5	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	2018-19 एवं 2019-20
6	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	2019-20
7	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2019-20
8**	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड	निष्क्रिय
9	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	2019-20
10	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	2017-18 से 2019-20
11	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2017-18 से 2019-20
12	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	2018-19 एवं 2019-20
13	हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	2019-20
14	हरियाणा चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड	2018-19 एवं 2019-20
15	हरियाणा राज्य वित्तीय सेवाएं लिमिटेड	2019-20
16	हारट्रोन इन्फोर्मेटिक्स लिमिटेड	2019-20
17**	हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
18**	हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड	निष्क्रिय
19**	सौर ऊर्जा निगम हरियाणा लिमिटेड	निष्क्रिय
सांविधिक निगम		
1	हरियाणा वित्तीय निगम	2019-20
2	हरियाणा राज्य भण्डारण निगम	2019-20

** एस.पी.एस.ई. जो निष्क्रिय थे/परिसमापन के अधीन थे या पहले लेखे प्राप्त नहीं हुए थे।

परिशिष्ट III बी

(अनुच्छेद संख्या 3.3.2 में यथा संदर्भित)

राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के विवरण जहां लेखे बकाया थे या जो निष्क्रिय/परिसमापन के अधीन थे

क्र. सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम	वर्ष जिसके लेखे 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त नहीं हुए
1	फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19 एवं 2019-20
2	गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड	2019-20
3**	फरीदाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसिज लिमिटेड	पहले लेखे प्राप्त नहीं हुए
4**	करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड	पहले लेखे प्राप्त नहीं हुए
5**	हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड	परिसमापन के अधीन

** एस.पी.एस.ई. जो निष्क्रिय थे/परिसमापन के अधीन थे या पहले लेखे प्राप्त नहीं हुए थे।

परिशिष्ट III सी

(अनुच्छेद संख्या 3.5.2 में यथा संदर्भित)

एस.पी.एस.ई. की सूची जहां नि.म.ले.प. द्वारा टिप्पणियां जारी की गईं

क्र.सं.	कंपनी का नाम
1	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
2	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
3	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
4	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

परिशिष्ट III डी

(अनुच्छेद संख्या 3.7 में यथा संदर्भित)

एस.पी.एस.ई. की सूची जहां नि.म.ले.प. द्वारा प्रबंधन-पत्र जारी किए गए

क्र.सं.	कंपनी का नाम
1	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
2	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
3	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
4	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

परिशिष्ट IV ए

(अनुच्छेद संख्या 4.1.2 में यथा संदर्भित)

वर्ष 2019-20 के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस हेतु शामिल किए गए एस.पी.एस.ई. की सूची

क्र. सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम	सार्वजनिक है या प्राइवेट लिमिटेड
1.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	सार्वजनिक
2.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	सार्वजनिक
3.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	सार्वजनिक
4.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	सार्वजनिक
5.	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	सार्वजनिक
6.	हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	सार्वजनिक
7.	पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड	सार्वजनिक
8.	हरियाणा रेल मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	सार्वजनिक
9.	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (हारट्रोन)	प्राइवेट
10.	हारट्रोन इन्फोर्मेटिक्स लिमिटेड	सार्वजनिक
11.	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	प्राइवेट
12.	हरियाणा चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड	सार्वजनिक
13.	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	सार्वजनिक
14.	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	प्राइवेट
15.	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	सार्वजनिक
16.	हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड	प्राइवेट
17.	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	सार्वजनिक
18.	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	सार्वजनिक
19.	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	सार्वजनिक
20.	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	सार्वजनिक
21.	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	प्राइवेट
22.	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	प्राइवेट

परिशिष्ट IV बी

(अनुच्छेद संख्या 4.1.2 में यथा संदर्भित)

वर्ष 2019-20 के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस हेतु शामिल नहीं किए गए एस.पी.एस.ई. की सूची

क्र. सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम	शामिल न करने के कारण
1	फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	कोविड-19 के कारण अनुमेय विज़िटिंग सीमा से परे
2	गुड़गांव प्रौद्योगिकी पार्क लिमिटेड	कोविड-19 के कारण अनुमेय विज़िटिंग सीमा से परे
3	गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड	कोविड-19 के कारण अनुमेय विज़िटिंग सीमा से परे
4	हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड	निष्क्रिय कंपनी
5	हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड	निष्क्रिय कंपनी
6	हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड	निष्क्रिय कंपनी
7	सौर ऊर्जा निगम हरियाणा लिमिटेड	निष्क्रिय कंपनी
8	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड	निष्क्रिय कंपनी
9	हरियाणा ऑर्बिटल रेल निगम लिमिटेड	नई कंपनी
10	फरीदाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	नई कंपनी
11	करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड	नई कंपनी
12	हरियाणा राज्य वित्तीय सेवाएं लिमिटेड	नई कंपनी
13	हरियाणा वित्तीय निगम	कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कंपनी नहीं है। हालांकि निगम के इक्विटी शेयर बी.एस.ई. में सूचीबद्ध हैं, सेबी दिशानिर्देशों के अनुपालन को लागू नहीं माना गया क्योंकि निगम ने 2010 से नया कारोबार बंद कर दिया है।
14	हरियाणा राज्य भण्डारण निगम	कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कंपनी नहीं है

परिशिष्ट IV सी

(अनुच्छेद संख्या 4.2.2 तथा 4.6.1 में यथा संदर्भित)

स्वतंत्र निदेशक, लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति को अपने बोर्ड में रखने के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले एस.पी.एस.ई. की सूची

(सार्वजनिक कंपनी जिसकी प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक है या ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक का टर्नओवर है या कुल बकाया ऋण, डिबेंचर और जमा राशि ₹ 50 करोड़ से अधिक है)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम	प्रदत्त पूंजी	टर्नओवर	कुल बकाया ऋण, डिबेंचर और जमा
1	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	3,051.33	5,462.60	1,210.04
2	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	3,520.66	2,154.41	4,589.85
3	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	12,681.98	14,165.20	2,509.70
4	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	11,178.78	15,036.13	2,834.94
5	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	48.84	1,563.68	6,274.05
6	हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	28.24	0.00	0.00
7	हरियाणा रेल मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	20.0	0	0.00
8	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	50.07	0.69	5.46
9	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	16.61	5.04	0.00
10	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	4.14	2,131.60	19.04
11	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	5.00	143.23	0.00
12	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	122.04	1.75	0.00

नोट: छायांकित सेल एस.पी.एस.ई. द्वारा अनुपालन किए गए मानदंडों को दर्शाता है।

परिशिष्ट IV डी

(अनुच्छेद 4.2.3 में यथा संदर्भित)

महिला निदेशकों को अपने बोर्ड में रखने के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले एस.पी.एस.ई. की सूची

(सार्वजनिक कंपनी जिसकी प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 100 करोड़ या अधिक अथवा टर्नओवर ₹ 300 करोड़ या उससे अधिक है)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	**एस.पी.एस.ई. का नाम**	**प्रदत्त पूंजी**	**टर्नओवर**
1	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	3,051.33	5,462.60
2	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	3,520.66	2,154.41
3	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	12,681.98	14,165.20
4	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	11,178.78	15,036.13
5	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	48.84	1,563.68
6	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	4.14	2,131.60
7	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	122.04	1.75

नोट: छायांकित सेल एस.पी.एस.ई. द्वारा अनुपालन किए गए मानदंडों को दर्शाता है।

परिशिष्ट V ए

(अनुच्छेद संख्या 5.3 में यथा संदर्भित)

सी.एस.आर. मानदंड की प्रयोज्यता दर्शाने वाली विवरणी

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम	लेखाओं की अवधि	लाभांश, ब्याज और कर के बाद निवल लाभ/हानि	टर्नओवर	निवल मूल्य
1	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2018-19	209.99	5462.60	4,011.27
2	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2018-19	196.98	2,154.41	3,212.79
3	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	185.71	14165.20	-2,932.14
4	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	95.23	15,036.13	-2,516.38
5	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2017-18	216.34	1,563.68	1,631.10
6	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2018-19	16.07	46.54	109.91
7	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	2018-19	20.41	1.75	257.13
8	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2017-18	5.22	0.69	66.31
9	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	2017-18	7.71	10.52	42.97
10	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2015-16	0.92	2,131.6	-117.71
11	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2.76	75.49	51.59
12	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	2017-18	-14.3	270.94	39.78
13	हारट्रोन इन्फोर्मेटिक्स लिमिटेड	2018-19	0.43	0.65	5.28
14	गुड़गांव प्रौद्योगिकी पार्क लिमिटेड ^	2018-19	1.41	1.86	35.43
15	पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड	2018-19	-0.01	0	0.09
16	फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2017-18	-1.19	0	0.1
17	गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड	2018-19	-15.15	3.75	34.9
18	हरियाणा चिकित्सा सेवाएं लिमिटेड	2017-18	4.25	6.69	11.47
19	हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड	2018-19	-5.42	36.86	19.03
20	हरियाणा रेल मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2018-19	0.03	0	19.91
21	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2016-17	-1.36	304.98	22.57
22	हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	2018-19	0.11	0	28.56
23	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	2016-17	0.58	5.04	15.83
24	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	2018-19	4.8	143.23	10.06
25	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	2018-19	1.26	87.69	7.77

नोट: क्रमांक 1 से 10 तक के एस.पी.एस.ई., सी.एस.आर. मानदंडों को पूरा करते हैं।

परिशिष्ट V बी

(अनुच्छेद संख्या 5.5.4, 5.6.1 और 5.6.2 में यथा संदर्भित)

कैरी फॉरवर्ड सहित आवंटन और वास्तविक सी.एस.आर. व्यय

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	एस.पी.एस.ई.	पिछले तीन वर्षों का औसत लाभ	कॉलम 3 का दो प्रतिशत सी.एस.आर. पर खर्च किया जाएगा	पिछले वर्ष से कैरी ओवर	व्यय की जाने वाली कुल राशि	वास्तविक व्यय	अंतर	कैरी फॉरवर्ड अव्ययित राशि	अनुमोदित व्यय की अवधि
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8=6-7	9	10
1	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	138.42	2.77	2.93	5.70	4.76	0.94	0.94	09 अक्तूबर 2019
2	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	-1.48	0.00	0.40	0.40	0.98	-0.58	0.00	18 जुलाई 2019
3	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	43.92	0.88	0.00	0.88	0.70	0.18	0.18	20 नवंबर 2019
4	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	53.92	1.08	0.00	1.08	0.00	1.08	1.08	18 सितंबर 2019
5	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	598.25	11.96	7.83	19.79	14.33	5.46	5.46	22 जुलाई 2019
6	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	13.51	0.27	0.00	0.27	0.06	0.21	0.21	अननुमोदित
7	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	26.76	0.54	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00	10 मई 2019
	योग	**873.30**	**17.50**	**11.16**	**28.66**	**21.37**	**7.29**	**7.87**	

परिशिष्ट V सी

(अनुच्छेद संख्या 5.6.1 में संदर्भित)

कंपनी की तुलना में एम.सी.ए. परिपत्र के अनुसार कर से पहले लाभ की गणना को दर्शाने वाली विवरणी

अवधि	धारा 198 के अंतर्गत कर से पहले निवल लाभ	
	वार्षिक वित्तीय विवरणियों के अनुसार (₹ करोड़ में)	कंपनी द्वारा गणना के अनुसार (₹ करोड़ में)
एच.वी.पी.एन.एल.		
2016-17	381.23	68.1
2017-18	534.25	149.64
2018-19	457.81	197.52
तीन वर्षों का कुल लाभ	1,373.29	415.26
पिछले तीन वर्षों का औसत लाभ	457.76	138.42
2019-20 के दौरान धारा 135 के अंतर्गत औसत लाभ का दो प्रतिशत व्यय किया जाना अपेक्षित है	9.16	2.77
एच.पी.जी.सी.एल.		
2016-17	-11.90	-108.71
2017-18	322.88	42.82
2018-19	750.87	61.46
तीन वर्षों का कुल लाभ	1,061.85	-4.43
पिछले तीन वर्षों का औसत लाभ	353.95	-1.48
2019-20 के दौरान धारा 135 के अंतर्गत औसत लाभ का दो प्रतिशत व्यय किया जाना अपेक्षित है	7.08	शून्य

परिशिष्ट VI

(अनुच्छेद संख्या 6.3 में यथा संदर्भित)

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (एस.पी.एस.ई.), जिन पर भारतीय लेखांकन मानक लागू है, को दर्शाने वाली विवरणी

I. निवल मूल्य के आधार पर

क्र. सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम	2015-16 में निवल मूल्य (₹ करोड़ में)
1.	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	1,351.17
2.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2,674.62
3.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2,736.85

II. ऊपर I में शामिल कंपनियों की होल्डिंग, सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियों के आधार पर:

क्र.सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम	कंपनी की स्थिति
1.	पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड की सहायक कंपनी
2.	हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड की सहायक कंपनी (निष्क्रिय कंपनी)
3.	हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड की सहायक कंपनी (निष्क्रिय कंपनी)
4.	सौर ऊर्जा निगम हरियाणा लिमिटेड	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड की सहायक कंपनी (निष्क्रिय कंपनी)

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

www.cag.gov.in